

Fifteenth Lok Sabha
X Session (12/03/2012 to 22/05/2012)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 12 मार्च, 2012/22 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 209

अपराहन 12.45 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.46 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री एम०वाई० घोरपड़े; तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य श्री रामचंद्र उलाका; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री परगी लाल चौधरी; तीसरी और छठी लोक सभा के सदस्य श्री बृज राज सिंह; दसवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एम०ओ०एच० फारूक; दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य कर्नल राव राम सिंह तथा तीसरी, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री मणि राम बागड़ी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने सेन्ट्रल फिलिपिन्स ऑफ शोर नैगरॉस ऑरिएंटल एंड सेबू में 6 फरवरी, 2012 को आए भूकंप जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हुई, 112 लोग घायल हुए तथा 62 लोग लापता हो गए और संपत्ति की भारी क्षति हुई, के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने इसके बाद कश्मीर घाटी के गंदरबल और बांदापुरा जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में आए दो बड़े बर्फीले तूफानों जिनमें 19 सेनाकर्मियों की मृत्यु हुई तथा दो सिविल कुलियों सहित अन्य कई लोग घायल हुए, के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराहन 1.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत में कृषि की स्थिति, 2011-2012 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी गई।

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

(i) अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि उन्हें कर्नाटक के उडूपी चिकमगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बारे में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने 29 दिसंबर, 2011 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(ii) अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि उन्हें आंध्र प्रदेश के नेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एम० राजमोहन रेड्डी का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बारे में दिनांक 24 अगस्त, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है तथा उन्होंने 28 फरवरी, 2012 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराहन 1.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 13 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 13 मार्च, 2012/23 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 210

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीलंका के तमिलों पर अत्याचारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका के संकल्प पर भारत के रुख के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने श्रीलंका के तमिलों पर अत्याचारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका के संकल्प पर भारत के रुख के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री टी०आर० बालू

2. *डॉ० एम० तम्बिदुरई

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

*श्री पी० चिदंबरम ने भी उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1—4 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 5—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* अपराह्न 2.05 बजे।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बंगलौर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2010, जो 21 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2845(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) मस्टर्ड सीड्स और रेप सीड्स (ऑयल सीड) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) जैगरी श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2012 जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 87(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) सोयाबीन श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2012 जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2628(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

- (1) महासचिव ने 23 नवंबर, 2011 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयक सभा पटल पर रखे:—
1. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2011;
 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011;
 3. कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011;
 4. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011;
 5. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2011;
 6. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2011; तथा
 7. वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011

(2) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011;
2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011;
3. दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011;
4. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011;
5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2011;
6. जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2011;
7. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2011;
8. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011;
9. संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2011; तथा
10. फेक्टर विनियमन विधेयक, 2011

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने 'प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 49वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरेश अंगड़ी ने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति का 241वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री सुरेश अंगड़ी ने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

* 49वां प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 9 मार्च, 2012 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने कार्य मंत्रणा समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. समितियों के लिए निर्वाचनों हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री विलासराव मुत्तेमवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री विलासराव मुत्तेमवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.10 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाये जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर जिले में यमुना नदी के जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में नर्सों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक चामराजनगर जिले में एक स्पाइस पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के घटकों के लिए निधि का आवंटन और व्यय हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पी० विश्वानाथन द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी में 'थाणे' चक्रवात के गंभीर प्रकोप के कारण आवश्यक राहत उपाय करने तथा किसानों जिनकी फसलें इसमें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, को पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के लिए स्वीकृत एक नया केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० संजय सिंह द्वारा शारदा सहायक नहर का मरम्मत कार्य करने तथा तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहर में पर्याप्त मात्रा में जल छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में किसानों, जिनकी फसलें पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, को पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा गुजरात के गिर क्षेत्रों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक दीर्घावधिक कार्यक्रम विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोराड़ छावनी के अंतर्गत नागरिकों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों को एक सिविल क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० मुरली मनोहर जोशी द्वारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन के शीघ्र उन्नयन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण वार्षिक बाढ़ रोकने के लिए हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, रामगंगा, गारा, गंभीरी और कुंडा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरीख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मादरशाह की मजार को विकसित करने तथा उस स्थान पर बेहतर सड़क और रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा इसके साथ-साथ उक्त स्थल पर मूल पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में साफ-सुथरा भोजन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री आर० थामराईसेल्वन द्वारा देश में शिक्षित बेरोजगार युवा के शिक्षा ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल में कोझीकोड़ तथा पालक्काड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 213 पर कुंथीपुल्ला पुल चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री मोदुगुला वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) डॉ० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पंजाब में पैदा की गई बिजली और जल का राजस्थान और हरियाणा के बीच वितरण किए जाने का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में न्यायनिर्णयन के लिए भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.11 बजे

13. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 5 घंटे 37 मिनट

शेष : 6 घंटे 23 मिनट

डॉ० गिरिजा व्यास ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

‘कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं’ ।”

(लोक सभा अपराहन 12.58 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.03 बजे

डॉ० शशी थरूर ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजनाथ सिंह
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
4. श्री शरद यादव
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री अनंत गंगाराम गीते
8. श्री संजय सिंह चौहान
9. श्री प्रबोध पांडा
10. श्री नामा नागेश्वर राव

11. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
12. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भाषण अपूर्ण रहा)
चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.41 बजे।

(लोक सभा बुधवार, 14 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी०के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.56 बजे से सायं 7.41 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4407LS(S3)—13-03-2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 14 मार्च, 2012/24 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 211

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21, 22 और 23 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई तथा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 24—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण (सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 923(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगौड का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

***4. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने “श्रीलंका में स्थिति” के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराहन 3.47 बजे

5. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 13 मार्च, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

6. बजट (रेल)

श्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल के संबंध में वर्ष 2012-2013 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

7. अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल)

श्री दिनेश त्रिवेदी ने वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल)

श्री दिनेश त्रिवेदी ने वर्ष 2009-10 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.49 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.52 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.52 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अरूण कुमार वुन्डावल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के देवराप्पली में रबड़ उत्पादक किसानों के लिए साझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने तथा राजमंड्री में रबड़ अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कोडिकुनील सुरेश द्वारा केरल में एलपीजी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा रेल गाड़ियों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के०पी० धनपालन द्वारा लंदन स्थित संयुक्त युद्ध समिति द्वारा अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में 'युद्ध क्षेत्र' को पुनःपरिभाषित करने का मुद्दा उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलिंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिक एलपीजी एजेंसियों की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत में एक नया रेल डिवीजन तथा डीआरएम कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रमेन डेका द्वारा उत्तर-पूर्व राज्य के लिए एक पृथक टाइम जोन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रामकिशुन द्वारा देश के सभी लोगों को आयोडिन युक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फुटा अट्टा के निकट लेवल क्रॉसिंग पर स्टाफ की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में सहरसा और पचगछिया के बीच 'सहरसा बंगाली बाजार रेलवे ढाला' लेवल क्रॉसिंग संख्या 31 पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में पालोड़ में आयोजित पालोड़ कृषि मेला की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा कपास उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए कपास के निर्यात की नीति तथा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री पी० कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गोल्डन रॉक रेलवे कार्यशाला का विस्तार किए जाने तथा गोल्डन रॉक में एक नया रेल डिब्बा विनिर्माण कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार में बक्सर को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा इस स्थान पर एतिहासिक स्मारकों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.56 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा आवंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 9 घंटे 02 मिनट

शेष : 2 घंटे 58 मिनट

डॉ० गिरिजा व्यास द्वारा 13 मार्च, 2012 को पेश तथा डॉ० शशी थरूर द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं।’

एक सौ तैंतालीस (संख्या 1, 76—85, 140—148, 277—284, 426—435, 614—640, 1165—1172, 1177—1181 और 1215—1279) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री टी०के०एस० इल्लैगोवन
- *3. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *4. श्री पशुपति नाथ सिंह

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *5. श्री नारनभाई कछाड़िया
- *6. श्री राधा मोहन सिंह
- *7. डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क
- *8. श्री राजेन गोहैन
- *9. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
- *10. डॉ० रत्ना डे नाग
- *11. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
- *12. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *13. श्री हरिभाऊ माधव जावले

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 4.04 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 4.32 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 4.32 बजे

- 14. श्री सी० राजेन्द्रन
- 15. श्री भर्तृहरि महताब
- *16. श्री अर्जुन मेघवाल
- 17. श्री एन०एस०वी० चित्तन
- *18. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- 19. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- *20. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
- *21. डॉ० अरविन्द कुमार शर्मा
- 22. डॉ० महबूब बेग
- *23. श्री प्रदीप कुमार सिंह
- 24. श्री नरहरि महतो
- *25. श्री दत्ता मेघे
- *26. श्री राम सिंह कस्वां

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
 - *28. श्री देवजी एम० पटेल
 29. श्री बृजभूषण शरण सिंह
 30. श्री रमाशंकर राजभर
 31. डॉ० काकोली घोष दस्तिदार
 - *32. श्री ए०टी० नाना पाटील
 - *33. श्री पी० करुणाकरन
 34. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
 35. श्री मनोहर तिरकी
 36. श्री जोसेफ टोप्पो
 37. श्री असादुद्दीन ओवेसी
 - *38. श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला
 39. श्री थोल तिरुमावलावन
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

@अपराहन 7.48 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 15 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@सायं 7.06 बजे से सायं 7.48 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4438LS(S3)—14-03-2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 15 मार्च, 2012/25 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 212

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं से दसवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री उत्तमराव पाटील के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

केन्द्रीय रेल मंत्री के कथित त्यागपत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने केन्द्रीय रेल मंत्री के कथित त्यागपत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री शरद यादव
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री गुरुदास दासगुप्त
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.33 बजे स्थगित हुई तथा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) आर्थिक समीक्षा 2011-12 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (नौवां निर्गम) नियम, 2011 जो 29 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 848(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 868(अ) जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र—नौवां निर्गम बचत पत्रों की वह श्रेणी होगी जिन पर सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 लागू होता है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) एनएसएसएफ ऋणों के संबंध में राज्यों को ऋण राहत संबंधी 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) ‘सीरे के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण’ के बारे में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की-गई-अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए औषधियों का उत्पादन और उपलब्धता' (भेषज विभाग) विषय पर पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009-10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।
- (2) 'अनुदानों की मांगों' (2010-11) (उर्वरक विभाग) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009-10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 15वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।
- (3) 'अनुदानों की मांगों' (2010-11) (भेषज विभाग) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009-10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 16वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।
- (4) 'अनुदानों की मांगों' (2010-11) (रसायन और पेट्रोसायन विभाग) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009-10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 17वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रानी नरह ने 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2011' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 173वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.03 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य

सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु और बस्ती जिले के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (2) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दिल्ली-लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस का जालंधर और पठानकोट होते हुए जम्मू तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री के० सुधाकरण द्वारा केरल के कन्नूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर के वितरण और नए एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश विशेष रूप से करीमनगर जिले में सूखे की स्थिति के कारण विपदाग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर को आदर्श शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मानिक टैगोर द्वारा देश में लघु उद्योग विशेष रूप से मैटल कंटेनर विनिर्माण एकाई के लिए मूलभूत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पशुपतिनाथ सिंह द्वारा झारखंड में रेल सेवाएं और सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान में किसानों जिनकी फसलें पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, को आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा उड़ीसा के पारादीप में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में वर्तमान में चालू परियोजना से प्रभावित भूमि से बेदखल लोगों के विकास के संबंध में पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति, 2006 के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 13 घंटे 10 मिनट

डॉ० गिरिजा व्यास द्वारा 13 मार्च, 2012 को पेश किए गए तथा डॉ० शशी थरूर द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यधिक आभारी हैं।’

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम० आई० शानवास
2. *श्री हसंराज गं० अहीर
3. *कुमारी सरोज पांडेय
4. *गणेश सिंह
5. *श्री सी० आर० पाटिल
6. *श्री सतपाल महाराज
7. डॉ० रत्न सिंह
8. *डॉ० चार्ल्स डिएस
9. श्री बाल कृष्ण खांडेराव शुक्ला
10. श्री अब्दुल रहमान
11. *प्रो० शेख सैदुल हक
12. *श्री रमेन डेका
13. श्री इंदर सिंह नामधारी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

14. *श्री मधुसूदन यादव
15. *श्रीमती रमा देवी
- (लोक सभा अपराहन 1.04 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.17 बजे पुनः समवेत हुई)
16. श्री भक्त चरण दास
17. *श्री चंदू (चंदू भैया) लाल साहू
18. *श्री के० सुगुमार
19. *श्री रामसिंह राठवा
20. *श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
21. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
22. श्री वीरेन्द्र कुमार
23. श्री खगेन दास
24. *श्रीमती ज्योति धुर्वे
25. श्री आर० धुवनारायण
26. *श्री जोस के० मणि
27. डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
28. श्री निम्मला कृष्ण
29. *श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
30. *श्री अशोक अर्गल
31. श्रीमती जया प्रदा
32. *हरीश चौधरी
33. श्री संजय बृजकिशोरलाल निरुपम
34. डॉ० भोला सिंह
35. *श्री रतन सिंह
36. श्री तथागत सत्वथी
37. श्री सी० शिवसामी
38. *श्री राजेन्द्र अग्रवाल
39. डॉ० थोकचोम मैन्या

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

40. *श्री एस्.एस. रामासुब्बू
41. *श्री वीरेन्द्र कश्यप
42. डॉ. संजीव गणेश नाईक
43. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
44. *श्री ओ.एस. मणियन
45. *श्री पी. कुमार
46. श्री एन. पीताम्बर कुरूप
47. श्री पी.डी. राय
48. डॉ. तरूण मंडल
49. *श्री मानिक टैगोर
50. डॉ. अजय कुमार
51. *श्री जे.एम. आरून रशीद
52. *श्री पी.सी. मोहन
53. *डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

चर्चा पूरी नहीं हुई

†सायं 6.20 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी. के. विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

†अपराह्न 5.26 बजे से सायं 6.20 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 16 मार्च, 2012/26 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 213

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. बजट (सामान्य) — 2012-13

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.50 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभापटल पर रखे गए विवरण

श्री प्रणब मुखर्जी ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

- (1) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;
- (2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और
- (3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2012

अपराह्न 12.52 बजे

(लोक सभा सोमवार, 19 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 मार्च, 2012/29 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 214

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री हफीज़ मोहम्मद सिद्दीक के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय रेल मंत्री के कथित त्यागपत्र के बारे में सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, यशवंत सिन्हा और बसुदेव आचार्य से प्रश्नों के निलंबन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

कार्य संचालन नियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्न काल के निलंबन की मांग कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गुरुदास दासगुप्त जिन्होंने इस आशय के प्रस्ताव की भी सूचना दी है, वे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 388 के अंतर्गत भी प्रश्न काल के निलंबन का प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

नियम 388 के अनुसार, कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा, कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाये। सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। नियम, 388 के उपबंधों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः प्रश्न काल के निलंबन का कोई प्रश्न नहीं है।

तथापि, विशेष मामले के रूप में, मैं सदस्यों को संक्षिप्त निवेदन करने की अनुमति दे रही हूँ। तत्पश्चात् हम लोग प्रश्न काल लेंगे।”

तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों ने रेल मंत्री द्वारा कथित त्यागपत्र के बारे में निवेदन किए:—

- (1) श्री यशवंत सिन्हा
- (2) श्री बसुदेव आचार्य
- (3) श्री गुरुदास दासगुप्त

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—64 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 65—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से 16 मार्च, 2012 को मीरपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते समय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी होने पर श्री सचिन तेंदुलकर को बधाई दी।

उन्होंने बेसल (स्विटजरलैंड) में स्विस बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट जीतने पर सुश्री सायना नेहवाल को भी बधाई दी।

अपराहन 12.02 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 की उपधारा (4) के अंतर्गत छावनी बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी की मंजूरी नियम, 2011 जो 26 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 12(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 896(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 88(अ) जो 18 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न और चीनी की जूट पैकेज सामग्री में 100% पैकेजिंग अनिवार्य की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन के वर्ष 2007-2008 से 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांख्यिकी 11(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2012 का अनुमोदन किया गया है।

- (दो) सांका०नि० 6(अ) जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2012 का अनुमोदन किया गया है।
- (12) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2012 जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कांआ० 67(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435ख के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार के प्रत्येक यान या पोत, मत्स्ययान और पालपोत से भिन्न लेकिन केवल मत्स्य ग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धाऊ जैसे परंपरागत मत्स्ययान शामिल हैं, पर किसी भी भारतीय भाषा में “भारतीय मत्स्य नौकाएं” विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (तीन) सांका०नि० 9(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 20 मीटर की लम्बाई से कम आकार वाली भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं को कतिपय शर्तों के अधीन वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं का निरीक्षण) नियम, 1988 की अपेक्षाओं से अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए छूट दी गई है।

7. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा असम में बराक नदी पर पंचग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के खण्ड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री एन०एस्०वी० चित्तन द्वारा कृषि कार्य के लिए उपलब्ध लाभार्थियों को अनुमति देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री लालचंद कटरिया द्वारा “मेहंदी उद्योग” को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा प्रस्तावित न्यू विशाखापटनम-साई नगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन को विजयवाड़ा-गुंटूर-नालगोंडा-सिकंदराबाद-मनमाड़ से होकर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा इटारसी, मध्य प्रदेश स्थित आयुध निर्माणी में रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुनःरेखीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अरुण कुमार चुंडावल्ली द्वारा देश के विद्यालय परिसरों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड पर ओपेन लेवल क्रॉसिंग संख्या 121 ग को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा गोवा में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को गिराये जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा किए जाने संबंधी कार्य को रोकने के लिए आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश, मेरठ में सोफीपुर फायरिंग रेंज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के गडहा, जबलपुर में केन्द्रीय विद्यालय को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा मिल को फिर से चालू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार, गोपालगंज में दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली अप्रोच रोड की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु राज्य को केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली आर्वाटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री के०एन० सिंह देव द्वारा ओडीशा के बोलांगीर जिले में बडमाल स्थित आयुध निर्माणी में पिनाका रॉकेट यूनिट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन के वेस्टर्न साइड पर नया रेल बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.05 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 14 घंटे 37 मिनट

13 मार्च, 2012 को डॉ० गिरीजा व्यास द्वारा पेश और डॉ० शशी थरूर द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री जसवंत सिंह
- (2) श्री सुदीप बंदोपाध्याय
- *(3) श्री नवीन जिंदल

डॉ० मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन संख्या 1 पर सभा में विभाजन हुआ। पक्ष में: 148; विपक्ष में: 230। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन संख्या 1279 पर सभा में विभाजन हुआ। पक्ष में: 149; विपक्ष में: 232। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन संख्या 1177 पर सभा में विभाजन हुआ। पक्ष में: 148; विपक्ष में: 230। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन संख्या 1166 से 1172 पर सभा में विभाजन हुआ। पक्ष में: 147; विपक्ष में: 232। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

पेश किए गए शेष सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराहन 1.32 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.32 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 38 मिनट

24 मार्च, 2011 को सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण, श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री अधीर रंजन चौधरी
- (2) डॉ० मुरली मनोहर जोशी
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) डॉ० बलीराम
- (5) श्री शरद यादव
- (6) श्री कल्याण बनर्जी
- (7) एडवोकेट ए० सम्पत
- (8) श्री भर्तृहरि महताब
- (9) श्री अनंत गंगाराम गीते
- (10) श्री सी० शिवासामी
- *(11) डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- (12) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

- (13) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
 (14) श्री कामेश्वर बैठा
 *(15) श्री गणेश सिंह
 (16) श्रीमती पुतुल कुमारी
 (17) चौधरी लाल सिंह
 *(18) श्री एस०एस० रामासुब्बू
 *(19) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
 *(20) श्री जगदम्बिका पाल
 *(21) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
 *(22) श्री अर्जुन राम मेघवाल

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#सांय 7.50 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 20 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सांय 7.11 बजे से सांय 7.50 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग एक
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 मार्च, 2012/30 फाल्गुन, 1933 (शक)

संख्या 215

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. मंत्री का परिचय

प्रधानमंत्री ने श्री मुकुल राय का रेल मंत्री के रूप में परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—84 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 85—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 219(अ) जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2363(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 198(अ) जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले, उसमें उल्लिखित, कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देशों को अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (तीन) का०आ० 258(अ) जो 10 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 11 सदस्यों वाली सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी का गठन किया गया है।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रक्रिया और कार्य संचालन) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/1/2011-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष राष्ट्रपति आदेश, जिसके द्वारा वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के लिए कर्नाटक के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची I और II के अधीन धनराशि को, कार्यांतर, बढ़ाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष राष्ट्रपति आदेश, जिसके द्वारा वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के लिए हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची I और II के अधीन धनराशि को, कार्यांतर, बढ़ाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- *(एक) रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर रेलवे में हाथरस के निकट एक मानवरहित रेल फाटक पर आज (20.03.2012) हुई एक दुर्घटना में लोगों के मारे जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (दो) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में गृह संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

माननीय सभापति, राज्य सभा को 2 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अंग्रेषित किया गया।

*अपराहन 2.30 बजे

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री रेवती रमण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है, कि राज्य सभा, राज्य सभा से श्री जनार्दन द्विवेदी के अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा से एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करें और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा कांचीपुरम सिटी, तमिलनाडु में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी की स्थापना करने हेतु स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के कपिलवस्तु में थीम पार्क का निर्माण कार्य तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु में बिजली की कमी की समस्या को दूर करने हेतु राज्य में पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने तथा उनका पता लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री आर० धुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाली सोलिंगा जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा कपास की अतिरिक्त 20 लाख गाँठों के निर्यात की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में मकरोनिया से छत्तरपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 का मरम्मत कार्य कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा झांसी-छतरपुर-बमीठा खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और कानपुर-देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 की मरम्मत और उनका पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरिन पाठक द्वारा सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए गुजरात के हजीरा में तटरक्षक स्टेशन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री सुरेश अंगड़ी द्वारा कर्नाटक के बेलगांव के छावनी क्षेत्रों में प्रवेश कर वसूल करने की प्रणाली को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा देश के विशेषकर बुन्देलखंड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और बिजली की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा असामाजिक तत्वों तथा चोरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में संसद सदस्यों के आवासों के निकट पुलिस बूथ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में कोसी नदी पर पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में मेचदा को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 के माध्यम से रानीचक और हल्दिया से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा देश में मछुआरों की सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पलनाडु क्षेत्र में मिर्च बोर्ड की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में छपरा से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री बलीराम एस० जाधव द्वारा महाराष्ट्र में दहानू और नासिक के बीच रेल लाईन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने, दहानू और वलसाड़ के बीच मेमू सेवा और दहानू और चर्च गेट के बीच ई० एम० यू० सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

9. (एक) बजट (रेल)—2012-2013; (दो) लेखा अनुदानों की मांगें (रेल)—2012-2013; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2011-2012; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2009-2010

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 7 घंटे 37 मिनट

शेष समय : 4 घंटे 23 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मर्दे एक साथ संयुक्त चर्चा के लिए ली गईं:—

(एक) बजट (रेल) 2012-13 पर सामान्य चर्चा;

(दो) वर्ष 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 6, 8 से 13, और 16; और

(चार) वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4 से 6,8,9,12,13 और 15

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री पी०सी० चाको
3. कुंवर रेवती रमण सिंह
- *4. डॉ० किरोड़ी लाल मीणा
- *5. श्री पकौड़ी लाल
- *6. श्री गजानन ध० बाबर
- *7. श्री जोस के० मणि
- *8. श्री पशुपति नाथ सिंह
- *9. श्री सुदर्शन भगत
10. श्री दारा सिंह चौहान
- *11. श्री सी० राजेन्द्रन

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *12. श्री भास्काराव बापूराव पाटील
- 13. श्री दिनेश चन्द्र यादव
- *14. श्री आर० थामराईसेलवन
- *15. श्री अमरनाथ प्रधान
- *16. श्री संजय भोई
- *17. डॉ० निलेश एन० राणे
- 18. श्री अर्जुन चरण सेठी
- *19. श्री अशोक कुमार रावत
- 20. श्री ई० जी० सुगावनम
- 21. डॉ० रामचन्द्र डोम
- *22. श्री यशवंत एन० एस० लागुरी
- *23. श्री लक्ष्मण टुडु
- 24. श्रीमती भावना पाटील गवली
- *25. श्री ए० के० एस० विजयन
- 26. श्री पी० कुमार
- 27. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
- *28. श्री आधि शंकर
- 29. डॉ० एन० शिवप्रसाद
- *30. श्री आनंदराव अडसुल
- 31. श्री संजय सिंह चौहान
- *32. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
- 33. श्री पी० लिंगम
- *34. श्री ओ० एस० मणियन
- 35. श्री उमाशंकर सिंह

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *36. श्री एन० एस्० वी० चित्तन
- 37. श्री एन० चेलुवरया स्वामी
- *38. श्री पी० आर० नटराजन
- 39. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
- *40. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला
- 41. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
- 42. श्री लालजी टन्डन
- *43. श्री समीर भुजबल
- 44. श्री जगदम्बिका पाल
- *45. श्री नलिन कुमार कटील
- 46. श्री तुफानी सरोज
- 47. डॉ० बलीराम
- *48. श्री राजाराम पाल
- 49. श्री अब्दुल रहमान
- *50. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
- *51. श्री एंटो एंटोनी
- *52. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
- 53. श्री राधा मोहन सिंह
- *54. श्री राजेन्द्रसिंह राणा
- 55. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
- *56. श्री एस्० सेम्मलई
- 57. श्रीमती मीना सिंह
- 58. श्री एम्० बी० राजेश
- 59. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *60. श्रीमती दर्शना जरदोश
 61. डॉ० निर्मल खत्री
 62. श्री थोल तिरूमावलावन
 63. श्री जोसेफ टोप्पो
 *64. श्री निखिल कुमार चौधरी
 *65. श्री राम सिंह कस्वां
 66. श्री श्रीपाद येसो नाईक
 *67. श्री पी० टी० थॉमस
 68. श्री उदय प्रताप सिंह
 *69. श्री वीरेन्द्र कश्यप
 70. श्रीमती पुतुल कुमारी
 चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.32 बजे।

(लोक सभा बुधवार, 21 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
 महासचिव।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 7.45 बजे से रात्रि 8.32 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 21 मार्च, 2012/1 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 216

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मेंडु रेलवे स्टेशन के समीप मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक मिनी वैन की मथुरा-किशनगंज एक्सप्रेस से टक्कर होने से 15 लोगों की मृत्यु और 3 लोगों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में एक बाईक से टक्कर होने से बचने का प्रयास करते समय एक स्कूल बस के नहर में गिर जाने से 14 बच्चों की मृत्यु और 30 अन्य बच्चों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं की स्मृति और सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण मुझे योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के परिकलन संबंधी प्रतिवेदन के बारे में सर्वश्री प्रबोध पांडा और शरद यादव से प्रश्नकाल के निलंबन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

कार्य संचालन नियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्नकाल के निलंबन की मांग कर सकें।

यदि सदस्यों द्वारा उचित सूचना सभा पटल पर रखी जाती है तो मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने पर विचार करूंगी।

अतः मैंने प्रश्नकाल के निलंबन की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।”

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, राउरकेला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, राउरकेला के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(44) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने 'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मन्दा जगन्नाथ ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित “ अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं” विषय पर ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 221वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री कमल किशोर द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत बिछिया और मिहिन पुरवा रेलवे

स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षित एवं अनारक्षित रेल टिकट कॉउंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री एंटो एंटोनी द्वारा वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० एम० जगन्नाथ द्वारा राज्य स्तर पर एक संस्था स्थापित करने तथा सामाजिक संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना निधि के उचित आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए संसद में विधि अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री के० पी० धनपालन द्वारा केरल के आलवा में ईदाथाला ग्राम पंचायत स्थित क्लीनिकल रिसर्च यूनिट को एक पूर्ण यूनिट के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा मुंदरोथुरुथु रेलवे स्टेशन के नवीकरण तथा केरल के मवेलीक्कारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा और यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने हेतु धनराशि संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम के सिल्चर में भारतीय स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में हर वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए राज्य की सिकरहाना-बरही गंडक नदियों के तटबंधों को सुदृढ़ और उन्हें ऊंचा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के गिरीडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोकारो थर्मल प्लांट और चन्द्रपुरा विद्युत संयंत्र द्वारा भूमि के उपयोग हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री तूफानी सरोज द्वारा अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र धारण करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ देने के लिए दिल्ली सरकार से आग्रह किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से पर्याप्त बिजली का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में सहरसा से हटिया तक सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० रत्ना डे नाग द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिमलाईकाडु से केम्मामपट्टी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु वन्य भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी० के० बीजू द्वारा देश में कुपोषण की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री यशवंत एन० एस० लागुरी द्वारा उड़ीसा के क्यौंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री कामेश्वर बैठा द्वारा झारखण्ड के पलामू जिले में जपला स्थित सीमेंट कारखाना को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु मानदंड के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु मानदंड के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव
2. श्रीमती सुषमा स्वराज
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. डॉ० बलीराम
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री प्रबोध पांडा

8. श्री टी० आर० बालू
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. डॉ० एम० तम्बिदुरई
11. श्री कल्याण बनर्जी
12. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री वी० अरुण कुमार

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि यदि सदस्यों द्वारा सभा पटल पर उचित सूचना दी जाती है तो इस विषय पर सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, वह इस विषय पर चर्चा की अनुमति देंगी।

अपराह्न 1.04 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे माननीया राष्ट्रपति का 20 मार्च, 2012 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

‘मुझे 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद के उदगार प्राप्त हुए हैं।’

#14. लोक सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यथाघोषित और सभा द्वारा सहमत होने पर लोक सभा की शुक्रवार, 23 मार्च, 2012 के लिए नियत बैठक रद्द कर दी गई है।

अपराह्न 1.05 बजे

15. (एक) बजट (रेल)—2012-13; (दो) लेखा अनुदानों की मांगें (रेल)—2012-2013; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2011-2012; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2009-2010

लिया गया समय : 15 घन्टे 47 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मर्दे एक साथ संयुक्त चर्चा के लिए ली गई:—

(एक) बजट (रेल) 2012-13 पर सामान्य चर्चा;

सायं 5.33 बजे।

- (दो) वर्ष 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;
 (तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 6, 8 से 13 और 16; और
 (चार) वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4 से 6, 8, 9, 12, 13, और 15

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कल्याण बनर्जी
- *2. श्री एन० पीताम्बर कुरूप
- *3. श्री हरिन पाठक
- *4. श्री अधलराव शिवाजी पाटील
- *5. श्री पी० सी० गद्दीगौदर
6. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
- *7. श्री पी० एल० पुनिया
- *8. श्रीमती संतोष चौधरी
- *9. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- *10. श्री एस० आर० जेयदुरई
- *11. श्री रमाशंकर राजभर
12. श्री इंदर सिंह नामधारी
- *13. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
14. श्री रायापति सांबासिवा राव
- *15. श्री शिवराम गौडा
- *16. श्री ए० गणेशमूर्ति
17. श्री योगी आदित्यनाथ
- *18. श्री के० सी० सिंह 'बाबा'

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. डॉ० महबूब बेग
20. श्री वी० अरूण कुमार
21. श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
22. डॉ० रत्ना डे नाग
- *23. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
- *24. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
25. श्री ओम प्रकाश यादव
26. श्री दत्ता मेघे
27. कुमारी सरोज पाण्डेय
28. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- *29. श्री बिष्णु पद राय
30. श्री राधे मोहन सिंह
- *31. श्रीमती ज्योति धुर्वे
32. श्री माणिकराव एच० गावित
33. श्री सी० आर० पाटील
- *34. डॉ० प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- *35. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
- *36. श्री हरि मांझी
- *37. श्री हर्ष वर्धन
- *38. श्री पी० करूणाकरण
39. श्री जगदीश शर्मा
- *40. श्री वीरेन्द्र कुमार
- *41. डॉ० चार्ल्स डिएस
42. श्री कामेश्वर बैठा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *43. श्री मनसुखभाई बसावा
- 44. श्री एस् एस् रामासुब्बु
- *45. श्रीमती अश्वमेध देवी
- *46. श्री मुरारी लाल सिंह
- *47. श्री हरिभाऊ जावले
- *48. श्री अवतार सिंह भडाना
- 49. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण
- 50. डॉ० अजय कुमार
- 51. श्री पद्म सिंह बाजीराव पाटील
- *52. श्री विश्व मोहन कुमार
- 53. श्री के० बापीराजू
- 54. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
- 55. श्री बलीराम जाधव
- 56. श्री भर्तृहरि महताब
- *57. श्री सोहन पोटाई
- *58. डॉ० संजय जायसवाल
- *59. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- 60. श्री पोन्नम प्रभाकर
- *61. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
- *62. श्री सतपाल महाराज
- *63. श्री संजय धोत्रे
- 64. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- 65. श्री एस् के० बैसीमुथियारी
- *66. डॉ० मन्दा जगन्नाथ

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

67. श्री राकेश सचान
68. चौधरी लाल सिंह
- *69. श्री देवीधन बेसरा
- *70. श्री जी० एम० सिद्देश्वर
71. श्री अर्जुन मेघवाल
- *72. श्री राजेन गोहैन
73. डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क
- *74. श्री मकनसिंह सोलंकी
75. श्री हेमानंद बिसवाल
- *76. श्री सुरेश काशनाथ तावड़े
- *77. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *78. डॉ० पुलीन बिहारी बासके
79. श्री गणेश सिंह
- *80. श्री दुष्यंत सिंह
- *81. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
82. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
- *83. श्री नारायण सिंह अमलाबे
- *84. श्री चंदूलाल साहू
85. श्री एम० आनंदन
- *86. श्री राकेश सिंह
- *87. श्री कुंवरजीभाई एम० बावलिया
- *88. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा
89. श्रीमती जे० हेलन डेविडसन
- *90. श्री गोपाल सिंह शेखावत

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *91. श्री पी० विश्वनाथन
- 92. श्री एम० के० राघवन
- *93. श्री राजय्या सिरिसिल्ला
- *94. श्री रतन सिंह
- *95. श्री महेन्द्र कुमार राय
- 96. श्री नारनभाई कच्छड़िया
- 97. श्री प्रबोध पांडा
- 98. कुमारी मौसम नूर
- *99. डॉ० संजीव गणेश नाईक
- *100. प्रो० (डॉ०) राम शंकर
- 101. श्री ए० टी० नाना पाटील
- *102. श्री भरत राम मेघवाल
- 103. श्री भूदेव चौधरी
- *104. श्री शिवराज भैया
- *105. श्री घनश्याम अनुरागी
- *106. श्री किसनभाई वी० पटेल
- 107. श्री ललित मोहन शुक्लवैध
- 108. श्रीमती रमा देवी
- *109. श्री रमेश विश्वनाथ कट्टी
- *110. श्री मानिक टैगोर
- *111. एडवोकेट ए० सम्पत
- *112. श्री जे० एम० आरुन रशीद
- 113. प्रो० शेख सैदुल हक
- 114. श्री अशोक तंवर

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

115. श्रीमती कमला देवी पटले
- *116. श्री संजय दिना पाटील
117. श्री नरहरि महतो
- *118. श्री नवीन जिंदल
119. श्री जी० वी० हर्ष कुमार
- *120. डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
121. श्री रामसिंह राठवा
122. श्री शैलेन्द्र कुमार
123. श्री मुकेश गढ़वी
- *124. श्री शिवकुमार उदासी
125. श्री अशोक अर्गल
126. श्री मनोहर तिरकी
127. श्री मदनलाल शर्मा
128. श्री देवजी एम० पटेल
129. श्री रामकिशुन
130. डॉ० अरविन्द कुमार शर्मा
131. श्री रमेन डेका
132. श्री प्रेमदास कथीरिया
- *133. श्री चन्द्रकांत खैरे
134. श्री एस० पी० वाई० रेड्डी
135. श्री मधुसूदन यादव
136. श्री एम० कृष्णास्वामी
137. श्री कौशलेन्द्र कुमार
138. श्री के० सुधाकरन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

139. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा
140. डॉ० प्रभा किशोर ताविआड
141. श्री कमल किशोर कमांडो
142. श्री सुशील कुमार सिंह
143. श्री के० पी० धनपालन
144. डॉ० विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नु'
145. श्री भक्त चरणदास
146. श्री प्रदीप कुमार सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#9.48 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 22 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

रात्रि 9.15 बजे से रात्रि 9.48 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4669LS(S3)—21.03.2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 मार्च, 2012/2 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 217

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 122—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंट्रेप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंट्रेप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) पब्लिक एंटरप्राइजेज़ सर्वे 2010-2011 (वोल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) वर्ष 2012-2013 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) वर्ष 2012-2013 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (11) चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या सत्ताईस	चौथा सत्र, 2005
2. विवरण संख्या चौबीस	पांचवां सत्र, 2005
3. विवरण संख्या तेईस	छठा सत्र, 2005
4. विवरण संख्या तेईस	सातवां सत्र, 2006
5. विवरण संख्या बीस	आठवां सत्र, 2006
6. विवरण संख्या उन्नीस	नौवां सत्र, 2006
7. विवरण संख्या उन्नीस	दसवां सत्र, 2007
8. विवरण संख्या सत्रह	ग्यारहवां सत्र, 2007
9. विवरण संख्या सोलह	बारहवां सत्र, 2007
10. विवरण संख्या चौदह	तेरहवां सत्र, 2008
11. विवरण संख्या बारह	चौदहवां सत्र, 2008
12. विवरण संख्या ग्यारह	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|-------------------|--------------------|
| 13. | विवरण संख्या दस | दूसरा सत्र, 2009 |
| 14. | विवरण संख्या आठ | तीसरा सत्र, 2009 |
| 15. | विवरण संख्या आठ | चौथा सत्र, 2010 |
| 16. | विवरण संख्या पाँच | पांचवां सत्र, 2010 |
| 17. | विवरण संख्या चार | छठा सत्र, 2010 |
| 18. | विवरण संख्या तीन | सातवां सत्र, 2011 |
| 19. | विवरण संख्या दो | आठवां सत्र, 2011 |
| 20. | विवरण संख्या एक | नौवां सत्र, 2011 |
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (13) (एक) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों।

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

3. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।
- (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में इक्कीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।
- (4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बाईसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'कम हो चुके भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग और जल प्रदूषण की रोकथाम' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी

स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा के संबलपुर जिले के चिपिलीमा स्थित कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा देश में निजी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का सामधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एम०के० राघवन द्वारा केरल के अनिवासी भारतीयों की सुविधा हेतु केरल के कालीकट में विदेश मंत्रालय का एक अनुप्रमाणन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की संस्वीकृति और चयन हेतु मापदंडों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में नर्मदा नहर परियोजना से पेय जल तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मावली जंक्शन को बड़ी रेल लाईन से मारवाड़ जंक्शन से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा देश में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रमेन डेका द्वारा असम में बाढ़ और अपरदन की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा 'सर्द हवा' और 'पाला' को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा देश में आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति भोजन की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गजानन ध० बाबर द्वारा उपभोक्ताओं को तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक अवयवों और इसके प्रभावों के बारे में पूर्ण जानकारी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सी० राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई समुद्रतट से वेलाचेरी तक स्टेशनों का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल-बंटवारा करार करते समय पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ० अजय कुमार द्वारा स्थानीय संसद सदस्य के परामर्श से एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत विकास योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) डॉ० किरौड़ी लाल मीणा द्वारा राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत योजनाओं को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.05 बजे

6. (एक) बजट (रेल)—2012-13; (दो) लेखानुदानों की मांगें (रेल)—2012-2013; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2011-2012; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2009-2010

लिया गया समय: 16 घंटे 11 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एक साथ आगे चर्चा ली गई:—

- (एक) बजट (रेल)—2012-13 पर सामान्य चर्चा;
- (दो) वर्ष 2012-13 के बजट (रेल) के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;
- (तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 6, 8 से 13 और 16; और
- (चार) वर्ष 2009-10 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4 से 6, 8, 9, 12, 13 और 15

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री हरीश चौधरी
2. श्री के० सुगुमार
3. श्री ए० पक्कीरप्पा
4. श्री हंसराज गं० अहीर
5. श्रीमती जे० शांता
6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
7. राजकुमारी रत्ना सिंह

श्री मुकुल राय ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में सभी लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16 की वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 6, 8 से 13 और 16 की वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4 से 6, 8, 9, 12, 13 और 15 की वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012

8. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012

श्री मुकुल राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुकुल राय ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2012

10. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2012

श्री मुकुल राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुकुल राय ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

11. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2012

12. सरकारी विधेयक — पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2012

श्री मुकुल राय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुकुल राय ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 12.28 बजे

13. सरकारी संकल्प — स्वीकृत

श्री मुकुल राय द्वारा पेश किया गया निम्नलिखित संकल्प स्वीकृत हुआ:—

“कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन जिसे 30 अगस्त, 2011 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 75,77,78,79,80,81,82 और 84 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।”

*अपराहन 12.30 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

उड़ीसा के कंधमाल में सीपीआई माओवादियों द्वारा इटली के दो नागरिकों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने उड़ीसा के कंधमाल में सीपीआई माओवादियों द्वारा इटली के दो नागरिकों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. श्री निशिकांत दुबे
3. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
4. श्री जगदम्बिका पाल#

डॉ० वीरेन्द्र कुमार, डॉ० प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री रमेन डेका, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री निखिल कुमार चौधरी, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी सहयोजित हुए।

* अपराहन 12.30 बजे से अपराहन 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 12.55 बजे।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.08 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.12 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.12 बजे

15. (एक) बजट (सामान्य) — 2012-13; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) — 2012-13; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2011-12; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 2009-10

आबंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 42 मिनट

शेष समय: 6 घंटे 18 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा की गई:—

(एक) बजट (सामान्य) — 2012-13 पर चर्चा।

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांग (सामान्य) संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106

(तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58, 59 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 और 93 से 106

(चार) वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 14, 20 से 23 और 54

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री संजय बृजकिशोर लाल निरूपम
3. श्री बृजभूषण शरण सिंह
4. डॉ॰ रत्ना डे नाग
5. श्री पी॰ करुणाकरण
6. श्री आनंदराव अडसुल

7. डॉ० एम० तम्बिदुरई
8. श्री हरिन पाठक
9. डॉ० के० सांबासिवा राव
- *10. श्री राधा मोहन सिंह
11. श्री निशिकांत दुबे
12. डॉ० अजय कुमार
13. श्री अर्जुन सुभाषचन्द्र यादव
14. श्री निनोंग ईरींग

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.17 बजे

(लोक सभा सोमवार, 26 मार्च 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

#सायं 7.54 बजे से रात्रि 8.17 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 मार्च, 2012/6 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 218

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं, छठी और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सी०के० चन्द्रप्पन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर के निकट अलकनन्दा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढह जाने के फलस्वरूप 6 श्रमिकों के मारे जाने तथा 18 अन्य के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 162—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) 23 मार्च, 2012 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे क्योंकि उस दिन सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी।

23 मार्च, 2012 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर भी आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।
- (2)(एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2012 जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां 154(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (5) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 75(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए इस्पात मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का परिणामी बजट।
 (चार) वर्ष 2012-2013 के लिए भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (8) वर्ष 2012-2013 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 830(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की योग्यता और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2011 जो 24 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 831(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन नियम, 2011 जो 9 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की विधि, सेवा के निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 13 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० बी-12015/33(24)/को-ऑर्ड/2007 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह 'क' पद (संशोधन) विनियम, 2011 जो 20 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बी-12015/33(34)/को-ऑर्ड/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (10) (एक) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय माध्यस्थम परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15)(एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) बड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) उपर्युक्त मद (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19)(एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए वस्त्र मंत्रालय का परिणामी बजट।

- (28) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) वर्ष 2012-2013 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2012 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2012 को पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2012 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कमल किशोर 'कमांडो' ने रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 163वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए असम में महिसासन और सुतारकंडी को सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से बंगला देश से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा वादी पक्षों द्वारा पारस्परिक सहमति के पश्चात् मामलों को बंद किए जाने की अनुमति देने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा पेयजल के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए करोली-धौलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की जिला और मंडल प्रजा परिषद् को 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की दूसरी किस्त जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा कोच्ची-मदुरई रेल लाईन के सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा अनाथों को नागरिक अधिकार उपलब्ध कराने तथा 'अनाथ' शब्द की परिभाषा को बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा बिहार के कटिहार जिले में झौआ रेलवे स्टेशन और मीनापुर हॉल्ट स्टेशन के समीप कर्मचारीयुक्त समपारपथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राकेश सिंह द्वारा जबलपुर को अन्य शहरों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण का कार्य सौंपने तथा मध्य प्रदेश में जबलपुर-लखनादन और जबलपुर-कटनी-रीवा पर बाईपासों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा देश में उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर कर को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेलवे आरक्षण काउंटर स्थापित किए जाने तथा गौतमबुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश में खुर्जा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार में बाघा, रामनगर और नरकटीयागंज में क्रमशः लेबल क्रॉसिंग सं० 50, 31 और 22 पर सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अब्दुल रहमान द्वारा हज यात्रियों को निश्चित समय-सीमा के भीतर पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल में पानागढ़ बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री यशवंत लागुरी द्वारा उड़ीसा में कोयले की रॉयल्टी दर का नियमित रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियों से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

8. (एक) बजट (सामान्य)—2012-13; (दो) लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—2012—2013; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2011-2012; और (चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2009-2010

आबंटित समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 5 घंटे 43 मिनट

शेष समय : 6 घंटे 17 मिनट

कार्य की एक साथ ली गई निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

- (एक) बजट (सामान्य) 2012-13 पर सामान्य चर्चा;
- (दो) वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांग (सामान्य) संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106;
- (तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58, 59 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 और 93 से 106; और
- (चार) वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 14, 20 से 23 और 54

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार (भाषण अपूर्ण)

*2. श्री बालकृष्ण के० शुक्ला

*3. श्री नारनभाई कछाड़िया

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.05 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

अपराहन 2.14 बजे

माननीय उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि जो सदस्य सामान्य बजट पर अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं। निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

4. श्री राम सिंह कस्वां
5. श्री देवजी एम० पटेल
6. श्री शिवराम गौडा
7. श्री रामसिंह राठवा
8. डॉ० बीरेन्द्र कुमार
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री जोसेफ टोप्पो
11. श्री राकेश सचान
12. श्री गणेश सिंह
13. श्री मोहम्मद असरारुलहक
14. श्री महेन्द्रसिंह पी०चौहान
15. श्री हसन खान
16. श्री प्रबोध पांडा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 2.15 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 27 मार्च, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 2.00 बजे से अपराहन 2.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4755LS(S3)—26.03.2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 मार्च, 2012/7 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 219

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ

कर्नाटक के उदूपी-चिकमगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री के० जयप्रकाश हेगड़े ने कन्नड़ में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 182—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- * (1) वर्ष 2012-13 के लिए संसद, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) गुजरात सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-एक) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (बिना विधायिका के संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-दो) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) गृह मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (10) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2010-11 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(दो) संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(तीन) संस्कृति मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (18) विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) युवा कार्य और खेल मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-10 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (तीन) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।
- (23) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनिं 886(अ)/एस्सकाम/सुगर जो 16 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वर्ष 1996-1997 से वर्ष 2000-2001 सुगर सीजन के लिए अधिसूचित लेवी प्राइस को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में है।
- (दो) सांकांनिं 859(अ)/एस्सकाम/सुगर जो 5 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2007-2008 सुगर सीजन के लिए गन्ना का फैक्टरी-वार उचित और लाभकारी मूल्य अधिसूचित किया गया है।
- (24) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 340 (अ) जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिले के अंतर्गत रक्सौल में अवस्थित इमीग्रेशन चेक पोस्ट के लिए 29 फरवरी, 2012 से वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी, इमीग्रेशन ब्यूरो, रक्सौल को 29 फरवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (दो) कांआ 330 (अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत गुजरात राज्य में अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता

के लिए “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” के कृत्यों के निष्पादन के लिए मुख्य आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 2012 से नियुक्त किया गया है।

- (तीन) का०आ० 331 (अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ गुजरात राज्य के अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए मुख्य आप्रवास अधिकारी, अहमदाबाद को 29 फरवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (चार) का०आ० 146 (अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में कोझीकोड सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोझीकोड रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट और कालीकट (कोझीकोड) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कालीकट (कोझीकोड) बंदरगाह सहित मलापुरम जिले सहित कोझीकोड की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कालीकट (कोझीकोड) को 29 फरवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (पांच) का०आ० 147 (अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत कोझीकोड सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोझीकोड रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट और कालीकट (कोझीकोड) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कालीकट (कोझीकोड) बंदरगाह सहित मलापुरम जिले सहित कोझीकोड की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कालीकट (कोझीकोड) को 29 फरवरी, 2012 से “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (छह) का०आ० 148(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में कोचीन (कोच्चि) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सहित कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोच्चि और एर्नाकुलम रूरल डिस्ट्रिक्ट सहित संपूर्ण एर्नाकुलम राजस्व जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन (कोच्चि) को 31 जनवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

- (सात) का०आ० 149(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत केरल राज्य में कोचीन (कोच्चि) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सहित कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नरेट, कोच्चि और एर्नाकुलम रूरल डिस्ट्रिक्ट सहित संपूर्ण एर्नाकुलम राजस्व जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कोचीन (कोच्चि) को 31 जनवरी, 2012 से “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (आठ) का०आ० 150(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सहित सिटी और रूरल दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट से बने संपूर्ण तिरुवनंतपुरम जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तिरुवनंतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (नौ) का०आ० 151(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों और विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन सहित सिटी और रूरल दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट से बने संपूर्ण तिरुवनंतपुरम जिला की अधिकारिता के लिए विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तिरुवनंतपुरम को 31 जनवरी, 2012 से “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (25) कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान 5. विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत किए गए विवेकाधीन आवंटनों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) वर्ष 2012-13 के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) वर्ष 2012-13 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सांका०नि० 240(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) वर्ष 2012-2013 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (31) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 2011 जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 95(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के विवरण

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “दोषपूर्ण स्लीपिंग बैगों का प्रापन” के बारे में 20वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (2) “पारस्परिक रूप से सहमत अपेक्षाकृत कम मूल्य के अंगीकरण के कारण अवमूल्यन” के बारे में 79वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (3) “स्वीकृत अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय और प्रभारित विनियोग (2005-06)” के बारे में 84वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (4) “स्वीकृत अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय और प्रभारित विनियोग (2006-07)” के बारे में 26वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (5) “पनडुब्बियों के अर्जन में वेंडर को अनुचित लाभ” के बारे में 29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

- (6) “बाघ अभयारण्यों में बाघों का परिरक्षण और संरक्षण” के बारे में 34वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों 2011-2012 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2011-2012 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानन्द बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) ‘जूट क्षेत्र का विकास’ के बारे में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

* ये प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 16 फरवरी, 2012 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष (पन्द्रहवीं लोक सभा) को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (3) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
- (4) श्रम और रोजगार मंत्रालय के 'नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय—एक समीक्षा' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन की समीक्षा' के बारे में 11वां प्रतिवेदन।
- (2) 'क्षीण होते भूमिगत जल स्तर के संवर्धन, भूमिगत जल का सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, प्रयोग तथा जल प्रदूषण का निवारण' के बारे में 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

9. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एम० कृष्णास्वामी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 218वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण संबंधी 227वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्यम विभाग) से संबंधित सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 219वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण संबंधी 228वां प्रतिवेदन।
- (3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित एमएसएमई सेक्टर को ऋण सुविधाओं के बारे में 229वां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन' के बारे में श्री मंगनी लाल मंडल और श्री सैयद शाहनवाज हुसैन संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 102 के संबंध में 29.11.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.07 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाये जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा कैसर के उपचार के लिए गुरदासपुर, पंजाब में एक मल्टी-सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा में राउरकेला-इलाहाबाद (ट्रेन सं० 18109/18110) एक्सप्रेस को संबलपुर तक बढ़ाए जाने तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता संबलपुर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री कमल किशोर 'कमांडो' द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम० के० राघवन द्वारा केरल के पश्चिमी तट नहर नेटवर्क के अंतर्गत कैनोली नहर की ड्रेजिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री इज्यराज सिंह द्वारा लहसुन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा बीड़ी श्रमिकों को कल्याण और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीड़ी श्रमिकों की पहचान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना में शिक्षा को महत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री शिवराम गौडा द्वारा कर्नाटक में तुंगभद्र बांध में गाद निकाले जाने का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड की 'रौतिया', 'कोल्ह-तेली' और 'पुरन' जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 104 पर एक पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राजेश गौहैन द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर-पूर्व रेलवे के अंतर्गत मालवीय रोड-कसया रोड इंटरसेक्शन पर एक रेल उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के त्रिरूवनमलई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोलारपेट रेलवे जंक्शन पर स्थित उपरि पुल पर पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री संजय दिना पाटील द्वारा दूरदर्शन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंशकालिक रिपोर्टर्स/कैरामैनों को वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री जोस के० मणि द्वारा सभी अनिवार्य औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित किए जाने तथा अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.11 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

12. (एक) बजट (सामान्य)—2012-13; (दो) लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य)—
2012-2013; (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2011-2012; और
(चार) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2009-2010

लिया गया समय: 9 घंटे 10 मिनट

कार्य की एक साथ ली गई निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

- (एक) बजट (सामान्य) 2012-13 पर चर्चा;
- (दो) वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106;
- (तीन) वर्ष 2011-12 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58, 59 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 और 93 से 106;
- (चार) वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 14, 20 से 23 और 54

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
- *2. श्री एस० एस० रामासुब्बू
- *3. श्री पी० डी० राय

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *4. श्री देवीधन बेसरा
- *5. डॉ० पी० वेणुगोपाल
- *6. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
- *7. श्री सी० राजेन्द्रन
- *8. श्री अर्जुन मेघवाल
- *9. श्री मनसुखभाई डी० वसावा
- *10. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल
- *11. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *12. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *13. श्री ए० गणेशमूर्ति
- *14. श्री गजानन ध० बाबर
- *15. श्री रूद्रमाधव राय
- *16. डॉ० किरोड़ी लाल मीणा
- *17. श्री कमलेश पासवान
- *18. डॉ० संजीव गणेश नाईक
- *19. श्रीमती रमा देवी
- *20. श्री नलिन कुमार कटील
- *21. श्री खगेन दास
- *22. प्रो० (डॉ०) राम शंकर
- *23. श्री शिवकुमार उदासी
- *24. श्री राजेन गोहैन
- *25. श्री पी०के० बिजू
- *26. श्री एस० सेम्मलई
- *27. श्री पी० कुमार

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *28. श्री दत्ता मेघे
- *29. श्रीमती जे० हेलन डेविडसन
- *30. श्री हरिभाऊ जावले
- *31. श्री एन० पीताम्बर कुरूप
- *32. श्री आर० थामराईसेलवन
- 33. डॉ० अर्जुन राय
- 34. श्री विजय बहादुर सिंह
- *35. श्री आधि शंकर
- *36. श्री ए०के०एस० विजयन
- *37. श्री ई०जी० सुगावनम
- *38. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- *39. डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
- *40. श्री जोस के० मणि
- *41. श्री अधीर रंजन चौधरी
- *42. श्री चंदू (चंदू भैया) लाल साहू
- *43. श्री सी०आर० पाटिल
- *44. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
- *45. श्री अवतार सिंह भडाना
- *46. श्री वीरेन्द्र कश्यप
- *47. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- *48. डॉ० चार्ल्स डिएस
- *49. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
- *50. श्री मदन लाल शर्मा
- *51. श्री एंटो एंटोनी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *52. डॉ० थोकचोम मैन्या
- *53. श्री हर्ष वर्धन
- *54. श्री भक्त चरण दास
- *55. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
- *56. श्री किसनभाई वी० पटेल
- *57. श्री जगदम्बिका पाल
- *58. श्री हंसराज गं० अहीर
- *59. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- *60. श्री बदरूद्दीन अजमल
- *61. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
- *62. श्री संजय धोत्रे
- *63. श्री राव साहेब दानवे पाटिल
- *64. श्री निलेश नारायण राणे
- *65. श्री पी०सी० गद्दीगौदर
- *66. श्री सुरेश चानबासप्पा अंगडी
- *67. श्री रतन सिंह
- *68. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- *69. श्री ए०टी० नाना पाटील
- *70. श्री अशोक अर्गल
- *71. डॉ० महबूम बेग
- *72. श्रीमती ज्योति धुर्वे
- *73. श्री जे०एम० आरुन रशीद
- *74. श्री जी०एम० सिद्देश्वर
- *75. श्री प्रह्लाद वेकटेश जोशी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *76. श्री सतपाल महाराज
- 77. श्री कैलाश जोशी
- *78. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
- *79. श्री अधलराव शिवाजी पाटिल
- *80. श्री पशुपति नाथ सिंह
- *81. कुमारी सरोज पाण्डेय
- *82. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
- *83. श्री पी०एल० पुनिया
- *84. डॉ० विवेकानन्द
- *85. श्री नवीन जिंदल
- *86. श्री लक्ष्मण टुडु
- *87. श्री यशवंत एन०एस० लागुरी
- *88. श्री नारायण सिंह अमलाबे
- *89. श्री भाउसाहेब आर० वाकचौरे
- *90. श्री संजय सिंह चौहान
- *91. श्री राजय्या सिरिसिल्ला
- *92. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
- *93. श्री एम०के० राघवन
- *94. डॉ० संजय जायसवाल
- *95. श्री रमाशंकर राजभर
- *96. श्री सुदर्शन भगत
- 97. श्रीमती कमला देवी पटले
- 98. श्री जगदानंद सिंह
- *99. डॉ० विनय कुमार 'विन्तू' पाण्डेय

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *100. श्री प्रवीण सिंह ऐरन
- *101. श्री इज्यराज सिंह
- *102. डॉ० अरविंद कुमार शर्मा
- *103. श्री असादूद्दीन ओवेसी
- *104. श्री यशवंत सिन्हा
- *105. एडवोकेट पी०टी० थॉमस
- *106. श्री घनश्याम अनुरागी
- *107. श्री बंश गोपाल चौधरी
- *108. श्री एन०एस०वी० चित्तन
- *109. डॉ० महेश जोशी
- 110. श्री नामा नागेश्वर राव
- *111. श्री श्रीपाद येसो नाईक
- *112. श्रीमती सुशीला सरोज
- *113. श्री ए० सम्पत
- *114. डॉ० तरुण मंडल
- *115. डॉ० जनार्दन स्वामी
- *116. श्रीमती पुतुल कुमारी
- *117. श्री प्रेमदास कथेरिया
- *118. श्री तिरूमावलावन

श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में सभी लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106 वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में सभी अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58, 59 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91 और 93 से 106 वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 14, 20 से 23 और 54 वर्ष 2009-10 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012

14. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2012

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

17. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012

18. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#सायं 5.28 बजे

19. सदस्यों द्वारा निवेदन

नागरिक समाज द्वारा संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध कथित रूप से दिए गए अपमानजनक वक्तव्यों के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने नागरिक समाज द्वारा संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध कथित रूप से दिए गए अपमानजनक वक्तव्यों के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव

2. श्री जगदम्बिका पाल

#सायं 5.28 बजे से सायं 6.56 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री मुलायम सिंह यादव
5. श्री एस्.डी. शारिक
6. डॉ. फारूक अब्दुल्ला
7. श्री टी.के.एस. इल्लैंगोवन
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री आनंद राव अडसुल

डॉ. एम. तम्बिदुरई और श्री नामा नागेश्वर राव सहयोजित हुए।

तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, जैसा कि विदित है, लोक सभा चुनावों के लिए अपने नामांकन दाखिल करते समय इस सभा के सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंधों, आदर्श आचार संहिता तथा अन्य विधिक अपेक्षाओं के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा की जाने वाली कड़ी संवीक्षा से गुजरते हैं। उनके आचारण और कार्य का सावधानीपूर्वक आंकलन करने के पश्चात् भारत के लोग अपने विवेक के अनुसार उन्हें निर्वाचित करते हैं। अतः संसद हमारे देश के लोगों की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिम्बित करती है।

इस महान सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा को कम करने वाली कोई भी टिप्पणी अवांछनीय और पूर्णतः अस्वीकार्य है।”

सायं 6.56 बजे

(लोक सभा बुधवार, 28 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी. के. विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 मार्च, 2012/8 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 220

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुशटोला के निकट आतंकवादियों द्वारा बारूदी सुरंग से किए गए विस्फोट में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 15 अर्द्धसैनिक बल के जवानों के मारे जाने तथा अनेक अन्य लोगों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1)(एक) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- * (3) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (उपदान) संशोधन विनियम, 2012 जो 1 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएआई/पर्स/ईडीपीए/रेग/2002 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या काआ 1859 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- * (4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (चार) वर्ष 2012-2013 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परिणामी बजट।
- (पांच) वर्ष 2012-2013 के लिए अंतरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।
- (9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 2 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 115(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडांकी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस्ए०एस्० नगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस्ए०एस्० नगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी दादरा एण्ड नागर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) एच०एन०बी० गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एच०एन०बी० गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) औरोविले फाउंडेशन विल्लुपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) औरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38)(एक) यू०पी० एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यू०पी० एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40)(एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43)(एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47)(एक) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (सर्व शिक्षा अभियान), दमण के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51)(एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) वर्ष 2012-2013 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) वर्ष 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (दो) वर्ष 2012-13 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (54) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) ट्रान्सलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुडगांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60)(एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62)(एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64)(एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68)(एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72)(एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (74) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (चार) वर्ष 2012-2013 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (पांच) वर्ष 2012-2013 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (छह) वर्ष 2012-2013 के लिए योजना आयोग का परिणामी बजट।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित “खाद्य सब्सिडी और इसका उपयोग” विषय पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2009-10 के आठवें प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के संबंध में समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के संबंध में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

7. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० काकोली घोष दस्तदार ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 157वां प्रतिवेदन।
- (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011 संबंधी 158वां प्रतिवेदन।
- (3) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 159वां प्रतिवेदन।
- (4) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011 संबंधी 160वां प्रतिवेदन।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रतन सिंह अजनाला ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 225वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण संबंधी 230वां प्रतिवेदन।

- (2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 223वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण संबंधी 231वां प्रतिवेदन।
- (3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और इसकी पुनर्संरचना के बारे में 224वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण संबंधी 232वां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल को भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ले जाए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा बैंक नोट प्रेस देवास, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन की बकाया राशि को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अतिरिक्त मॉडल स्कूलों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री मानिक टैगोर द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की पारस्परिक-ज्येष्ठता नियत किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० निलेश राणे द्वारा पोरबंदर-कोचुवेली एक्सप्रेस, दादर-तिरूनेलवेली एक्सप्रेस और हापा-मडगांव एक्सप्रेस को महाराष्ट्र के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कनकवली, कुदाल और सावंतवाड़ी रोड स्थित रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस सिलेण्डरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने तथा नई रसोई गैस वितरण एजेंसियों को परमिट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 12.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (7) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर जिले में जहां खेलन गांव में फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा देश में बाल विवाह का निवारण किए जाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग के बीच विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 पर एक फ्लाई-ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा वन क्षेत्रों में, विशेष रूप से गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को अनुमति देने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) प्रो० राम शंकर द्वारा आगरा तथा देश के महानगरों के बीच विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय उच्चायोगों का नाम बदलकर ' भारतीय दूतावास ' तथा उनके प्रमुखों का नाम ' भारत के राजदूत ' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पकौड़ी लाल द्वारा वाराणसी-सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस को शक्तिनगर तक तथा बापूधाम एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में बरास्ता चुनाव और चोपण होते हुए शक्तिनगर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप बालकों की शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थानों की स्थापना करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत सिंमरी बख्तियारपुर, हसनपुर रोड और महेशखुंट को आदर्श स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० रत्ना डे नाग द्वारा एन्टीबायोटिक्स के अवांछनीय प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री ई०जी० सुगावनम द्वारा दक्षिण पेन्नार नदी पर चेक-डैम के प्रस्तावित निर्माण को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (18) डॉ० पुलीन बिहारी बासके द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री किरौड़ी लाल मीणा द्वारा यमुना नदी के जल में राजस्थान के हिस्से के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.09 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 2.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 मार्च, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 मार्च, 2012/9 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 221

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के सदस्य श्री सुधीर घोसाल के निधन के बारे में उल्लेख किया। तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 221—240 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।

- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1954 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2012, जो 17 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 296(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) जम्मू और कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1993-1994 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू और कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1993-1994 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (6) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (9) वर्ष 2012-13 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (12) वर्ष 2012-2013 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुदानों के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।

- (चार) वर्ष 2012-2013 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (14) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) वर्ष 2012-2013 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 854(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित व्यापार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 जो 23 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 3-1/अमेंड/कॉम्बरेगुं/2012/सीडी/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 69(अ) जो 6 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रक्रिया तथा बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2012 जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 8(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 68(अ) जो 6 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 190(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 191(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 192(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) वर्ष 2012-2013 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा को 27 मार्च, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा को 27 मार्च, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (तीन) कि राज्य सभा को 27 मार्च, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों 2011-12 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन*।

- (2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2011-12 के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन*।

6. विदेश संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2011-12 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित “संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011” के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने “विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011” के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का पचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ‘रेलवे में नए जोन/मंडल’ के बारे में श्री पी० सी० गद्दीगोदर और कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा 22 मार्च, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1507 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य देंगे।

अपराहन 12.05 बजे

10. ध्यानाकर्षण

श्रीमती सुषमा स्वराज ने नार्वे के प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंपत्ति से बच्चे को अलग किए जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

* ये प्रतिवेदन, अध्यक्ष लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत क्रमशः 16 फरवरी और 01 मार्च, 2012 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराहन 12.16 बजे।

विदेश मंत्री की ओर से विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 12.17 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री फ्रांसिस्को सारदीना द्वारा गोवा में विद्यमान जुआरी पुल के समानान्तर एक अन्य पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री रतन सिंह द्वारा 'ब्रज भाषा' को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री मारोतराव एस० कोवासे द्वारा नागभीड़-नागपुर मीटर गेज रेलवे लाईन को ब्रॉड गेज में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में तिरूनेलवेली रेलवे जंक्शन पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान मानदेय उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० विनय कुमार पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में राप्ती नदी पर अधुरे पुलों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुरेश अंगड़ी द्वारा कर्नाटक में अशोका सर्कल, बेलगांव के निकट सड़क को चौड़ा करने के कार्य के लिए छावनी बोर्ड की भूमि सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, असम की इकाई कछड़ पेपर मिल का पुनरुद्धार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार और झारखंड सीमा पर स्थिति तिलैया दादर सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले के गांवों में बीएसएनएल की मोबाईल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री ए०टी० नाना पाटील द्वारा केन्द्रीय विद्यालय जलगांव, महाराष्ट्र में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जौरासी गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर पैदल आवा-जाही के लिए एक ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री तूफानी सरोज द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में क्रियान्वित की जा रही नई समय-सारणी की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिल्हौर, हरदोई और सीतापुर में एनटीपीसी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री ए० सम्पत द्वारा केरल को कर्नाटक से जोड़ने वाली अंतर्राज्यीय कोट्टूर-अम्बासमुद्रम सड़क के निर्माण को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री रूद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में बेरहामपुर और फुलबनी के बीच नई रेलवे लाईन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री ओ०एस० मणियन द्वारा धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने तथा तमिलनाडु के किसानों से धान की प्राप्ति के लिए नई व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.17 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 35वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराहन 2.01 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

लिया गया समय: 4 घंटे 41 मिनट

श्री सलमान खुर्शीद द्वारा 28 दिसम्बर, 2011 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और अपने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 से 38 स्वीकृत हुए।

खण्ड 39, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 52 स्वीकृत हुए।

खण्ड 53, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 54 से 59 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री सलमान खुर्शीद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

*अपराहन 2.12 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 मार्च, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*अपराहन 2.11 बजे से अपराहन 2.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4868LS(S3)—29.03.2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 मार्च, 2012/10 चैत्र, 1934 (शक)

संख्या 222

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 242—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्क्रीनिंग परीक्षण (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 8 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-147-2010 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 जो 9 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2011 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 29 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-175-2010 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दंत चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग के खतरे को समाप्त करने संबंधी डीसीआई विनियम, 2009 जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-167-2008 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग परीक्षण विनियम, 2009 जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-147-2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रकीर्ण) विनियम, 2007 जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुए थे।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 76(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) वर्ष 2012-2013 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 64(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (14) वर्ष 2012-2013 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (16) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए पर्यटन मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (19) वर्ष 2012-2013 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकाणि 46(अ) जो 25 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम में उल्लिखित दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (24) वर्ष 2012-2013 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (26) (एक) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(28) वर्ष 2012-2013 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(29) (एक) सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) वर्ष 2012-2013 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणिं 99(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 5 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकाणिं 65 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) अरुणाचल प्रदेश राज्य मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुणाचल प्रदेश राज्य मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनी हिल्स के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनी हिल्स के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च, एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में आवास के रुझान और उसकी प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 905 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (54) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 942(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 943(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 944(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 945(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवाकर में अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(55) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सांकांनि° 824(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 03/2005-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि° 937(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकांनि° 938(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित नौ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सांकांनि° 939(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 26/2001-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सांकांनि° 940(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 21/2005-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सांकांनि° 941(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सांकांनि° 1(अ) जो 3 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सांकांनि° 25(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांकांनि 26(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के०उ०शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 81(अ) जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के०उ०शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सेनवैट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 83(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 138(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सेनवैट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 139(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकांनि 140(अ) जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा मर्चेट निर्यातक सहित किसी विनिर्माता प्रथम प्रक्रम अथवा द्वितीय प्रक्रम के डीलर, जो प्रथम दृष्टया विनिर्दिष्ट अपराधों में शामिल पाया जाता है उन पर प्रतिबंध लगाए जाने और कतिपय सुविधाएं वापस लिए जाने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित किए जाने संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांकांनि 142(अ) जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 1/2007-के०उ०शु (एन०टी०) को अधिक्रमित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांकांनि 916(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 541(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2011 जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 917(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांकांनि० 918(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 द्वारा अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और 30.12.2011 की अधिसूचना संख्या 52/2011 से उत्पन्न सेवा कर प्रतिदाय के संबंध में वित्त अधिनियम, 1944 के अध्याय 5 के अंतर्गत शक्तियों तथा 7.3.2002 की अधिसूचना संख्या 15/2002-सी०शु० (एन०टी०) में उल्लिखित अधिकारिता के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों द्वारा उसमें उल्लिखित रैंक के सीमा शुल्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांकांनि० 100(अ) जो 22 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 21/2004-के०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (56) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि० 829(अ) जो 23 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “ओपल ग्लासवेयर” पर भारत में आयात किए जाने पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 837(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, कोरिया जनवादी गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित उसमें उल्लिखित एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के सभी प्रकारों के साथ हॉट रॉल्लड फ्लैट उत्पादों के आयात पर अभिहित प्राधिकारी के प्रतिपादन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष में संस्तुत दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि० 884(अ) जो 15 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई नौप्रेषण समीक्षा पूरी होने तक मेसर्स फोशान

दिहाई ट्रेडिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मेसर्स गावायावों मार्शल सिरैमिक्स कं लि, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित कांचित टायलों से भिन्न, सेरामिक कांचित टायलों के आयात का अनंतिम मूल्यांकन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकांनि 889(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक जिसमें 13 अक्टूबर, 2012 तक और इसके सहित चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइड' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 890(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित सामग्रियों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का विनिर्धारण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 855(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 934(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 2(अ) जो 6 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक सउदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कॉस्टिक सोडा' के आयात पर 1 सितम्बर, 2012 को शामिल करते हुए उस तक अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांकांनि 12(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिल्क फ़ैब्रिक्स 20-100 ग्राम प्रति मीटर के आयात पर और पांच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 13(अ) जो 13 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपे, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 14(अ) जो 13 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इजराइल और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सभी ग्रेडों और सान्द्रताओं के फासफोरिक एसिड के आयात पर छह महीनों से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनि 15(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सेलोफेन ट्रांसपैरेंट फिल्म के आयात पर और पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकांनि 16(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 136/2009-सी॰शु॰ को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकांनि 17(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अन्तिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैक्रोन के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) सांकांनिं 21(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 70/2010-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांकांनिं 29(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में निर्यातित पथैलिक एनहाईड्राइड के आयात पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से 180 दिन की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से यथा अनुपात अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) प्रतिपाटन शुल्क (प्रतिपाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक संदत्त) प्रतिदाय नियम, 2012 जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 35(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प वस्तुओं पर तथा क्षति के निर्धारित के लिए प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) संशोधन नियम, 2012 जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 36(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांकांनिं 42(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 91/2011-सींशु को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सांकांनिं 43(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित मोर्फोलिन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांकांनिं 44(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित इनके सभी स्वरूपों में पॉलिस्टर अथवा ग्लास फाइबर से निर्मित जियोग्रिड/जियोस्ट्रैप्स/जियोस्ट्रैप्स (जिसमें सभी लंबाइयां और चौड़ाइयां शामिल हैं) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बाईस) सांकांनि 77(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोमैरिन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सांकांनि 101(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 58/2011-सींशु को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (57) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकांनि 823(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 850(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 856(अ) जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 10/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 866(अ) जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 867(अ) जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 78/2006-सींशु को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 888(अ) जो 19 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सांकांनि 894(अ) जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 895(अ) जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 8/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 907(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 85/2004-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 909(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 101/2007-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 910(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनि 911(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकांनि 912(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकांनि 924(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) सांकांनि 925(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सौलह) सांकांनि 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 151/2009-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांकांनि 927(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांकांनि 928(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांकांनि 929(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सींशु तथा 68/2006-सींशु का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सांकांनि 930(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116/2010-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांकांनि 931(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सांकांनि 932(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेईस) सांकांनिं 933(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सांकांनिं 22(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सांकांनिं 23(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या 62/2004-सींशु का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सांकांनिं 24(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 172/1994-सींशु का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सताइस) सांकांनिं 31(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अट्ठाइस) सांकांनिं 70(अ) जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सांकांनिं 82(अ) जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सांकांनिं 127(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 104/2009-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) सांकांनिं 774(अ) जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 41/99-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बत्तीस) प्रवेश बिल (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 838(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतीस) पोत परिवहन बिल (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 839(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौँतीस) सीमा-शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 840(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतीस) का० आ० 2684(अ) जो 28 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 74/2011-सी०शु० (एन०टी०) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) का०आ० 2723(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतीस) का०आ० 2798(अ) जो 15 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अड़तीस) का० आ० 2914(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 82/2011-सी०शु० (एन०टी०) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतालीस) का०आ० 2926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चालीस) का० आ० 69(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतालीस) का० आ० 72(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बयालीस) का०आ० 81(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतालीस) का० आ० 189(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 88/2011-सी०शु० (एन०टी०) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चवालीस) का० आ० 201(अ) जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतालीस) का० आ० 291(अ) जो 15 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (58) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) विवरणियों की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया स्कीम, 2011 जो 4 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 16(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) विवरणियों की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया स्कीम, 2011 जो 4 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 17(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2011 जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2724(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 2 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (59) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2011 जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2736(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2011 जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2737(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (60) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी का निर्गमन) विनियम, 2011 जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ सं० आईआरडीए/रेज०/2/56/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'मदन मोहन मालवीय की 150वीं जन्म वर्षगांठ' के अवसर पर 150 रुपए और 5

रूप के सिक्के का निर्माण नियम, 2011 जो 16 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 885(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 28)—अनुपालन लेखापरीक्षा राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद)।

(दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 29)—अनुपालन लेखापरीक्षा राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर)।

(65) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2012-2013 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) कुमारकृपा फ्रंटीयर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कुमारकृपा फ्रंटीयर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2012-2013 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (83) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा 3 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2012 जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में पुनर्नामित) की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में पुनर्नामित) का परिणामी बजट।
- (93) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र), गुडगांव के वर्ष 2010-2011 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (96) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तों) विनियम, 2012 जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्तीय पारेषण और हानियों की भागीदारी) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एल-1/44/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (97) उपर्युक्त (96) की मद सं० (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० जेईआरसी-11/2010 जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-2013 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2012-2013 के लिए विद्युत मंत्रालय का परिणामी बजट।
- (100) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (102) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।
 (दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (104) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 3 के उपखंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 397(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 (दो) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वर्ष 2012-2013 का परिणामी बजट।

3. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महाताब ने लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय वायुसेना में विमान चालकों का प्रशिक्षण' के बारे में 52वां प्रतिवेदन।
- (2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणी परियोजना नालंदा के क्रियान्वयन में असाधारण विलंब' के बारे में 53वां प्रतिवेदन।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित 'निर्यात अवसंरचना एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप विकसित करने हेतु राज्यों को सहायता (एसाइड) स्कीम' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छोटे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 93) पर समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट आगे सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2011-2012) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 29 मार्च, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा मलयालम साहित्य में योगदान के लिए प्रो० सूरानद कुंजन पिल्लै और थकाजी शिवशंकरन पिल्लै के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री हर्ष वर्धन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा मित्र को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस्० अलागिरी द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के लाभार्थियों की पेंशन को संशोधित करने तथा उनकी शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली हाथियों के मानव बस्तियों में घूमने को रोकने के लिए सौरबाड़ लगाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) मोहम्मद असरारूल हक द्वारा बिहार के कशनगंज जिले में तथा पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दीनजपुर जिले में यात्रियों को आरक्षित रेल टिकटें उपलब्ध कराने में पारदर्शिता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों से 300 मीटर के भीतर निर्माण कार्य को प्रतिषिद्ध करने वाले कानून की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एंटो एंटोनी द्वारा जीवन-रक्षक औषधियों को 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए उनकी पहचान किए जाने के लिए एक अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा जोधपुर से अहमदाबाद के बीच बरास्ता समदरी-भिल्डी पैसेंजर ट्रेन पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा महाराष्ट्र में जल्ना और खामगांव के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड में धनबाद के भुली श्रमिक नगर के मकानों में चार वर्ष से रह रहे परिवारों की बेदखली को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ० (प्रो०) रंजन प्रसाद यादव द्वारा पटना, बिहार में एम्स के निर्माण कार्य में तथा इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा उड़ीसा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 18 और राष्ट्रीय राजमार्ग 49 को दो लेन वाले से बदलकर चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री भाउसाहेब वाकचौरे द्वारा नदी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

*अपराहन 12.15 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 12.15 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012/4 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 223

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य श्री निदेश प्रताप सिंह तथा चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री एन॰के॰पी॰ साल्वे के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 262—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 19 अप्रैल, 2012 को उड़ीसा तट के समीप स्थित टेस्ट रेंज से अग्नि-5, अंतरमहाद्वीपीय वैलिस्टिक मिसाइल के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी तथा भविष्य में उनके प्रयासों के लिए सफलता की कामना की।

उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, का भी उल्लेख किया तथा पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभा की शुभकामनाएं दीं।

अपराह्न 12.04 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) संशोधन विनियमन, 2012 जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 278(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार का प्रतिवेदन, —(2011-12 का संख्यांक 27) — राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)।

- (दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार का प्रतिवेदन, — (2011-12 का संख्यांक 1) — संघ सरकार के लेखे।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) वर्ष 2010-2011 के लिए संघ सरकार—वित्त लेखा।
- (दो) वर्ष 2010-2011 के लिए संघ सरकार—विनियोग लेखा (सिविल)।
- (तीन) वर्ष 2010-2011 के लिए संघ सरकार—रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (चार) वर्ष 2010-2011 के लिए संघ सरकार—विनियोग लेखा (डाक सेवाएं)।
- (6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में इक्यावनवां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में बावनवां प्रतिवेदन।
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में तिरेपनवां प्रतिवेदन।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में चौवनवां प्रतिवेदन।

- (5) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में पचपनवां प्रतिवेदन।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा० भोला सिंह ने वर्ष 2011-12 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराहन 12.05 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

जलदस्युता विधेयक, 2012

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.18 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

- (1) श्री मानिक टैगोर द्वारा सेफ्टी मैचेस और मैच स्किलटों को फोकस उत्पाद स्कीम से विशेष फोकस उत्पाद स्कीम में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए कानून का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हर्ष वर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज होते हुए आनंद नगर और घुघुली के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप के इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप स्टेट आर्माड फोर्स के रूप में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल को केरोसीन का मासिक कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले के रजौली में परमाणुवीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई से लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, शाहाबाद और संदीला तक मेमु ट्रेने चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कराने के लिए तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बरहज और माऊ के बीच घाघरा नदी पर एक पुल का निर्माण कराने के लिए निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ० (प्र०) रंजन प्रसाद यादव द्वारा बिहार के हाजीपुर से सेंटर फॉर रेलवे इंफोर्मेशन सिस्टम को कोलकाता ले जाने संबंधित प्रस्तावित कदम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने तथा साथ ही इस विद्यालय का उच्चतर-माध्यमिक स्तर के विद्यालय के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित 'शारदा प्रतिष्ठा' की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर भद्रक और चंडीखोले के बीच के राजमार्गों की मरम्मत कराने के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री जोस के० मणि द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955 के तहत वृद्ध पेंशन- भोगियों को दी जा रही पेंशन का संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

10. सभा की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

श्री पवन कुमार बंसल ने प्रस्ताव पेश किया कि सभा के निम्नलिखित आठ सदस्यों को आज से चार दिनों तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए:—

- (1) श्री पोन्नम प्रभाकर
- (2) श्री मधु गौड यास्वी
- (3) डॉ० मंदा जगन्नाथ
- (4) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी
- (5) श्री के० आर० जी० रेड्डी
- (6) श्री राजय्या सिरिसिल्ला
- (7) श्री पी० बलराम नायक
- (8) डॉ० जी० विवेकानंद

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.05 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.30 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में लगातार व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराहन 2.30 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 अप्रैल, 2012 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 अप्रैल, 2012/5 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 224

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—286 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 287—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3269, 3271—3362, 3364—3381 और 3383—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2011, जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 2011, जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 97(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2011, जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 98(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 2830(अ) जो 19 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य को छूट प्रदान की गई है।
- (दो) कांआ 2068(अ) जो 12 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य को छूट प्रदान की गई है।
- (तीन) कांआ 1353(अ) जो 10 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता के संबंध में बिहार राज्य को छूट प्रदान की गई है।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 291(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनेजमेंट रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से सन्देश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 24 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित कर दिया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।
- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी०आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2011-12 के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (2) “रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13” के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

8. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय के संबंध में “अवैध कोयला खनन और चोरी का निवारण” के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

- (2) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।
- (4) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेइसवां प्रतिवेदन।
- (5) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

10. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती पुतुल कुमारी ने लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 233वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० ज्योति मिर्धा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 54वां प्रतिवेदन।
- (2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 55वां प्रतिवेदन।
- (3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 56वां प्रतिवेदन।
- (4) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

12. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी०सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के सर्वश्री प्रवीण राष्ट्रपाल, एस-एस० अहलुवालिया, रवि शंकर प्रसाद की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों पर राज्य सभा से तीन सदस्यों की नियुक्ति करे और राज्य सभा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.06 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) विदेश मंत्री ने “पाकिस्तान के राष्ट्रपति की 8 अप्रैल, 2012 को भारत की यात्रा” के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) नागर विमानन मंत्री ने यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार के अंतर्गत विमान के बारे में श्री असादुद्दीन ओवेसी और श्री नामा नागेश्वर राव, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 217 के 28.03.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक वक्तव्य (केवल हिन्दी संस्करण) दिया।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से श्री असादुद्दीन ओवेसी ने स्पष्टीकारक प्रश्न पूछा। नागर विमानन मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

(तीन) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 1.15 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

* अपराहन 12.15 बजे से अपराहन 01.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (1) श्री सतपाल महाराज द्वारा गोपेश्वर आकाशवाणी केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किए जाने तथा उत्तराखण्ड के पौड़ी स्थित आकाशवाणी केन्द्र के कवरेज में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के तडोबा और पेंच राष्ट्रीय उद्यानों में निवास कर रहे ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए निधियां जारी किए जाने, एक विशेष बाघ संरक्षण बल गठित करने तथा नागपुर को विश्व बाघ राजधानी घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा में विशेषकर भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे किसानों को, जिनकी फसलें तुषारपात के कारण नष्ट हो गई हैं, पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री दत्ता आर० मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा दिल्ली से केरल तक विशेष ट्रेनें चलाए जाने तथा केरल जाने वाली ट्रेनों में डकैती की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में “आंवला” आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री श्रीकांत दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना के ‘खेतौरी’, ‘भुइयां’, ‘घटवल’, ‘भुइयां-घटवल’, ‘पेरियर’, और ‘कादर’ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा इंदौर और बेतुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59ए को चार लेन वाला बनाए जाने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा आयकर से गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा रामेश्वरम और तिरूवन्नामलई होते हुए कन्याकुमारी से दिल्ली तक प्रतिदिन ‘विवेकानंद एक्सप्रेस’ ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री पी० के० बीजू द्वारा वित्तीय संकट का सामना कर रहे भारत संचार निगम लिमिटेड को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्री प्रबोध पांडा द्वारा रेलवे द्वारा आबंटित एसटीडी/पीसीओ बूथ चला रहे भिन्न-रूप-से-समर्थ व्यक्तियों को अतिरिक्त विविध मदों की बिक्री की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा किसानों से खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(लोक सभा अपराहन 1.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.18 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.18 बजे

15. बजट (रेल)—2012-2013

लिया गया समय: 4 घंटे 11 मिनट

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों 1 से 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

152 कटौती प्रस्ताव (65 से 67, 84, 86 से 90, 92 और 93, 95, 104, 107 से 114, 491 से 535, 536 से 554, 555 से 604 और 605 से 620) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- (2) श्री प्रताप सिंह बाजवा
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) श्री दारा सिंह चौहान
- (5) श्रीमती मीना सिंह
- (6) डॉ॰ रामचन्द्र डोम
- (7) एडवोकेट श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
- (8) श्री नामा नागेश्वर राव
- (9) श्री लालू प्रसाद
- (10) श्री अर्जुन चरण सेठी
- *(11) श्री आनंद प्रकाश परांजपे

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(12) श्री महेश्वर हजारी
- *(13) श्री एस्.एस्. रामासुब्बू
- (14) श्री प्रबोध पांडा
- *(15) डॉ. किरिट पी. सोलंकी
- (16) श्री ओ. एस्. मणियन
- *(17) श्री रतन सिंह
- (18) श्रीमती विजया चक्रवर्ती
- *(19) श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला
- (20) श्री संजय निरूपम
- *(21) श्री पी. कुमार
- *(22) श्री पी. वेणुगोपाल
- (23) श्री शेर सिंह घुबाया
- (24) श्री शरीफुद्दीन शारिक
- *(25) श्री सी. राजेन्द्रन
- *(26) श्री सतपाल महाराज
- (27) श्री नरहरि महतो
- (28) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
- (29) श्री संजीव गणेश नाईक
- (30) श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण
- (31) श्री मानिक टैगोर
- (32) श्री जोस के. मणि
- (33) डॉ. तरुण मंडल
- (34) श्री रामकिशुन
- (35) श्री धनंजय सिंह
- (36) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (37) डॉ० चार्ल्स डिएस
- (38) डॉ० राजन सुशांत
- (39) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

***16. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 6.29 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 26 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* अपराह्न 5.18 बजे।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 अप्रैल, 2012/6 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 225

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी, नौवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बृज भूषण तिवारी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—303 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 304—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3491, 3493—3670 और 3672—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (3) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) एण्ड्रू यूले ग्रुप और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (6) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि (संशोधन) नियम, 2011 जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 27(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी 55वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) बीको लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (14) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नालाजी, रायबरेली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नालाजी, रायबरेली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) लागत लेखाविधि अभिलेख (दूरसंचार उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 869(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) लागत लेखाविधि अभिलेख (पेट्रोलियम उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 870(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) लागत लेखाविधि अभिलेख (विद्युत उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 871(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) लागत लेखाविधि अभिलेख (चीनी उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 872(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) लागत लेखाविधि अभिलेख (उर्वरक उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 873(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) लागत लेखाविधि अभिलेख (भेषज उद्योग) नियम, 2011 जो 7 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 874(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) वर्ष 2012-2013 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च (पूर्व में सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च), बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च (पूर्व में सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च), बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'नागर विमानन का विकास और विनियमन' विषय के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'मोबाइल टेलीफोनी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की भूमिका और कार्यकरण' के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'स्वर्ण चतुर्भुज के क्रियान्वयन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना' के बारे में प्राक्कलन समिति के 11वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
- (4) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय पत्तन-अवसंरचना विकास और क्षमता उन्नयन' के बारे में प्राक्कलन समिति के 9वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० सी० गद्दीगौदर ने 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 242वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री पी० सी० गद्दीगौदर ने 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(दो) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने आईएसआरओ द्वारा पीएसएलवी-सी 19 के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से रडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (आरआईएसएटी-1) का प्रक्षेपण किए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 25 अप्रैल, 2012 को सभा में प्रस्तुत छत्तीसवें प्रतिवेदन से इस आशोधन के अध्यक्षीन सहमत है कि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान 2.5.2012 की बजाए 30.4.2012 को किया जाए तथा गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान 30.4.2012 की बजाए 2.5.2012 को किया जाए।”

प्रस्ताव यथाआशोधित स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.05 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.30 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे गांवों में सिंचाई सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली विशेषकर उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवासीय और अन्य नागरिक सुविधाएं दिए जाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस्.एस. रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु विशेषकर तिरुनेलवेली जिले में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविजम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भगीरथी नदी पर नाशीपुर-अजीमगंज रेल पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री आर० धुवनारायण द्वारा कर्नाटक सरकार को राज्य के अकाल प्रभावित भागों में राहत कार्य करने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान को विभिन्न जल समझौतों के अनुसार जल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हंसराज जी० अहीर द्वारा वन बाहुल्य क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं दिए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा बीना से मथुरा के बीच अतिरिक्त रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दी जा रही मजदूरी में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे किसानों को उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले में पुरातत्वीय महत्व के स्थलों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री एस० सेम्मलई द्वारा आयकर की मूल्यांकन और अधिरोपण प्रक्रिया में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.03 बजे

13. बजट (रेल) — 2012-2013

लिया गया समय: 4 घंटे 36 मिनट

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों 1 से 16 पर आगे चर्चा जारी रही।

25.4.2012 को 152 कटौती प्रस्ताव (65 से 67, 84, 86 से 90, 92 और 93, 95, 104, 107 से 114, 491 से 535, 536 से 554, 555 से 604 और 605 से 620) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखा:—

- (1) श्री भरत राम मेघवाल
- (2) श्री प्रेमचंद गुड्डू
- (3) डॉ० पन्ना लाल पुनिया
- (4) डॉ० वीरेन्द्र कुमार
- (5) श्री हंसराज गं० अहीर
- (6) श्री आर० थामराईसेलवन
- (7) श्री के० सुगुमार

श्री मुकुल राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी मांगें संख्यांक 1 से 16 जैसा कि वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाया गया है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2012

15. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2012

श्री मुकुल राय द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुकुल राय ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 2.28 बजे

16. बजट (सामान्य) — 2012-2013 — अनुदानों की मांगें

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 9 मिनट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 46 से 49 पर चर्चा आरंभ हुई।

33 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 2 से 5, 16 और 17, 34 से 45, 46 से 53, 62 से 67 और 77) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) कुंवर रेवती रमण सिंह
- (2) श्री चिंता मोहन
- (3) डॉ० संजय जायसवाल
- (4) श्री गोरखनाथ पाण्डेय
- (5) श्री अर्जुन राय
- * (6) श्री जोस के० मणि
- * (7) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण
- * (8) डॉ० अनूप कुमार साहा
- (9) श्री अर्जुन चरण सेठी
- * (10) श्री हरीश चौधरी
- (11) डॉ० पद्मसिंह बी० पाटील
- (12) डॉ० ज्योति मिर्धा
- * (13) सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा
- * (14) श्री रतन सिंह
- * (15) श्री नारनभाई कछाड़िया

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (16) डॉ० पी० वेणुगोपाल
 *(17) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल
 (18) डॉ० किरिट पी० सोलंकी
 (19) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
 *(20) डॉ० वीरेन्द्र कुमार
 *(21) श्री के० सुगुमार
 *(22) श्री पी० कुमार
 (23) श्री नामा नागेश्वर राव
 *(24) श्री अर्जुन राम मेघवाल
 (25) श्रीमती भावना गवली पाटील सुर्वे
 *(26) श्री सी० राजेन्द्रन
 (27) श्री एम० आई० शानवास
 (28) श्री योगी आदित्यनाथ
 (29) श्री प्रबोध पांडा
 (30) श्री शरीफुद्दीन शारिक
 *(31) श्री एस० सेम्मलई
 *(32) श्री पी० टी० थॉमस
 *(33) डॉ० पन्ना लाल पुनिया
 (34) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
 *(35) श्री राम सिंह कस्वां
 (36) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
 *(37) श्री ओ० एस्० मणियन
 (38) श्री सतपाल महाराज
 (39) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (40) डॉ० अजय कुमार
(41) श्री प्रेम दास राय
(42) डॉ० तरुण मंडल
(43) श्री विष्णु पद राय
(44) श्री शैलेन्द्र कुमार
*(45) श्री घनश्याम अनुरागी
(46) श्री तिरुमावलावन थोल
(47) श्री जगदम्बिका पाल
(48) डॉ० राजन सुशान्त
(49) श्री जय प्रकाश अग्रवाल
(50) श्री रामकिशुन
(51) श्री एस० एस० रामासुब्बू
(52) श्री एन० पीताम्बर कुरूप
चर्चा समाप्त नहीं हुई।

\$रात्रि 8.34 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

\$ सायं 7.38 बजे से रात्रि 8.34 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 2012/7 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 226

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321—325 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.28 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 326—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3725, 3727—3865 और 3867—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गाँधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गाँधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 28(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च, 2012 को लोक सभा में यथा घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सेवा कर परिवर्तनों से संबंधित अधिसूचना संख्या सांकाणि 199(अ) से सांकाणि 213(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च, 2012 को लोक सभा में यथा घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभारों से संबंधित अधिसूचना संख्या सांकाणि 156(अ) से सांकाणि 182(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकाणि 128(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जनवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या 3/89-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनि 129(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन इस संबंध में विदेश व्यापार नीति में यथा अधिसूचित प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग के बाद कटे और पॉलिश किए गए हीरों के पुनः आयात पर सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 183(अ) से सांकांनि 189(अ) तथा सांकांनि 192(अ) से सांकांनि 198(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च, 2012 को लोक सभा में यथा घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क परिवर्तनों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (16) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1956 के नियम 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 214(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 2/2003-एम एंड टीपी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (17) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 84 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर (संशोधन) नियम, 2012 जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (18) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 111(अ) जो 29 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 30/2008-सीशु को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 118(अ) जो 5 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/2007-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 190(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना

संख्या 42/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 191(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 230/1986-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 13 मार्च, 2012 को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् पन्द्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे:—

- (1) विनियोग (रेल) विधेयक, 2012;
- (2) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2012;

- (3) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012;
- (4) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012;
- (5) विनियोग विधेयक, 2012; और
- (6) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2012

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत किए:—

- (1) दिल्ली-गुड़गांव परियोजना के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी के बारे में 15वीं लोक सभा के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।
- (2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा अधिशेष भूमि और भवनों की बिक्री के बारे में 15वीं लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय से संबंधित 'अनुदान संख्या 1 की समीक्षा—कृषि और सहकारिता विभाग' के बारे में 56वां प्रतिवेदन।
- (2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'पर्यावरण और वन मंत्रालय का निष्पादन' के बारे में 57वां प्रतिवेदन।
- (3) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (2010-11) के बारे में की-गई-कार्यवाही टिप्पणियों के समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किए जाने' के बारे में 58वां प्रतिवेदन।
- (4) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'भूमि और विकास कार्यालय का कार्यकरण' के बारे में 59वां प्रतिवेदन।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “पंजाब और सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं” के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने ‘पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13)’ के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 174वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री रेवती रमन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के श्री एस०एस० अहलुवालिया के राज्य सभा से अवकाशप्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 30 अप्रैल, 2012 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.03 बजे

14. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.09 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

15. बजट (सामान्य)—2012-2013—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 6 घंटे 29 मिनट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 46 से 49 पर आगे चर्चा जारी रही।

26.4.2012 को 33 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 2 से 5, 16 और 17, 34 से 45, 46 से 53, 62 से 67 और 77) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री हंसराज गं० अहीर
- (2) श्री आर० थामराईसेलवन

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों सं० 46 से 49 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

*अपराहन 3.20 बजे

16. सदस्य द्वारा निवेदन

डॉ० (श्रीमती) ज्योति मिर्धा ने कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को वाणिज्य श्रेणी सूची से हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री राज बब्बर, प्रताप सिंह बाजवा, मदन लाल शर्मा, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, सज्जन सिंह वर्मा, थोकचोम मैन्या, श्रीमती दीपा दासमुंशी, डॉ० (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड, डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण और डॉ० पन्ना लाल पुनिया सहयोजित हुए।

श्री हरीश रावत ने उत्तर दिया।

अपराहन 4.00 बजे

17. प्रस्ताव

श्री एस० सेम्मलई ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 1 दिसम्बर, 2011, 21 मार्च, 28 मार्च और 26 अप्रैल, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमशः 22वें, 23वें, 24वें और 25 वें प्रतिवेदनों से इन उपांतरणों के अध्यक्षीन सहमत है कि,—

(एक) 22वें प्रतिवेदन के पैरा 7 और पैरा 8 के उप-पैरा (पांच); और

(दो) संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 24वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

- (1) डॉ० संजीव गणेश नाईक का तटीय परिक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011
- (2) श्री वैजयंत पांडा का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी अंतरण का चरणबद्ध निगमन विधेयक, 2011
- (3) श्रीमती विजया चक्रवर्ती का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (भाग 2 का संशोधन)।

* अपराहन 3.20 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री के० मुरूगेसन आनंदन का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुसूची का संशोधन)।
- (5) श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन)।
- (6) श्री जगदम्बिका पाल का राष्ट्रीय बागवानी विकास आयोग विधेयक, 2011
- (7) श्रीमती सुमित्रा महाजन का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 164क का संशोधन)।
- (8) श्री जगदम्बिका पाल का परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
- (9) श्री जगदम्बिका पाल का पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2011
- (10) श्री ओम प्रकाश यादव का मलिन बस्तियों तथा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक, 2011
- (11) श्रीमती विजया चक्रवर्ती का देश में विदेशी राष्ट्रिक अंतर्वाह निवारण विधेयक, 2011
- (12) श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन)।
- (13) श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (नए अनुच्छेद 30क का अंतःस्थापन)।
- (14) श्री पी० टी० थामस का समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2011
- (15) श्री हंसराज गं० अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)।
- (16) श्री हंसराज गं० अहीर का विद्यालयों में अनिवार्य खेल शिक्षा विधेयक, 2011
- (17) श्री हंसराज गं० अहीर का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)।
- (18) श्री हंसराज गं० अहीर का मानसिक विमंदित बालक (कल्याण) विधेयक, 2012
- (19) श्री अधीर रंजन चौधरी का मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2011
- (20) श्री पन्ना लाल पुनिया का दलित और पिछड़े युवा कल्याण, विधेयक, 2011
- (21) श्री प्रताप सिंह बाजवा का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (नई धारा 3ख का अंतःस्थापन, आदि)।

- (22) श्री एस्० सेम्मलई का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 6 का संशोधन, आदि) ।
- (23) श्री एम्० के० राघवन का नारियल उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2011
- (24) श्री एम्० के० राघवन का एयरलाइंस (प्रतिकर का भुगतान) विधेयक, 2011
- (25) श्री एम्० के० राघवन का स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2011
- (26) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय का प्रतिषेध विधेयक, 2011
- (27) श्री अर्जुन मेघवाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (धार 124क का लोप) ।
- (28) श्री पन्ना लाल पुनिया का हथकरघा बुनकर (कल्याण) विधेयक, 2011
- (29) श्री जयंत चौधरी का सूचना का अधिकार (संशोधन)विधेयक, 2012 (धारा 2का संशोधन, आदि) ।
- (30) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 171 का संशोधन) ।
- (31) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुसूची का संशोधन) ।
- (32) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ का नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 5 का संशोधन) ।
- (33) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना विधेयक, 2012
- (34) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का अगम्यागमन अपराध विधेयक, 2012
- (35) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2012
- (36) श्री मनीष तिवारी का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 13 का संशोधन) ।
- (37) डॉ० किरीट पी० सोलंकी का विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी विधेयक, 2012
- (38) डॉ० किरीट पी० सोलंकी का अशिष्ट विज्ञापन प्रतिषेध विधेयक, 2012

- (39) डॉ० किरिट पी० सोलंकी का बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2012
- (40) श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)।
- (41) श्री अधीर रंजन चौधरी का कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक, 2012
- (42) डॉ० थोकचोम मैन्या का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 371गक का अंतःस्थापन)।
- (43) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 22क का अंतःस्थापन)।
- (44) डॉ० भोला सिंह का ग्रामीण विद्युतीकरण विधेयक, 2012
- (45) श्री रमेन डेका का मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी शिक्षा का उपबंध विधेयक, 2012
- (46) श्री पन्ना लाल पुनिया का नमक कर्मकार कल्याण विधेयक, 2012
- (47) डॉ० शशी थरूर का राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना विधेयक, 2012
- (48) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012
- (49) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निगम विधेयक, 2012
- (50) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का वाणिज्य फसल कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2012
- (51) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का अनुसूचित जाति बस्तियां (आधारभूत) सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2012
- (52) श्री अर्जुन मेघवाल का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 377 का संशोधन)।
- (53) श्री अर्जुन मेघवाल का गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012 (नई धारा 16ख का अंतःस्थापन, आदि)।

अपराह्न 4.36 बजे

19. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिए गए

- (1) श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 6 से 8 का संशोधन)।
- (2) डॉ० भोला सिंह का पटना विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

अपराह्न 4.37 बजे

- (3) श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

श्री सतपाल महाराज द्वारा 19 अगस्त, 2011 को विचार के लिए पेश किए गए विधेयक पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री नवीन जिन्दल
- (2) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- (3) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल
- (5) श्री एस्० सेम्मलई
- (6) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
- (7) श्री बद्रीराम जाखड़
- (8) श्री जगदम्बिका पाल
- (9) श्री महाबल मिश्रा
- (10) श्री कमल किशोर
- (11) श्री जितेन्द्र सिंह

श्री सतपाल महाराज ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सांय 6.15 बजे

20. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

श्री ओम प्रकाश यादव का जादू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010

श्री ओम प्रकाश यादव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सांय 6.16 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 अप्रैल, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 अप्रैल, 2012/10 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 227

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 और 342 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 343—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वित्तीय अनुमानों और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांस्कृतिक 228(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) वर्ष 2012-2013 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के परिणामी बजट* के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2010-2011 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (1) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (3) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (4) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (5) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (6) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (7) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

*परिणामी बजट 28.03.2012 को सभा पटल पर रखा गया।

- (8) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) जी०बी० पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जी०बी० पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 266(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2012 जो 16 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (18) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ° 1754 (अ) जो 28 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या कांआ° 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) कांआ° 264 (अ) जो 13 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या कांआ° 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) कांआ° 2609 (अ) जो 22 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या कांआ° 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) वेस्ट बंगाल कंसल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) वेस्ट बंगाल कंसल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (23) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक, उप-मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक (अर्हता और अनुभव) नियम, 2012 जो

- 7 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 124(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) एनटीसी लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 34 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक पूर्व डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम अध्यादेश, 2007 जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या निफ्ट/डीसी/06-07/डिग्री/42 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यादेश, 2012 जो 5 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या निफ्ट/डीसी/06-07/डिग्री/42 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान के प्रथम परिनियम, 2012 जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० निफ्ट/एचओ/एसीटी-परिनियम/2007-खंड III में प्रकाशित हुए थे।
- (26) उपर्युक्त (25) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (30) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का०आ० 1463(अ) और का०आ० 1464(अ) जो 27 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़-कोटा-बारन-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1203(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 1588(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडन-सिवनी-मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1589(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1679(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (छह) का०आ० 1680(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (द्वारका-राजस्थान/गुजरात सीमा) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (सात) का०आ० 1681(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (पिंडवाड़ा-उदयपुर खण्ड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पिंडवाड़ा से

राजस्थान/गुजरात सीमा खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।

- (आठ) का०आ० 1849(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-होसकोट-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 3045(अ) जो 24 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवनम-तिरुवनमलई-कृष्णागिरि खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (दस) का०आ० 3059(अ) जो 30 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-कोंधाली-तालेगांव खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 104(अ) जो 18 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली/हरियाणा सीमा-हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा खण्ड) (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा-कानपुर खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 2852(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2331(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेरह) का०आ० 2794(अ) जो 16 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से बारवा अड्डा खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2764(अ) जो 10 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (बामनबोर से समखियाली से गांधीधाम खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 940(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण,

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (सोलह) का०आ० 986(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1556(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (बिलासपुर-नेर चौक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, एनएचएआई, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1574(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का०आ० 1317(अ) जो 7 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 1138(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 968(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाइस) का०आ० 1561(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तेइस) का०आ० 1555(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1553(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 985(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का०आ० 1360(अ) और का०आ० 1361(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (रायबरेली-जौनपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 1550(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नेर चौक-मनाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, बिलासपुर जिला, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (31) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैन्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैन्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 27 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 को पारित कर दिया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौतीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों 2012-13' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का विवरण

श्री ए० के० एस्० विजयन ने "रेडक्रास जैसे प्रतिष्ठित सेवा संगठनों आदि द्वारा एम्बुलेंस के अर्जन के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि उपलब्ध कराए जाने" के विषय पर समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के

अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतिम रूप से की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दयानिधि मारन ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 100वां प्रतिवेदन।
- (2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

10. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 161वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री ज्योतिरादित्य एम० सिंधिया की ओर से श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

13. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012

अपराह्न 12.06 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मिनीकोय में रक्षा विमानपत्तन परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ॰ शशी थरूर द्वारा भुखमरी की घटनाओं तथा भुखमरी की हालत में रहने वाले व्यक्तियों की सही पहचान करने और उन्हें राहत दिए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्पाद शुल्क, स्रोत पर लगाए जाने वाले कर को खत्म किए जाने तथा नॉन-ब्रांडेड सोने के जेवरात पर उत्पाद शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सरसों की तेल-निर्माणियों को कर-छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात को प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अनुसार सीएनजी का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री माकनसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के बरवानी जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री गणेश सिंह द्वारा सीमेंट कंपनियों द्वारा सीमेंट की उचित पैकिंग सुनिश्चित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ऐसे किसानों जिनकी भूमि वायु सेना द्वारा अधिगृहीत की गई है, को शीघ्र मुआवजे का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कपास मिलों के कारण हो रहे वायु और जल प्रदूषण को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में तैतारिया मोड़ से कोइरीडीह के बीच सड़क को पक्की सड़क में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ० रत्ना डे नाग द्वारा खाद्य मर्दों का अपमिश्रण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री ए० के० एस० विजयन द्वारा तमिलनाडु में तिरूवरूर-तिरूतुराईपूंडी-पट्टूकोटाई रेल लाईन का वरीयता पर निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार को केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.06 बजे

15. सदस्य द्वारा निवेदन

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के बारे में

श्री पन्ना लान पुनिया ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के बारे में निवेदन किया।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, डॉ० किरिट पी० सोलंकी, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ० बलीराम, सर्वश्री रघुवीर सिंह मीणा, सज्जन सिंह वर्मा, महिन्दर सिंह केपी, पी० टी० थॉमस, कमल किशोर, अर्जुन राम मेघवाल और श्रीमती संतोष चौधरी सहयोजित हुए।

श्री वी० नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.24 बजे पुनः समवेत हुई।)

* अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 1.21 बजे तक सदस्यों ने अविजम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.24 बजे

16. बजट (सामान्य)—2012-2013—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 4 घंटे 28 मिनट

शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 101 से 103 पर चर्चा आरंभ हुई।

7 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 5 और 42 से 47) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री संजय निरूपम
- (2) श्री लालजी टंडन
- * (3) श्री आर० थमराईसेलवन
- * (4) श्री प्रेमचंद गुड्डु
- (5) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (6) श्री विजय बहादुर सिंह
- * (7) श्री एन० पीताम्बर कुरूप
- * (8) श्री जगदीश शर्मा
- (9) प्रो० सौगत राय
- * (10) श्री नारनभाई कछाड़िया
- (11) डा० संजीव गणेश नाईक
- (12) श्री के० शिवकुमार उर्फ जे० के० रितीश
- (13) श्री पी० के० बिजू
- (14) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव
- (15) श्री उमाशंकर सिंह
- * (16) डॉ० (श्रीमती) ज्योति धुर्वे
- * (17) डॉ० चार्ल्स डिएस

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (18) श्री एस्० सेम्मलई
 (19) श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा
 *(20) श्रीमती संतोष चौधरी
 (21) डॉ० रतन सिंह अजनाला
 (22) श्री पी० लिंगम
 (23) श्री प्रहलाद जोशी
 *(24) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
 *(25) डॉ० अरविन्द शर्मा
 (26) श्री मनोहर तिरकी
 (27) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
 *(28) श्री उदय प्रताप सिंह
 *(29) श्री धनंजय सिंह
 (30) श्री एस्० के० बेसीमुथियारी
 (31) श्री महिन्द्र सिंह केपी
 (32) श्री राजेन्द्र अग्रवाल
 (33) श्री जय प्रकाश अग्रवाल
 *(34) श्री एस्० एस्० रामासुब्बू
 *(35) श्री नारायण सिंह अमलाबे
 (36) श्री माकनसिंह सोलंकी
 *(37) श्री रतन सिंह
 (38) श्रीमती दर्शना जरदोश
 (39) श्री महाबल मिश्रा
 *(40) श्रीमती पुतुल कुमारी
 श्री कमल नाथ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
 सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों सं० 101 से 103 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.52 बजे

(लोक सभा बुधवार, 02 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 2 मई, 2012/12 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 228

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 29 अप्रैल, 2012 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट हुई सड़क दुर्घटना के बारे में उल्लेख किया जिसमें लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए।

उन्होंने 29 अप्रैल, 2012 को बिजली गिरने की दो घटनाओं का भी उल्लेख किया जिसमें आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में 17 लोगों तथा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य अनेक घायल हो गए।

उन्होंने सोमवार, 30 अप्रैल, 2012 को असम के धुबरी जिले में हुई एक घटना के बारे में भी उल्लेख किया जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी में एक नौका डूबने से कथित रूप से 100 व्यक्ति डूब गए तथा लगभग 200 व्यक्ति लापता हो गए।

उन्होंने एक अन्य दुखद घटना के बारे में भी उल्लेख किया जिसमें पिछले कुछ दिनों के दौरान त्रिपुरा के विभिन्न भागों में वर्षा और ओला वृष्टि के साथ आए एक तूफान के कारण 7 लोगों के मारे जाने तथा 175 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है और फसलों एवं पशुधन को क्षति पहुंची है।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 362—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2011, जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) संशोधन नियम, 2012, जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (7) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2012, जो 16 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 93(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2012, जो 16 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 94(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 145(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012, जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 146(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 216(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (14) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (15) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (16) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2012, जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तराखण्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, संगरूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, संगरूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 जो 6 अप्रैल, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (42) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 2011 को पारित प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।
- (दो) कि 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 2011 को पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित किया जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

महासचिव ने प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012 को सभा पटल पर रखा, जिन्हें राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटा दिया है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-12) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौतीसवां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अशोक कुमार रावत ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पन्ना लाल पुनिया ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (एक) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन।

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुस्मिता बाउरी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.05 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *पाकिस्तान, विशेष रूप से सिंध में हिन्दुओं के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में*

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने पाकिस्तान, विशेष रूप से सिंध में हिन्दुओं के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में एक निवेदन किया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ० किरीट पी० सोलंकी, डॉ० वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती पूनम वी० जाट, सर्वश्री गोविंद प्रसाद मिश्रा, जितेन्द्र सिंह, राजेन्द्र अग्रवाल, भर्तृहरि महताब, शिवकुमार उदासी, शिवराम गौड़ा, रमेश विश्वनाथ कट्टी, ए० टी० नाना पाटील, रमन डेका, डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण, डॉ० संजय जायसवाल, डॉ० प्रशांत कुमार पाटसाणी और श्री आनंदराव अडसुल सहयोजित हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.24 बजे

(दो) *गुजरात दिवस समारोह के अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य पर कथित हमले और दुर्व्यवहार के बारे में*

डॉ० गिरिजा व्यास ने गुजरात दिवस समारोह के अवसर पर राज्य पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य पर कथित हमले और दुर्व्यवहार के बारे में निवेदन किया।

*अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

निम्नलिखित सदस्य भी बोले:—

- (1) श्रीमती सुषमा स्वराज
- (2) डॉ० एम० तम्बिदुरई
- (3) श्री लालू प्रसाद
- (4) श्री गुरुदास दासगुप्त
- (5) श्री बसुदेव आचार्य
- (6) श्री कुंवर रेवती रमन सिंह
- (7) श्री विजय बहादुर सिंह

श्री एस० एस० रामासुब्बू और श्री पन्ना लाल पुनिया सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.01 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

- (1) श्री एम० के० राघवन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए केरल में कालीकट को केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा बीएड पाठ्यचर्या में 'खेलों' को एक विषय के रूप में शामिल किए जाने से पूर्व इसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा विद्यालयों में दोपहर के भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित सेना स्टेशन की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के० पी० धनपालन द्वारा केरल में चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी परिवारों के लिए मिट्टी के तेल के मासिक कोटे में वृद्धि किए जाने तथा उन्हें बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा बीस लाख और अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तपोषण के व्यवहार्यता अंतर में 20% से 40% तक की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राजेन गोहेन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बारहमासी बाढ़ की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर खण्ड में अप्रयुक्त रेलवे स्टेशनों को बंद किए जाने तथा नए स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० भोला सिंह द्वारा बिहार के सूखा प्रभावित नवादा और शेखपुरा जिलों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा राजस्थान में पंचना बांध की ऊंचाई को स्वीकृति सीमा के अनुसार कम किए जाने तथा प्रस्तावित अनीकुट/सरफेस बैरियर के कार्य को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में अंतर्राज्यीय उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के भाग कुटकु बांध के लौह द्वार का निर्माण करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में सलेम रेलवे डिवीजन कार्यालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा-बुडामारा खंड को चकुलिया से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा स्टैकधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी निर्यात नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री प्रबोध पांडा द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच एक दूसरे की सीमा में विदेशी अंतः क्षेत्र के विनियमन के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री राजू शेटी द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए जाने तथा कृषि आयात-निर्यात नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

13. बजट (सामान्य)—2012-2013—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 6 घंटे 05 मिनट

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 52 से 56 पर चर्चा आरंभ हुई।

तेरह कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1, 2, 52 और 53, 66, 70 से 77) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्री नीरज शेखर
4. डॉ० बलीराम
- *5. श्री गणेशराव दूधगांवकर
- *6. श्री जोस के० मणि
- *7. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *8. डॉ० रत्ना डे
- *9. श्री आर० थामराईसेलवन
- *10. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा
11. श्री विश्व मोहन कुमार
- *12. श्रीमती रमा देवी
13. श्री सुवेन्दु अधिकारी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *14. डॉ० किरिट पी० सोलंकी
- 15. श्री शिवकुमार उर्फ जे० के० रितीश
- 16. श्री खगेन दास
- *17. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- 18. श्री पिनाकी मिश्रा
- 19. श्री आनंदराव अडसुल
- *20. श्री एस० एस० रामामुब्बू
- *21. श्री रतन सिंह
- 22. श्रीमती सुप्रिया सुले
- *23. श्री एस० सेम्मलई
- 24. डॉ० एम० तम्बिदुरई
- *25. डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
- *26. श्री विजया चक्रवर्ती
- 27. श्री नामा नागेश्वर राव
- *28. श्री पी० करुणाकरन
- 29. श्री जगदानंद सिंह
- *30. मोहम्मद असरारुल हक
- 31. श्री प्रबोध पांडा
- *32. श्री गणेश सिंह
- 33. श्री शेर सिंह घुबाया
- *34. श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
- 35. श्री योगी आदित्यनाथ
- 36. श्री मदन लाल शर्मा
- *37. श्रीमती दर्शना जरदोश

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

38. डॉ० प्रसन्न कुमार पाटसाणी
39. डॉ० महबूब बेग
- *40. श्री पन्ना लाल पुनिया
- *41. श्री हंसराज गं० अहीर
- *42. श्री घनश्याम अनुरागी
43. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
44. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
45. डॉ० अजय कुमार
46. श्री असादूद्दीन ओवेसी
- *47. श्री ओ० एस्० मणियन
48. श्री तरुण कुमार मंडल
- *49. श्री राम सिंह कस्वां
- *50. डॉ० चार्ल्स डिएस
- *51. श्री प्रताप सिंह बाजवा
52. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
53. श्री नवीन जिन्दल
- *54. श्री प्रेम दास राय
- *55. श्री विष्णु पद राय
- *56. श्री सतपाल महाराज
57. श्रीमती पुतुल कुमारी
58. श्री धनन्जय सिंह
59. श्री रामकिशुन
- *60. श्री निशिकांत दुबे
- *61. श्री प्रेमदास कथीरिया

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*62.श्री थोकचोम मैन्या

*63.श्री नारनभाई कछाडिया

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

गृह मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों संख्या 52-56 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृति हुई।

#रात्रि 8.28 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 3 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#रात्रि 8.07 बजे से रात्रि 8.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 3 मई, 2012/13 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 229

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को सभा द्वारा आज चर्चा और मतदान के लिए लिया जाएगा तथा बकाया मांगों के संबंध में गिलोटीन सायं 6 बजे किया जाएगा। बकाया मांगों पर कटौती प्रस्तावों के निपटान को सुकर बनाने के लिए मैं सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों, जिनके अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, से अनुरोध करती हूँ कि वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उनके द्वारा गिलोटीन के समय पेश किए जाने वाले उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या इंगित हो। यह भी नोट किया जाए कि केवल उन्हीं सदस्यों को गिलोटीन के समय कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति दी जाएगी जिनकी पर्चियां इस घोषणा के 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हुई हों तथा केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों, जिनकी क्रम संख्या उन्हींने अपनी पर्चियों में इंगित की है, को पेश करने की अनुमति दी जाएगी। गिलोटीन के समय जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची इसके तुरंत पश्चात् सूचना पट पर लगाई जाएगी। यदि कोई सदस्य इसमें कोई विसंगति पाते हैं तो वो इसे तुरंत सभा पटल अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों, जिन पर आज बाद में चर्चा होनी निर्धारित है, के कटौती प्रस्तावों का उल्लेख सभा

पटल पर अभी भेजी जाने वाली पर्चियों में न करें। उन मांगों के संबंध में पेश किए जाने वाले कठौती प्रस्तावों के बारे में एक पृथक् घोषणा उस समय की जाएगी जब आज उन मांगों पर चर्चा होगी।”

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—384 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 385—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (2) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (3) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (6) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (7) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (8) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (9) (एक) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (तीन) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (चार) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां (अधिमान आवंटन) संशोधन नियम, 2011 जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सांकांनि 880(अ) जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें उसमें उल्लिखित कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची चौदह में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) कंपनियां (लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2011 जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनियां (लेखाकरण मानक) (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वापकोस लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (18) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता' के बारे में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 27वां प्रतिवेदन।
- (3) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री लालचन्द कटारिया ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 17वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिस्वाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन।
- (3) 'बीड़ी कर्मकारों के कल्याण' के बारे में 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
- (2) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रला डे (नाग) ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13 के बारे में 243वां प्रतिवेदन।
- (2) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2012-13 के बारे में 244वां प्रतिवेदन।
- (3) युवक मामले और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2012-13 के बारे में 245वां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.05 बजे

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

* अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

12. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012

#(दो) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, (संशोधन) विधेयक, 2012

(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.09 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.09 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

- (1) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा वाराणसी-जम्मू तवी सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 12237/12238 का नाम ब्रह्मपुत्र सुपरफास्ट ट्रेन रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उद्यमियों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में किसानों को रियायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में गुआर (ज्वार) बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री प्रेम चन्द्र गुड्डू द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में खुदरा डेयरी व्यवसायियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा एजुकोन, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 की अधिक ऊंचाई के कारण होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के निवारण के लिए इसके पुनर्निर्माण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा राजस्थान में करौली-धोलपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में सागर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 और 86 पर समपार पथों पर ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने तथा इन राजमार्गों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराहन 4.16 बजे।

- (8) श्री रमेन डेका द्वारा असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्याप्त अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर जिले में संचौर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना और शिवपुर में चंबल नदी द्वारा किए जाने वाले कृषि भूमि के कटाव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (ट्रे सं० 12505/12506), सीमांचल एक्सप्रेस (ट्रेन सं० 12487/12488) और दादर एक्सप्रेस (ट्रेन सं० 15646/15647) को बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कारागोला स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड की इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रुद्र माधव राय द्वारा ओडिशा में बौध जिले में पिछड़े क्षेत्रों के अनुदान की निधि के अंतर्गत पूरी पात्रता राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी० वेणुगोपाल द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को वर्ष 2013 से संचालित की जाने वाली अखिल भारतीय इंजीनियरी अर्हता परीक्षा में चार अवसर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एयरपोर्ट से उड़ानों का प्रचालन आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.10 बजे

14. बजट (सामान्य)—2012-2013—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 3 घंटे 50 मिनट

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 11 और 12 पर चर्चा आरंभ हुई।

सात कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 से 5, 67 और 68) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) प्रो० शेख सैदुल हक
- (2) डॉ० शशी थरूर
- (3) श्री निशिकांत दुबे
- *(4) श्री संजय दिना पाटील
- *(5) श्री जोस के० मणि
- *(6) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
- *(7) श्री सुदर्शन भगत
- *(8) श्री रतन सिंह
- *(9) श्री सी० सिवसामी
- *(10) श्री पी० कुमार
- (11) श्री शैलेन्द्र कुमार
- *(12) श्री के० जयप्रकाश हेगडे
- *(13) श्री ओ० एस० मनियन
- *(14) डॉ० थोकचोम मैन्या
- *(15) श्री शिवरामागुडा
- (16) श्री रमाशंकर राजभर
- (17) डॉ० मोनाजिर हसन
- (18) डॉ० (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
- *(19) श्री एन० पीताम्बर कुरूप
- (20) श्री आर० थामराईसेलवन
- (21) श्री भर्तृहरि महताब
- *(22) डॉ० किरिट पी० सोलंकी
- (23) श्री चंद्रकांत खैरे

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- * (24) श्री पी० करूणाकरन
- * (25) श्री हरीश चौधरी
- (26) श्री के० सुगुमार
- * (27) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- * (28) डॉ० तरून मंडल
- * (29) श्री नारनभाई कच्छाडिया
- (30) श्री नामा नागेश्वर राव
- * (31) श्री एस्० एस्० रामासुब्बू
- (32) डॉ० रतन सिंह अजनाला
- * (33) श्रीमती दर्शना जरदोश
- * (34) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- * (35) श्री अधीर रंजन चौधरी
- (36) श्री बिभु प्रसाद तराई
- (37) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- (38) श्री जगदम्बिका पाल
- * (39) श्री प्रेमदास राय
- * (40) डॉ० रत्ना डे (नाग)
- * (41) श्री हंसरराज गं० अहीर
- * (42) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- * (43) श्री प्रताप सिंह बाजवा
- * (44) श्री कोडिकुन्नील सुरेश
- * (45) श्री राजू शेटी
- * (46) श्री नीलेश राणा
- * (47) डॉ० विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नु'

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*(48) श्री पन्ना लाल पुनिया

*(49) श्री सतपाल महाराज

श्री आनंद शर्मा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांग सं० 11 और 12 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.03 बजे

(दो) विभिन्न मंत्रालयों की बकाया मांगों के संबंध में प्रो० शोख सैदुल हक और श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगें—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा में मतदान के लिए रखी गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

- (1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8
- (4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9
- (5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10
- (6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15
- (7) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 और 17
- (8) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18
- (9) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19
- (10) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 27

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (11) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28
- (12) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29
- (13) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30
- (14) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31
- (15) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 32, 33, 35, 36, 38 से 44
- (16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45
- (17) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 और 51
- (18) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57
- (19) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59
- (20) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60
- (21) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61
- (22) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63
- (23) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65
- (24) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66
- (25) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67
- (26) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68
- (27) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69
- (28) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70
- (29) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71
- (30) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72
- (31) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73
- (32) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74
- (33) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75

- (34) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 77
- (35) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 78
- (36) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 80
- (37) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81
- (38) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 और 83
- (39) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84
- (40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 से 87
- (41) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88
- (42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89
- (43) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 90
- (44) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91
- (45) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92
- (46) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93
- (47) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94
- (48) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95
- (49) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104
- (50) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105
- (51) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 106

15. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग संख्यांक 3 विधेयक, 2012

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग संख्यांक 3 विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 से 4 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.16 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 4 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

दिनांक 2.5.2012 के समाचार—भाग 1, सं० 228
का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाए
12	9	अनुदानों की मांग संख्या 52 से 56	अनुदानों की मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100
15	5	अनुदानों की मांग संख्या 52 से 56	अनुदानों की मांग संख्या 52 से 56 और 96 से 100

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 4 मई, 2012/14 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 230

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—404 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 405—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—
- (एक) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव
- (दो) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी
- (तीन) साउथ मलबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम
- (8) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2011 जो 12 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2771(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 14 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एमजीबी/विनियम/1/2011 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 5 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० एचओ/2011/10/पीआरएस/1086 में प्रकाशित हुए थे।
- (10) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2012 जो 7 जनवरी, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ०सं० आईआरडीए/आरआई/1/57/2012 जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101क के अनुसरण में “भारतीय पुनर्बीमाकर्ता” को पुनर्बीमा अध्यापण के लिए प्रतिशत तथा निबंधन और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 308(अ) जो 19 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7607 के अंतर्गत आने वाले अल्युमीनियम फॉयल्स के कटिंग, स्लीटिंग और प्रिंटिंग की प्रक्रिया पर सेनवेट क्रेडिट की उपलब्धता को बावजूद इसके कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अध्याधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण ने अल्युमीनियम फॉयल्स के कटिंग, स्लीटिंग की प्रक्रिया को विनिर्माण नहीं माना है, विनियमित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 694(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत आयात और निर्यात की दैनिक सूची का प्रकाशन (संशोधन) नियम, 2012 जो 5 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 119(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 10 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/37/3689 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टीज) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/30/37715 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) पंजीकरण अभिकरण] विनियम, 2011 जो 2 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/ जीएन/2011-12/29/36772 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस खरीदना) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/36/3187 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन की आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/2499 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन की आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186 में प्रकाशित हुए थे।
- (16) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 31)—राजस्व-सीमा-शुल्क विभाग, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (निरीक्षण) संशोधन नियम, 2011 जो 26 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 645(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रसंत तुकडोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रसंत तुकडोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को यह सूचित किया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अखिलेश यादव का लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने संबंधी 2 मई, 2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने 2 मई, 2012 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

5. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री इज्यराज सिंह ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 234वां प्रतिवेदन।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 235वां प्रतिवेदन।

6. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 3 मई, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.04 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 7 मई, 2012 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(*लोक सभा अपराहन 1.19 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.05 बजे पुनः समवेत हुई*)

अपराहन 2.05 बजे

8. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आवंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 1 घंटा 25 मिनट

शेष समय: 35 मिनट

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) डॉ॰ संजय जायसवाल
- (2) श्री जगदम्बिका पाल

* अपराहन 12.11 बजे से अपराहन 1.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) श्री धनंजय सिंह
- (5) श्री आर० थामराईसेलवन
- (6) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (7) डॉ० काकोली घोष दस्तीदार
- (8) डॉ० अनूप कुमार साहा
- (9) श्री तथागत सत्पथी
- (10) डॉ० पी० वेणुगोपाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री हरीश चौधरी द्वारा 26 अगस्त, 2011 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:—

- (एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए उत्तर-पूर्व राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; और
- (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।”

श्री हरीश चौधरी ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री हुक्मदेव नारायण यादव
- (2) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (3) श्री सतपाल महाराज

- (4) श्री एस० सेम्मलई
- (5) श्री भर्तृहरि महताब
- (6) चौधरी लाल सिंह
- (7) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- (8) श्री मंगनी लाल मंडल
- (9) श्री अधीर रंजन चौधरी
- (10) श्री कृष्ण एन०
- (11) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 7 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 7 मई, 2012/17 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 231

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—424 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 425—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ऑरनीथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सलीम अली सेंटर फॉर ऑरनीथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) नेशनल टाईगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल टाईगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 178(अ) जो 7 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पर्यावरणीय प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) दि इंडियन रबर मैन्यूफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि इंडियन रबर मैन्यूफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) दि इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) एमएमटीसी लिमिटेड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का०आ० 582(अ) जो 26 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 524(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) सेंट्रल कौटिज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (14) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) बीईएमएल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (17) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (18) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (19) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (20) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का०आ० 1709(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24(ख) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (दो) का०आ० 1711(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 1832(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1987(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 939(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 1988(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2192(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-औरंगाबाद) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2381(अ) जो 15 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना-बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 1127(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (नौ) का०आ० 1557(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1366(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 390(अ) जो 18 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 455(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232(क) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 800(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-ललितपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 930(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 985(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (इटावा-चकरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सोलह) का०आ० 1128(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2378(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्रह) का०आ० 1136(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1272(अ) और का०आ० 1275(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 1321(अ) जो 7 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (रायबरेली-जौनपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (संयुक्त संगठन), रायबरेली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 818(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का०आ० 327(अ) जो 24 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 195(अ) जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कलकत्ता-खड़गपुर खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 358(अ) जो 1 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (चालसा से सिलीगुड़ी से दालकोला खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (चौबीस) का०आ० 196(अ) जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (पूर्णिया-गोयरकाटा खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 259(अ) जो 10 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओएमटी आधार पर बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बोरवा-अड्डा-पन्नागढ़ खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 247(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़-मुरादाबाद खण्ड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 249(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख (पोरबंदर-राजकोट-बामनबोर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 315(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक-हिसार खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 349(अ) जो 29 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया-झंझारपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 376(अ) जो 5 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 357(अ) जो 1 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (बत्तीस) का०आ० 359(अ) जो 1 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 360(अ) जो 1 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (चौतीस) का०आ० 2393(अ) जो 17 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (सुंदरनगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 2594(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संभलपुर-बारागढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2794(अ) जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-लखनाडोन खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 2795(अ) जो 14 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 2842(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 (डिंडीगुल-त्रिची खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 2840(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (चालीस) का०आ० 2841(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 (गुवाहाटी बाईपास खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 2839(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 (दुर्ग बाईपास से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा खंड तक) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 2836(अ) जो 19 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 25 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-शिवपुरी-भोगनीपुर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 2901(अ) जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 48 (देवीहल्ली-हसन खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 2915(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 14 (बयावर-पाली-पिंडवा खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 70(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 68 (सेलम-उल्लंडरपेट खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 80(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 248(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (अड़तालीस) का०आ० 250(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 1599(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 113 (पाढी-दाहोद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 59(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 45(अ) जो 11 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8क (विस्तार) (कांदला-चंद्रोदा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 44(अ) जो 11 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला कलेक्टर, सीकर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 250(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 14 (पाली खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (चौवन) का०आ० 2956(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 (देवली-झालावाड़ खंड) (पैकेज - I) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2921(अ) जो 9 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 (रींगस-सीकर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छप्पन) का०आ० 2631(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं० का०आ० 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का०आ० 2766(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 जून, 2010 की अधिसूचना सं० का०आ० 1266(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (अट्ठावन) का०आ० 2463(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (किशनगढ़-बयावर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 2629(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (सूरत-दहिसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 2859(अ) जो 29 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 जून, 2010 की अधिसूचना सं० का०आ० 1266(अ) (केवल हिंदी संस्करण) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (इकसठ) का०आ० 2579(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं० का०आ० 2061(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (बासठ) का०आ० 2894(अ) जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 76 (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरेसठ) का०आ० 2898(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं० का०आ० 2251(अ) (केवल हिंदी संस्करण) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (चौसठ) का०आ० 2616(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैसठ) कांआ 2738(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 (गुजरात-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासठ) कांआ 2877(अ) जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 79क और 79 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सड़सठ) कांआ 2893(अ) जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 76 (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़सठ) कांआ 2834(अ) जो 24 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (उनहत्तर) कांआ 1366(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तर) कांआ 1554(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) कांआ 437(अ) जो 25 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (रतनपुर-अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहत्तर) कांआ 341(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 113 (पाढी-दहोद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें

उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (तिहत्तर) का०आ० 2949(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 (जयपुर-रीगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौहत्तर) का०आ० 2680(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (सूरत-दहीसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 1591(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छिहत्तर) का०आ० 1602(अ) जो 11 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 (रीगस-सिकर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) का०आ० 327(अ) जो 11 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 (सूरत-दहीसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अटहत्तर) का०आ० 268(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8क (विस्तार) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनयासी) का०आ० 918(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अस्सी) का०आ० 487(अ) जो 7 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यासी) का०आ० 796(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1444(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयासी) का०आ० 938(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तिरासी) का०आ० 1189(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चौरासी) का०आ० 969(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पचासी) का०आ० 634(अ) जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, जींद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (छियासी) का०आ० 971(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (यमुनानगर-पंचकुला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, जींद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (सतासी) का०आ० 972(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला राजस्व अधिकारी, जींद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अठासी) का०आ० 386(अ) जो 17 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नवासी) का०आ० 2894(अ) जो 3 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर- चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नब्बे) का०आ० 1996(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यान्वे) का०आ० 1139(अ) जो 20 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बानवे) का०आ० 39(अ) जो 11 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (चित्तौड़गढ़-मंगलवार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरानवे) का०आ० 633(अ) जो 25 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरानवे) का०आ० 1911(अ) जो 18 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2

(कानपुर-वाराणसी खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (पचानवे) का०आ० 2025(अ) जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (छियानवे) का०आ० 2026(अ) जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (जगतपुर-चंडीकोल खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सतानवे) का०आ० 2027 (अ) जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (अठानवे) का०आ० 2056(अ) जो 8 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (निन्यानवे) का०आ० 2096(अ) जो 19 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सौ) का०आ० 2418(अ) जो 19 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर-हंगुड-हॉस्पेट खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (एक सौ एक) का०आ० 2421(अ) जो 20 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर-बालासोर खंड) के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (एक सौ दो) का०आ० 2013(अ) जो 29 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200

(भोजपुर-छताबार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ तीन) कांआ 2014(अ) जो 29 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चार) कांआ 2015(अ) जो 29 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पांच) कांआ 2016(अ) जो 29 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छह) कांआ 2017(अ) जो 29 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 (वीरपुर-बिहपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सात) कांआ 2253(अ) जो 29 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (शिवहर-सीतामढ़ी-जयनगर नरहिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ आठ) कांआ 2256(अ) जो 29 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30क (फतुहा-हरनौत-बाढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ नौ) का०आ० 937(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1851(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ दस) का०आ० 1357(अ) जो 13 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद- गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) का०आ० 2236(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बारह) का०आ० 1195(अ) से का०आ० 1197(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (21) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 34 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों का कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (25) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त और विकास निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि 3 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित कर दिया है।
- (दो) कि 4 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

- (एक) रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2012
- (दो) महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2012

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नीरज शेखर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 162वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 175वां प्रतिवेदन।
- (2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 176वां प्रतिवेदन।
- (3) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 177वां प्रतिवेदन।
- (4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 178वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रीमती प्रिया दत्त द्वारा देश में मधुमेह के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए व्यापक अभियान आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती मौसम नूर द्वारा बांग्लादेश की ओर कृषि भूमि रखने वाले किसानों के आंदोलन का समाधान तलाशे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस० अलागिरी द्वारा तमिलनाडु में कुड्डालोर जंक्शन पर ट्रेन सं० 16735/16736 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रत्येक राज्य में, विशेषकर दिल्ली में जहां विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का सृजन करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में दुधारू-पशु नस्ल सुधार केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री महाबल मिश्रा द्वारा समाज के, विशेषरूप से पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रसोई गैस कनेक्शनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक ही स्थान पर पथकर के भुगतान के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दिलीप गांधी द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ऐतिहासिक स्मारकों का पुनरूद्धार और सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के डोन क्षेत्र में टी०वी० टावर और मोबाइल टावर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में बर्धमान-कटवा मार्ग पर एक चार लेन वाले उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बस्कर (बिहार) और बलिया (उत्तर प्रदेश) के बीच सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण सुनिश्चित करने तथा गंगा द्वारा किए जाने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डा० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पंजाब में शाहपुर कांडी बांध परियोजना का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.04 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए:—

- (1) श्री शरद यादव
- (2) श्रीमती सुषमा स्वराज

सर्वश्री पी०के० बीजू, अर्जुन राम मेघवाल, डॉ० वीरेन्द्र कुमार, सर्वश्री वीरेन्द्र कश्यप, राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ० पी० एल० पुनिया, श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, डा० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, सर्वश्री शिवराज भैया, जितेंद्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, राकेश सिंह, बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, नामा नागेश्वर राव और धनंजय सिंह सहयोजित हुए।

§श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.20 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराहन 12.04 बजे से अपराहन 12.20 बजे तक और अपराहन 12.30 बजे से अपराहन 12.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

§अपराहन 12.30 बजे।

अपराहन 12.37 बजे

10. सरकारी विधेयक – पारित

लिया गया समय: 3 घंटे

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा 4 मई, 2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2012

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री पी० वेणुगोपाल (अपना भाषण आरम्भ किया)
- (2) श्रीमती मेनका गांधी
- (3) श्री अधीर रंजन चौधरी
- * (4) डॉ० किरीट पी० सोलंकी
- (5) श्री नामा नागेश्वर राव
- (6) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- (7) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
- (8) डॉ० तरुण मंडल
- (9) डॉ० रत्ना डे (नाग)
- (10) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
- (11) प्रो० रंजन प्रसाद यादव

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में : 102, विपक्ष में : 58

तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपराहन 2.12 बजे

11. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आबंटित समय: 6 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटा 48 मिनट
शेष समय: 1 घंटा 12 मिनट

वित्त विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री यशवंत सिन्हा
 - (2) श्री के० सांबासिवा राव
 - (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
 - (4) डॉ० अर्जुन राय
 - (5) श्री भर्तृहरि महताब
 - (6) श्री एस्० सेम्मलई
 - (7) श्री हुक्मदेव नारायण यादव
 - (8) श्रीमती अन्नू टंडन
 - (9) श्री पी० लिंगम
 - (10) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
 - (11) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
 - (12) श्रीमती पुतुल कुमारी
 - (13) डॉ० पन्ना लाल पुनिया
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

*रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* सायं 7.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—832LS(S3)—07.05.2012.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 मई, 2012/18 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 232

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री टेक लाल महतो के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 442—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061—5290 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 151वीं जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उल्लेख किया।

अपराहन 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 की लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (17) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कल्चर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) वर्ष 2012-2013 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) अधिसूचना संख्या का०आ० 1022(अ) जो 4 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I और अनुसूची II में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) कंज्यूमर को-आर्डिनेशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंज्यूमर को-आर्डिनेशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) कंज्यूमर को-आर्डिनेशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंज्यूमर को-आर्डिनेशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (40) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2012 जो 12 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 292(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।
- (41) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2011-12 का संख्यांक 33) (स्वायत्त निकाय)—की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत फलों और सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2012 जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां कां नि० 238(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा श्री जनार्दन द्विवेदी के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न हुई रिक्ति पर राज्य सभा के एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा उन्होंने श्री जनार्दन द्विवेदी, जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वर्ष 2012-13 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) वर्ष 2012-13 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 14वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।
- (2) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (4) इस्पात मंत्रालय के “इस्पात क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार” संबंधी 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० ज्योति मिर्धा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “जेनेरिक, जेनेरिक ब्रांडेड और ब्रांडेड दवाइयों की उपलब्धता, उनका निरूपण और चिकित्सीय प्रभावोत्पादता और प्रभावकारिता” के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 58वां प्रतिवेदन।
- (2) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के कार्यकरण के बारे में 59वां प्रतिवेदन।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों पर आधारित आगे की कार्यवाही के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित “देश में सिविल रक्षा का नवीकरण और पुनरुद्धार” के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (तीन) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (चार) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.08 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.32 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

- (1) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर कोर्ट रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने तथा वहां अपेक्षित अवसंरचना सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री आर० धुवनारायण द्वारा चामराजनगर जिला मुख्यालय में भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम का निर्माण किए जाने तथा कर्नाटक में चामराजनगर जिले में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा सामाजिक कार्य शिक्षा को एक मान्यता प्राप्त परिषद् के अंतर्गत रखने के लिए एक नीति विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा बिहार में कटिहार से देश के दक्षिणी भागों के लिए रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल द्वारा गुजराती भाषा को गुजरात उच्च न्यायालय की शासकीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए गुजरात विधान सभा के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की सहमति यथाशीघ्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा चित्रकूट मंडल, उत्तर प्रदेश में जी० जी० कालेज, अटारा को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने तथा राज्य के प्रत्येक मंडल में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए धनराशि भी उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री एम० अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु में पेन्नार और पलार नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी० के० बिजू द्वारा केरल के पलक्काड जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु में तेनकासी से तिरुवनंतपुरम—कन्याकुमारी—तूतीकोरिन—तिरूचेन्द्रूर और तिरूनेलवेली तक रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिली में एक लैंड पोर्ट की स्थापना के लिए कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री बलीराम जाधव द्वारा महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को पाइपड नैचुरल गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.00 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 8 घंटे 43 मिनट

वित्त विधेयक, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 7.5.2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री कल्याण बनर्जी
- (2) श्री टी०आर० बालू
- (3) श्री दारा सिंह चौहान
- (4) श्री बंस गोपाल चौधरी
- (5) श्री नामा नागेश्वर राव
- (6) श्री एन० चेलुवरया स्वामी
- (7) श्री प्रेम दास राय
- (8) डॉ० तरूण मंडल
- (9) श्री कामेश्वर बैठा
- (10) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
- (11) मौलाना बदरुद्दीन अजमल
- (12) डॉ० संजय सिंह चौहान
- (13) श्री नीरज शेखर
- (14) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- (15) श्री एम० बी० राजेश
- (16) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22 से 24 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 10 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 24क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 24क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 29 स्वीकृत हुए।

खंड 30 स्वीकृत हुआ।

खंड 31 से 39 स्वीकृत हुए।

खंड 40 की संशोधन संख्या 11 से 14 पर, सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में 342, विपक्ष में 22 तदनुसार, खंड 40, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 41 स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 41क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 41क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 42 से 45 स्वीकृत हुए।

खंड 46, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 47 से 52 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 18 को लागू करने के संबंध में, निर्लंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 52क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 52क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 53 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 54, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 55 स्वीकृत हुआ।

खंड 56, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 57 और 58 स्वीकृत हुए।

खंड 59, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 60 से 72 स्वीकृत हुए।

खंड 73 अस्वीकृत हुआ।

खंड 74, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 75, स्वीकृत हुआ।

खंड 76, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 77 और 78 स्वीकृत हुए।

खंड 79 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 80 और 81 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 81क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 81क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 82 से 87 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 87क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 87क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 88 स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 30 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 88क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 88क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 89 से 108 स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 108क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 108क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 109 से 119 स्वीकृत हुए।

खंड 120, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 121 अस्वीकृत हुआ।

खंड 122 स्वीकृत हुआ।

खंड 123 अस्वीकृत हुआ।

खंड 124 से 130 स्वीकृत हुए।

खंड 131 अस्वीकृत हुआ।

खंड 132 से 134 स्वीकृत हुए।

खंड 135 से 138 अस्वीकृत हुए।

खंड 139, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 139क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।
 नया खंड 139क भी स्वीकृत हुआ।
 खंड 140 से 142 स्वीकृत हुए।
 खंड 143, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 144 से 150 स्वीकृत हुए।
 खंड 151 स्वीकृत हुआ।
 खंड 152 स्वीकृत हुआ।
 खंड 153, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 154 से 156 स्वीकृत हुए।
 पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।
 दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।
 तीसरी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।
 चौथी अनुसूची, स्वीकृत हुई।
 पांचवीं अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।
 छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।
 सातवीं अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।
 आठवीं से दसवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।
 खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
 श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।
 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 5.54 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आर्वांटित समय : 3 घंटे
 लिया गया समय : 1 मिनट
 शेष समय : 2 घंटे 59 मिनट

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन)

विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.55 बजे

(लोक सभा बुधवार, 9 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 233

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

1. तारांकित प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 461—480 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5291—5520 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी पटना, पटना के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी पटना, पटना के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्वशिक्षा अभियान उत्तराखण्ड), देहरादून के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्वशिक्षा अभियान उत्तराखण्ड), देहरादून के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धिपत्र* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिहार महिला समाख्या सोसायटी, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 27.12.2011 को सभा पटल पर रखे गए।

- (32) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसायटी, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कानपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी बम्बई, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी बम्बई, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (46) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) वर्ष 2012-2013 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि° 816(अ) जो 17 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 और 11 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की शक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा जिसका भारत सरकार में कोयला नियंत्रक द्वारा प्रयोग भी किया जाएगा।
- (दो) कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2011 जो 17 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सांकांनि° 818(अ) जो 17 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 का तत्काल प्रभाव से निरसन किया गया है, ऐसा निरसन इस अधिसूचना से पूर्व उक्त आदेश के अंतर्गत किए गए या लोप किए गए कार्य को प्रभावित नहीं करेगा।
- (चार) कांआ° 2920(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या कांआ° 453(अ) का अधिक्रमण किया गया है।
- (50) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (51) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और संचार विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (सातवां संशोधन) विनियम, 2011 जो 25 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 352-4/2011-सीए (क्यूओएस) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (आठवां संशोधन) विनियम, 2011 जो 1 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 352-4/2011-सीए (क्यूओएस) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ सं० 352-4/2011-सीए (क्यूओएस) का शुद्धिपत्र दिया गया है, (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) दूरसंचार ग्राहक शिकायत निवारण (संशोधन) विनियम, 2012 जो 12 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-20/2009-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2012 जो 12 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-(क्यूओएस) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दूरसंचार ग्राहक शिकायत निवारण विनियम, 2012 जो 5 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-(क्यूओएस) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) दूरसंचार ग्राहक संरक्षण विनियम, 2012 जो 6 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-(क्यूओएस) में प्रकाशित हुए थे।
- (57) उपर्युक्त (56) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री एस० सेम्मलई ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की-गई-आगे की कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'कृषि उपज की मूल्य निर्धारण नीति' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'भारत में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में 47वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

- (3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
- (4) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (5) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
- (7) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (8) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (9) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (11) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'मानसून की कमी तथा कृषि क्षेत्र पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों' के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

- (12) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (13) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने 'धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 56वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित "बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर ने उच्च शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 246वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.04 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के कुछ भागों में हिन्दुओं के उत्पीड़न के मामले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराहन 12.09 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण और जूट बैगों की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण और जूट बैगों की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए:—

* अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 1.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (1) श्री मुलायम सिंह यादव
- (2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
- (3) श्री शरद यादव
- (4) श्री बसुदेव आचार्य
- (5) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
- (6) श्री प्रताप सिंह बाजवा
- (7) श्री दारा सिंह चौहान
- (8) श्री लालू प्रसाद
- (9) श्री टी०के०एस० इलंगोवन
- (10) श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार
- (11) श्री नामा नागेश्वर राव
- (12) डॉ० संजीव गणेश नाइक
- (13) डॉ० एम० तम्बिदुरई
- (14) श्री भर्तृहरि महताब

सर्वश्री आर०के० सिंह पटेल, नीरज शेखर, राधे मोहन सिंह, गणेश सिंह, अशोक अर्गल, जितेन्द्र सिंह बुंदेला, हरि माझी, डॉ० वीरेन्द्र कुमार, सर्वश्री अर्जुन राम मेघवाल, देवजी एम० पटेल, बालकृष्ण के० शुक्ला, राकेश सिंह, योगी आदित्यनाथ, कीर्ति आजाद, सैयद शाहनवाज हुसैन, गोविंद प्रसाद मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, शिवराज भैय्या, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल, श्री के०डी० देशमुख, डॉ० अर्जुन राय, सर्वश्री दिनेश चन्द्र यादव, महेश्वर हजारी, कौशलेन्द्र कुमार, भूदेव चौधरी, राजेन्द्र अग्रवाल, एम०बी० राजेश, कमलेश पासवान, शिवकुमार उदासी, शिवराम गौडा, जी०एम० सिद्देश्वर और पी०के० बिजू सहयोजित हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.14 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.06 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

- (1) श्री एम० आई० शानावास द्वारा केरल में वायनाड को बेहतर मानकों वाला पर्यटन स्थल बनाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा कोल्लम-थेनी राष्ट्रीय राजमार्ग का केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार पुनर्संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री दत्ता आर० मेघे द्वारा महाराष्ट्र में सूती धागे की मिलों और किसानों के हित में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री इज्यराज सिंह द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा राज्य की हिस्सेदारी के बिना रेलवे द्वारा अपनी स्वयं की निधि से ओवरब्रिजों और अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने तथा मध्य प्रदेश के देवास और शुजलपुर शहर में आरओबी/आरयूबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किए जाने तथा मानदंडों के अनुसार विद्युतीकरण कार्यों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री के० पी० धनपालन द्वारा केरल में पेरियार, चलाकुड्डी और कदम्बरयार नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हरिभाऊ एम० जावले द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० भोला सिंह द्वारा नवाद, बिहार में सकरी नदी पर गोसाईबीघा और ओहारी घाट पर एक-एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री श्रीपद येसो नायक द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, गोवा के अंतर्गत दिहाड़ी पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री शिवराम गौडा द्वारा कर्नाटक के महान संत श्री बसवेश्वरा की वर्षगांठ मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती सुशीला सरोज द्वारा दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में उन आर्थिक रूप से निर्धन लोगों, जिन्हें सहायता प्राप्त दरों पर भूमि आवंटित की गई है, का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भारतीय पावर ग्रिड निगम द्वारा बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री माहेश्वर हजारी द्वारा बिहार के सीमावर्ती जिलों में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री आर० थामराईसेलवन तमिलनाडु में शिवसुन्दरम में स्थित कृष्णराजसागर बांध और होगेनक्कल में स्थित मेटूर बांध पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा पंजाब में अधिक खाद्य पार्कों की स्थापना की जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० तरूण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कालेज को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किए जाने तथा इस परियोजनार्थ धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.07 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 4 घंटे 22 मिनट

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री कपिल सिब्बल द्वारा 8 मई, 2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री कपिल सिब्बल बोले ।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) डॉ० किरिट पी० सोलंकी
- (2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) डॉ० बलीराम
- (5) श्रीमती मीना सिंह
- (6) डॉ० रत्ना डे (नाग)
- (7) श्री लालू प्रसाद
- (8) श्री हेलेन जे० डेविडसन
- (9) श्री पी० के० बीजू
- (10) श्री भर्तृहरि महताब
- (11) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
- (12) श्री सी० राजेन्द्रन
- (13) श्री प्रबोध पांडा
- (14) डॉ० रतन सिंह अजनाला
- (15) डॉ० वीरेन्द्र कुमार
- (16) श्रीमती प्रिया दत्त
- (17) श्री जगदानंद सिंह
- (18) श्री नरहरि महतो
- (19) डॉ० अजय कुमार
- (20) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
- (21) श्री जोस के० मणि
- (22) श्री योगी आदित्यनाथ
- (23) श्री असादुद्दीन ओवेसी

(24) डॉ० चार्ल्स डिएस

(25) डॉ० तरूण मंडल

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.22 बजे

(*लोक सभा गुरुवार, 10 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* सायं 6.27 बजे से सायं 7.22 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 10 मई, 2012/20 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 234

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481—486 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 487—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521—5750 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (तीन) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2011-2012 का संख्यांक 2) (अनुपालन लेखापरीक्षा)—सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन।
- (दो) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2011-2012 का संख्यांक 30) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)—सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण केन्द्रीय उद्यमों का पुनरुद्धार।
- (3) (एक) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) प्रतिवेदन संख्या 237—अपराधों (भारतीय दण्ड संहिता) का अभिसंधान—
दिसम्बर, 2011
- (दो) प्रतिवेदन संख्या 238—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 का संशोधन और सम्बद्ध उपबंध — दिसम्बर, 2011
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक एंटीबायोटेक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (सात) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (आठ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (नौ) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (13) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक

गैस वितरण केन्द्रों के लिए, नेटवर्क टैरिफ का अवधारण और सीएनजी के लिए (संपीडन प्रभार) संशोधन विनियम, 2012 जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एम(सी)/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि 8 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित कर दिया है।
- (दो) कि 9 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 7 मई, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (की-गई- कार्यवाही) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कापॉरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सर्वश्री अधलराव पाटील शिवाजी, आनंदराव अडसुल, धर्मेन्द्र यादव, गजानन डी० बाबर और पी० कुमार द्वारा 'कतर के साथ तेल अन्वेषण में सहयोग' के बारे में 3 मई, 2012 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4485 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य दिया।

*अपराहन 12.02 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) एयरसेल-मैक्सिस डील में कथित अनियमितताओं के बारे में

श्री यशवंत सिन्हा ने एयरसेल-मैक्सिस डील में कथित अनियमितताओं के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री शिव कुमार उदासी, उदय सिंह, डॉ० वीरेन्द्र कुमार, सर्वश्री शिवराम गौडा और एम० बी० राजेश सहयोजित हुए।

**श्री पी० चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

(दो) गृह मंत्रालय के एक कर्मचारी द्वारा संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार और उन पर हमले के बारे में

श्री विष्णु पद राय ने गृह मंत्रालय के एक कर्मचारी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार और उन पर हमले के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने भी विष्णु पद राय के साथ दुर्व्यवहार और उन पर हमले के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की तथा सभा को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.24 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री एन०एस० वी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में ओडनछतरम पर बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा देश में शिशु मृत्यु की उच्च दर पर नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.02 बजे से अपराहन 12.24 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

** अपराहन 2.01 बजे।

- (3) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा देश में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा ऐसी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर में एक एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स कोष से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए धनराशि की विशेषाधिकार मंजूरी की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा किसानों के लाभ के लिए फसल बीमा योजनाओं का पुनर्गठन किए जाने तथा केरल में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का एक अतिरिक्त कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) प्रो० (डॉ०) राम शंकर द्वारा आगरा में यमुना नदी के प्रदूषण को रोके जाने तथा नदी से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट द्वारा धनबाद स्थित सीमेंट फैक्ट्री को स्लैग की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा गुजरात के महान संत वीर मेघमाया के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री सी० राजेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में सेंट थामस माउंट और पल्लावरम के छावनी क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.06 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय	: 2 घंटे
लिया गया समय	: 2 मिनट
शेष समय	: 1 घंटा 58 मिनट

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री पी० चिदम्बरम की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 4.00 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे 2 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने राष्ट्रीय कैरियर अर्थात् एयर इंडिया और कुछ प्राइवेट कैरियर के कार्यकलाप में बड़े स्तर पर कुप्रबंधन के कारण नागर विमानन क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकताओं तथा नागर विमानन क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच किए जाने के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री अधीर रंजन चौधरी
- (2) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) श्री शरद यादव
- (5) श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी
- (6) डॉ० रत्ना डे (नाग)
- (7) श्री पी० करूणाकरन
- (8) श्री तथागत सत्पथी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.53 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* सायं 6.02 बजे से सायं 6.53 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 मई, 2012/21 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 235

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:

“माननीय सदस्य, भारतीय संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ आयोजित किए जाने के उपलक्ष्य में रविवार, 13 मई, 2012 को लोक सभा की विशेष बैठक होगी।

उस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा।

विशेष बैठक में “भारतीय संसद की 60 वर्ष की यात्रा” विषय को सभा में चर्चा के लिए लिया जाएगा।”

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 502—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751—5980 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

4. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) एयरसेल-मैक्सिस डील में कथित अनियमितताओं के बारे में 10 मई, 2012 को श्री पी० चिदम्बरम द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में

श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्री यशवंत सिन्हा द्वारा एयरसेल-मैक्सिस डील में कथित अनियमितताओं के बारे में 10 मई, 2012 को श्री पी० चिदम्बरम द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(दो) एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित स्कूल पाठ्य पुस्तक में डॉ० बी०आर० अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू का अपमानजनक कार्टून प्रदर्शित किए जाने के बारे में

श्री थोल तिरूमावलावन ने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित स्कूल पाठ्य पुस्तक में डॉ० बी०आर० अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू का अपमानजनक कार्टून प्रदर्शित किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री एस०एस० रामासुब्बू सहयोजित हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

*श्री कपिल सिब्बल ने भी उत्तर दिया।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 899(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*अपराह्न 2.00 बजे

- (2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक को-आपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक को-आपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2012, जो भारत के राजपत्र में 6 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 227(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 343(अ) जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (46) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संबंध में उक्त निगम को उद्भूत उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट आय को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 344(अ) जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (46)

के प्रयोजनों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में उक्त निगम को उद्भूत उसमें उल्लिखित विनिर्दिष्ट आय को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2012, जो भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 626(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 338(अ) जो 27 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 350(अ) जो 29 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 426(अ) जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 522(अ) जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 564(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) का०आ० 625(अ) जो 28 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का०आ० 703(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का०आ० 704(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा०का०नि० 232(अ) जो 20 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा०का०नि० 258(अ) जो 28 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) वर्ष 2011-2012 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए व्यापार उधारों के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत “भारत सरकार एकसाल, कोलकाता के 60 वर्ष” के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित साठ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 जो 28 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 257(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड्स) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एल०एडी-एन०आर०ओ/जी०एन०/2011-12/38/4290 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) सांका०नि० 231(अ) जो 20 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयात पर 27 मार्च, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांका०नि० 220(अ) जो 19 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 02/2011-कं०ःशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 19 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 225(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) चबाने वाली तम्बाकू और अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 19 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 226(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 253(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स) एम०डी० (होम्यो०) (संशोधन) विनियम, 2012, जो 5 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-2/2006-सीसीएच(पीटी) 31254 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना (मेडिकल कॉलेज द्वारा नए या अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011, जो 14 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-6/2001-सीसीएच (पीटी) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 21 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ० 12-6/2001-सीसीएच(पीटी) 25500 का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2012 जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 80(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 6 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित अंतरबदल प्रभार और सम्बन्धित मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 6 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(1)/2011-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एल-1(1)/2011-सीईआरसी-पीटी का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राष्ट्रीय पारेषण और संबंधित मामलों में सम्बद्धता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक खुली पहुंच प्रदान करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (17) (एक) मेदही नवाज जंग (एमएनजे) इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी-रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेदही नवाज जंग (एमएनजे) इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी-रीजनल केंसर सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 26 अप्रैल, 2012 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3, विधेयक, 2012 में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित "पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.03 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2 बजे पुनःसमवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयकों में किए गए संशोधन — जिन पर सहमति हुई

(एक) *प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “बासठवें” शब्द के स्थान पर “तिरसठवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, “2011” अंक के स्थान पर “2012” अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत होने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

(दो) **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री कपिल सिब्बल द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, “बासठवें” शब्द के स्थान पर “तिरसठवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

*विधेयक को लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 2011 को पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेज दिया गया था। राज्य सभा ने 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर दिया तथा इसे 1 मई, 2012 को लोक सभा को लौटा दिया।

**विधेयक को लोक सभा द्वारा 19 अगस्त, 2011 को पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए भेज दिया गया था। राज्य सभा ने 30 अप्रैल, 2012 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर दिया तथा इसे 1 मई, 2012 को लोक सभा को लौटा दिया।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, “2011” अंक के स्थान पर “2012” अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत होने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराहन 2.06 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 5 मिनट

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री पी० चिदम्बरम की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा 10 मई, 2012 को विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.09 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 2.09 बजे

(लोक सभा रविवार 13 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

रविवार, 13 मई, 2012/23 वैशाख, 1934 (शक)

भारतीय संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ
के उपलक्ष्य में विशेष बैठक

संख्या 236

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा संबोधन

अध्यक्ष ने नियम 360 के अंतर्गत सभा को संबोधित किया।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्य जैसा कि मेरे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो नेता 10 मिनट तक बोलेंगे तथा सभी राजनीतिक दलों के नेता और निर्दलीय सदस्य 5 मिनट तक बोलेंगे।

माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे पास अपराह्न 4.30 बजे तक ही समय है।

मेरी यह इच्छा है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेना चाहिए, व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। अतः जो सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर, माननीय सदस्य लॉबी में रखी गई गोल्डन बुक्स में अधिकतम 60 शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं।”

पूर्वाह्न 11.14 बजे

श्री प्रणब मुखर्जी ने “ भारतीय संसद की 60 वर्ष की यात्रा ” विषय पर चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

- (1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
- (2) श्रीमती सोनिया गांधी
- (3) श्री मुलायम सिंह यादव
- (4) श्री दारा सिंह चौहान
- (5) श्री शरद यादव
- (6) श्री सुदीप बंदोपाध्याय
- * (7) श्री शैलेन्द्र कुमार
- * (8) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- * (9) श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल
- (10) श्री टी०के०एस० इल्लैंगोवन
- * (11) श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
- * (12) श्री तापस पॉल
- (13) श्री बसुदेव आचार्य
- * (14) श्री शिवकुमार उदासी
- * (15) डॉ० संजय जायसवाल
- * (16) श्री के०पी० धनपालन

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- * (17) श्री भर्तृहरि महताब
- (18) श्री अर्जुन चरण सेठी
- (19) श्री अनंत गंगाराम गीते
- * (20) श्रीमती ज्योति धुर्वे
- * (21) श्री गणेश सिंह
- (22) श्री शरद पवार
- * (23) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
- * (24) श्री पी०टी० थॉमस
- (25) डॉ० एम० तम्बिदुरई
- * (26) श्री नाथूभाई जी० पटेल
- * (27) श्री एन० पीताम्बर कुरूप
- * (28) श्री अधीर रंजन चौधरी
- * (29) श्री भक्त चरण दास
- * (30) श्री आर० थामराईसेलवन
- * (31) डॉ० विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नु'
- (32) श्री संजय सिंह चौहान
- * (33) श्री हरिन पाठक
- (34) श्री लालू प्रसाद
- * (35) श्रीमती संतोष चौधरी
- * (36) श्री सी० शिवासामी
- * (37) श्री पबन सिंह घाटोवार
- * (38) श्री सज्जन सिंह वर्मा
- (39) श्री नामा नागेश्वर राव
- * (40) श्री राधा मोहन सिंह

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- * (41) डॉ० महेन्द्र सिंह पी० चौहाण
 *(42) श्री तारा चंद भगोरा
 *(43) श्री एस्० एस्० रामासुब्बु
 (44) श्री गुरुदास दासगुप्त
 *(45) डॉ० रत्ना डे (नाग)
 *(46) श्री रामसिंह राठवा
 *(47) श्री मधुसूदन यादव
 *(48) डॉ० महबूब बेग
 *(49) श्री डी० वेणुगोपाल
 (50) डॉ० रतन सिंह अजनाला
 (51) श्री शरीफुद्दीन शारिक
 *(52) श्री दिनेश चंद्र यादव
 *(53) श्री पी० के० बिजू
 *(54) श्री नारनभाई कछाड़िया
 *(55) श्री मोहन जेना
 (56) श्री ई० अहमद
 *(57) श्रीमती रमा देवी
 (58) श्री एच० डी० कुमारास्वामी
 *(59) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
 (60) श्री नृपेन्द्र नाथ रॉय
 *(61) श्री एन० चेलुवरया स्वामी
 *(62) श्रीमती सुशीला सरोज
 *(63) श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला
 *(64) श्री पी० विश्वानाथन

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (65) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
 (66) श्री असादूद्दीन ओवेसी
 *(67) डॉ० चार्ल्स डिएस
 *(68) श्री प्रेमदास कथीरिया
 *(69) श्रीमती विजय चक्रवर्ती
 (70) श्री जोसेफ टोप्पो
 *(71) श्री सिरिसिल्ला राजय्या
 (72) श्री जोस के० मणि
 *(73) श्री ओ० एस्० मणियन
 *(74) श्री निशिकांत दुबे
 *(75) श्री सुरेश अंगडी
 *(76) श्री रमाशंकर राजभर
 (77) श्री प्रेम दास राय
 *(78) श्रीमती सीमा उपाध्याय
 *(79) श्री भूपेन्द्र चौधरी
 *(80) श्रीमती कैसर जहाँ
 (81) श्री ए० गणेशमूर्ति
 *(82) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदेश
 *(83) श्री सतपाल महाराज
 *(84) श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
 (85) श्री तिरूमावलावन थोल
 *(86) श्री पी० सी० चाको
 *(87) डॉ० पी० एल्० पुनिया
 *(88) श्री हर्षवर्द्धन

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(89) श्री कमल किशोर
- *(90) श्री पी० करुणाकरन
- *(91) श्री आर० के० सिंह पटेल
- *(92) श्री के० जयप्रकाश हेगड़े
- *(93) डॉ० अर्जुन राय
- *(94) डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क
- *(95) श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- *(96) श्री कपिलमुनि करवारिया
- *(97) श्री विश्व मोहन कुमार
- *(98) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
- *(99) श्रीमती सुमित्रा महाजन
- *(100) श्री वैद्य नाथ प्रसाद महतो
- (101) श्रीमती पुतुल कुमारी
- *(102) श्री एम० के० राघवन
- (103) श्री इंदर सिंह नामधारी
- *(104) श्री गोरख नाथ पाण्डेय
- *(105) श्री शिवराम गौड़ा
- *(106) श्री हुक्मदेव नारायण यादव
- (107) श्री हसन खान
- *(108) श्री माणिकराव होडल्या गावित
- *(109) श्री सी० राजेन्द्रन
- *(110) श्री सुरेश कुमार शेटकर
- *(111) श्री ए० टी० नाना पाटील
- *(112) श्री पी० सी० गद्दीगौदर

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(113) श्री राम सिंह कस्वां
*(114) श्री आर० ध्रुवनारायण
(115) डॉ० शशि थरूर
*(116) श्री भूपेन्द्र सिंह
(117) श्री जसवंत सिंह
*(118) श्री जगदम्बिका पाल
*(119) डॉ० वीरेन्द्र कुमार
*(120) श्री संजय निरूपम
*(121) श्री जयप्रकाश अग्रवाल
*(122) श्री तूफानी सरोज
*(123) डॉ० थोकचोम मैन्या
*(124) श्री प्रह्लाद जोशी
*(125) डॉ० जी० विवेकानन्द
(126) श्री सी० एम० चांग
*(127) प्रो० शेख सैदुल हक
*(128) श्री कुलदीप बिश्नोई
(129) श्री ओम प्रकाश यादव
*(130) श्री दिलीप मनसुखभाई गांधी
(131) कुंवर रेवती रमण सिंह
*(132) श्री राकेश सचान
*(133) श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र
*(134) श्री विभु प्रसाद तराई
(135) श्री धनंजय सिंह

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- * (136) श्री कौशलेन्द्र कुमार
- * (137) श्री महेश जोशी
- * (138) डॉ० राजन सुशांत
- * (139) कुमारी सरोज पाण्डेय
- * (140) श्री पोन्नम प्रभाकर
- (141) श्री एस०के० बैसीमुथियारी
- * (142) श्री रमेश बैस
- * (143) श्री विजय इन्दर सिंगला
- * (144) श्री एंटो एंटोनी
- * (145) श्री भाउसाहेब वाकचौरे
- * (146) श्री प्रबोध पांडा
- * (147) डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी
- * (148) श्री कमलेश पासवान
- * (149) श्री घनश्याम अनुरागी
- * (150) श्री अनुराग सिंह ठाकुर
- * (151) श्री मनसुखभाई डी० वसावा
- * (152) श्रीमती कमला देवी पटले
- * (153) श्री ई०जी० सुगावनम
- * (154) श्री पी० लिंगम
- * (155) श्री दुष्यंत सिंह
- * (156) श्री जे०एम० आरून रशीद
- * (157) श्री राजाराम पाल
- * (158) श्री जी०एम० सिद्देश्वर
- * (159) श्री देवजी एम० पटेल

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *(160) श्री रमेन डेका
- *(161) श्री हरिभाऊ जावले
- *(162) श्री अनंत कुमार हेगड़े
- *(163) श्री मधु गौड़ यास्वी
- *(164) श्री रावसाहेब दानवे पाटील
- *(165) श्री प्रवीण ऐरन
- *(166) श्री जी० सुधाकर रेड्डी
- *(167) श्री महेश्वर हजारी
- *(168) श्री रतन सिंह
- *(169) श्री समीर भुजबल
- *(170) डॉ० अरविन्द कुमार शर्मा
- (171) श्रीमती सुषमा स्वराज
- (172) डॉ० मनमोहन सिंह

अपराहन 4.29 बजे

4. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने विशेष बैठक के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराहन 4.31 बजे

5. संकल्प —स्वीकृत

अध्यक्ष ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“हम, लोक सभा के सदस्य, संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोक सभा की विशेष बैठक में भाग लेकर:

- देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान तथा मानव जाति में समानता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा बनाए रखने तथा समाज के वंचित और दलित वर्गों के उत्थान में संविधान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हुए;

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनवरत रूप से कार्य करने वाले भारत के लोगों की परिपक्वता को संतोष और गर्व के साथ स्वीकार करते हुए;
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विगत 60 वर्षों में संसद ने युगान्तकारी कानूनों के माध्यम से सभी मामलों में समानता और न्याय सुनिश्चित करने तथा संविधान की उद्देशिका में अंतर्निहित आदर्शों के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रतिबद्धता के अनुसरण में एक समावेशी समाज की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, और अभी बहुत कुछ प्राप्त किया जाना बाकी है;

एतद् द्वारा अपने संस्थापक सदस्यों द्वारा संजोए गए आदर्शों के प्रति अपनी पूर्ण और अटूट प्रतिबद्धता की सत्यनिष्ठापूर्वक पुनः पुष्टि करते हैं और:

- (क) संसद की गरिमा, अस्मिता और प्रभुत्व बनाए रखने;
- (ख) संसद को परिवर्तन का एक कारगर माध्यम बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को मजबूत करने;
- (ग) संसद के पर्यवेक्षण के माध्यम से सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने; और
- (घ) राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में अपने को पूर्णतः पुनः समर्पित करने का संकल्प लेते हैं।”

5. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 4.35 बजे

(लोक सभा सोमवार 14 मई, 2012 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 मई, 2012/24 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 237

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 मई, 2012 को छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा जिले के किरणडुल नगर में हुए माओवादी हमले, जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के छह कार्मिक और एक असैनिक जीप ड्राइवर के कथित तौर पर मारे जाने की सूचना मिली है, के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521—523 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 524—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5981—6210 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तनों में पोतों के प्रवेश, लंगर स्थानों और अपतटीय सुविधाओं का विनियमन) नियम, 2012 जो 20 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 311(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 31 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 277(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआं 2866(अ) जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या कांआं 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वर्ष 2010-2011 के लिए छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) का०आ० 2494(अ) जो 3 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैरबी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2491(अ) और का०आ० 2492(अ) जो 3 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-बिआओरा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2608(अ) जो 22 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-बिआओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2639(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग से शिमोगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 2640(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-बिआओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2641(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (पटियाला-संगरूर-भटिंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2721(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 333(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (आठ) का०आ० 2809(अ) जो 16 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का०आ० 1960(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (दस) का०आ० 1961(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-सूरतगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (ग्यारह) का०आ० 1962(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बारह) का०आ० 1963(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तेरह) का०आ० 2018(अ) जो 29 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (बमिथा-सतना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2038(अ) जो 2 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 (ग्वालियर-भिंड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पन्द्रह) का०आ० 2039(अ) जो 2 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 (भिंड-इटवा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 48(अ) जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (सत्रह) का०आ० 49(अ) जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (अठारह) का०आ० 77(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (केरल-कर्नाटक सीमा से कोलेगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 78(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (बमिथा-सतना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 92(अ) जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब-डिवीजनल ऑफिसर, अजमेर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इक्कीस) का०आ० 93(अ) और का०आ० 94(अ) जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-हनुमाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बाईस) का०आ० 187(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (बमिथा-सतना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 205(अ) और का०आ० 206(अ) जो 1 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (जिरकपुर-पटियाला खण्ड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2248(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का०आ० 2325(अ) जो 10 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में नॉर्दर्न कोटा बाईपास जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 से शुरू होकर राज्य राजमार्ग संख्या 33 पर समाप्त हो रहा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 से आगे जुड़ रहा है, के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्य का प्रयोग करने के लिए राजस्थान सरकार के शहरी विकास और आवासीय विभाग के शहरी सुधार न्यास, कोटा को निदेश दिया गया है।
- (छब्बीस) का०आ० 2434(अ) जो 25 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का०आ० 2571(अ) जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का०आ० 2573(अ) जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनतीस) का०आ० 51(अ) जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तीस) का०आ० 271(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतीस) का०आ० 275(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का०आ० 277(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का०आ० 312(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
- (9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (दो) से (पन्द्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1171(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ग के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है तथा जिसमें 10 फरवरी, 2012 को अधिसूचना संख्या का०आ० 257 (अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (दो) का०आ० 1791(अ) जो 3 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तीन) का०आ० 2247(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95, 11 और 12 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- (चार) का०आ० 2433(अ) जो 25 अक्टूबर 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45, 205, 210 और 220 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (पांच) का०आ० 2570(अ) जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा-औरंग) के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (छह) का०आ० 2572(अ) जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में अधिसूचना में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सात) का०आ० 50(अ) जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खण्ड) के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (आठ) का०आ० 270(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में अधिसूचना में उल्लिखित नए और पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (नौ) का०आ० 272(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 418(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का०आ० 273(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 910(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (ग्यारह) का०आ० 274(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1939(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बारह) का०आ० 276(अ) जो 14 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में अधिसूचना में उल्लिखित नए और पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तेरह) का०आ० 2719(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, 28 और 335 के उसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (11) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 21 के कार्यचालन के बारे में वर्ष 2009 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के उपबंध 15क के कार्यचालन के बारे में वर्ष 2009 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) राष्ट्रीय निःशक्त वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 10 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2012 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2012

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने “सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011” के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने कार्य मंत्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

* (एक) वित्त मंत्री ने ऐयरसेल-मक्सिस डील के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्रम और रोजगार मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(क) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

लोक उपापन विधेयक, 2012

*अपराहन 1.15 बजे

*अपराहन 12.05 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित स्कूल पाठ्यपुस्तक में कार्टूनों के प्रकाशन के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित स्कूल पाठ्यपुस्तक में कार्टूनों के प्रकाशन के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. श्री संजय निरुपम
3. श्री यशवंत सिन्हा
4. श्री शरद यादव
5. श्री मुलायम सिंह यादव
6. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
7. श्री दारा सिंह चौहान
8. श्री एम॰ तम्बिदुरई
9. श्रीमती शताब्दी राय
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री बसुदेव आचार्य
13. श्री लालू प्रसाद
14. श्री अनंत गंगाराम गीते
15. श्री नामा नागेश्वर राव
16. श्री शरीफुद्दीन शारिक

सर्वश्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन, जे॰एम॰ आरून रशीद, डॉ॰ पी॰एल॰ पुनिया, श्रीमती अन्नु टंडन, श्रीमती दीपा दासमुंशी, सर्वश्री सुरेश शेटकर, मुकेश गढ़वी, किशनभाई वी॰ पटेल, डॉ॰ क्रुपारानी किल्ली, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, कुमारी मीनाक्षी नटराजन, सर्वश्री उदय प्रताप सिंह,

*सदस्यों ने अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 1.27 बजे तक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

महाबल मिश्रा, डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी, सर्वश्री सतपाल महाराज, पी०टी० थॉमस, महिन्दर सिंह केपी, एन० पीताम्बर कुरूप, एंटो एंटोनी, निनोंग ईरींग, डॉ० अरविन्द कुमार शर्मा, चौधरी लाल सिंह, सर्वश्री शिवराम गौडा, सोहन पोटाई, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती कमला देवी पटले, सर्वश्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, गजानन ध. बाबर, राजेन्द्र अग्रवाल, प्रो० रामशंकर, श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर, डॉ० वीरेन्द्र कुमार और श्री एम०बी० राजेश सहयोजित हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.27 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.33 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.33 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा रक्षा तैयारी की समीक्षा किए जाने तथा रक्षा सेवाओं की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के युवकों को थल सेना में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस्०एस्० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में नारीकोरावन उर्फ कुरुविकरन समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा किसी भी राज्य में 20 प्रतिशत से ज्यादा आबादी के द्वारा बोली जानी वाली किसी भाषा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली में विशेष रूप से पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संपत्तियों की निबंधन प्रक्रिया शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर, गुना जिला, मध्य प्रदेश में रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दुर्घटना के 7 दिन के भीतर सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री शिवाराम गौड़ा द्वारा कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों के लिए सरकारी रोजगार, शैक्षणिक अवसर और कृषि सुविधाएं मिलने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालोर जिले में स्वर्णगिरि फोर्ट का संरक्षण और परिरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) प्रो० रामशंकर द्वारा उत्तर प्रदेश के एस्०एन० मेडिकल कॉलेज आगरा, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तर्ज पर विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अरविन्द कुमार चौधरी द्वारा लखनऊ और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में विद्युतीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री तापस पॉल द्वारा पलासी के इर्द-गिर्द के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किए जाने तथा इन्हें विरासत-सह-पर्यटन सर्किट के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा येलागिरि एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 16089-16090) को तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोरापुर, बुद्दीरेड्डीपट्टी और बोम्मीदी में ठहराव देते हुए सेलम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री पी० लिंगम द्वारा स्त्री/पुरुष के निवास स्थान का ध्यान रखे बगैर सभी अर्हक व्यक्तियों को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु विधि में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.34 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 25 मिनट

शेष समय : 35 मिनट

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011

श्री वी० किशोर चन्द्र देव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
- (2) श्री जयप्रकाश हेगड़े
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) श्री धनंजय सिंह
- (5) श्री भूदेव चौधरी
- (6) श्री के० शिवकुमार उर्फ जे०के० रितीश
- (7) श्री बाजू बन रियान
- (8) श्री पी० लिंगम
- (9) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
- (10) श्री निशिकांत दुबे
- (11) श्री आर० ध्रुवनारायण
- (12) डॉ० रत्ना डे (नाग)
- (13) श्री नामा नागेश्वर राव
- (14) श्री रामकिशुन
- (15) श्री संजीव गणेश नाईक
- (16) श्री हसन खान

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 4.01 बजे

लिया गया समय: 2 घंटे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

कुंवर रेवती रमण सिंह ने वर्तमान लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान विगत में हुई चर्चा के बाद गंगा नदी को प्रदूषण तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री सतपाल महाराज
- (2) श्री योगी आदित्यनाथ
- (3) श्री विजय बहादुर सिंह
- (4) श्री शरद यादव
- (5) श्री लालू प्रसाद
- (6) डॉ० रत्ना डे (नाग) (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.54 बजे

(लोक सभा मंगलवार 15 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सदस्यों ने सायं 6.02 बजे से सायं 6.54 बजे तक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 मई, 2012/25 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 238

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 541—543 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 544—560 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6211—6440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) आई-लैंड इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) आई-लैंड इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूमस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी विदेशियों विषयक अधिकरण संशोधन आदेश, 2012 जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 317(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे 08.05.2012 को सभा पटल पर रखे गए।

- (11) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2012-13 का संख्यांक 3) रेल वित्त।
- (दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2011-12 का संख्यांक 32)।
- (तीन) वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—देवास अंतरिक्ष विभाग के साथ हाइब्रिड सेटेलाइट डिजिटल मल्टीमीडिया ब्रोडकास्टिंग सेवा करार के बारे में संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 4)।
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग एक—समीक्षा)।
- (दो) वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग दो—विस्तृत विनियोग लेखे)।
- (तीन) वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे [भाग दो—विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)]।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (16) नेशनल कार्डिसल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 की धारा 12क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 654(अ) जो 29 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अंतर्गत बनाए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2012 जो 28 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 940(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री ए० राजा	23.12.2011 से 29.12.2011
	12.3.2012 से 30.3.2012
	और
	24.4.2012 से 22.5.2012

(2)	श्री मधु कोड़ा	12.3.2012 से 30.3.2012 और 24.4.2012 से 22.5.2012
(3)	श्री दिलीप सिंह जूदेव	12.3.2012 से 30.3.2012 और 24.4.2012 से 30.4.2012
(4)	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	12.3.2012 से 30.3.2012
(5)	श्री दिनेश त्रिवेदी	08.5.2012 से 22.5.2012
(6)	श्री वार्ड ^० एस ^० जगन मोहन रेड्डी	22.12.2011 से 29.12.2011 12.3.2012 से 30.3.2012 और 24.4.2012 से 09.5.2012
(7)	श्री शिबू सोरेन	22.12.2011 से 29.12.2011 12.3.2012 से 30.3.2012 और 24.4.2012 से 08.5.2012

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) (15वीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों से संबंधित अंतिम उत्तरों के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.03 बजे

7. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 14 मई, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.28 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

- (1) श्री के०पी० धनपालन द्वारा केरल के चलाकुडी में सुपर फास्ट रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने तथा चलाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क उपरि पुल और सड़क अंडर ब्रिजों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ० शशी थरूर द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यकता कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री दत्ता मेघे द्वारा देश के बाजार चीनी उत्पादों से भरे पड़े हैं, जो घरेलू उद्योगों के लिए गंभीर खतरा है, के अवैध आयात को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल के स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट को पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा हिजड़ों को मान्यता प्रदान किए जाने तथा देश में उन्हें उपयुक्त पहचान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* सदस्यों ने अपराहन 12.04 बजे से अपराहन 12.28 बजे तक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (7) श्री ए०टी० नाना पाटील द्वारा सैन्य बलों के शौर्य पदक धारकों को अर्द्ध-सैनिक बलों के पदक धारियों के समतुल्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम के सिलचर में स्थित कचर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा देश के डाकघरों में राजस्व डाक टिकट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा देश में ग्रामीण डाक सेवकों को पर्याप्त मानदेय दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का प्रबंधन सुचारू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा के तटीय मैदान में अवैध बालू खनन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में कट्टर वामपंथ से प्रभावित जिलों में सड़क के निर्माण हेतु वित्तीय अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा देश में विशेष रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में विधि के अंतर्गत वन्य निवासियों के अधिकारों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा उड़ीसा के क्यौंझर जिले में हाड़ागढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा देश में किसानों को उनकी कृषि उपज के बदले पर्याप्त संदायगी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार को मध्य प्रदेश की बाणसागर परियोजना से जल का शेयर उपलब्ध कराया जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा पाकिस्तान के साथ सीमा-पार व्यापार को सुकर बनाने के लिए पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला में एक बॉर्डर चेक पोस्ट खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 3 घंटे 52 मिनट

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2011

श्री वी० किशोर चंद्र देव द्वारा 14 मई, 2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
2. श्री लालू प्रसाद
3. श्रीमती ज्योति धुर्वे
4. श्री अदगुरु एच० विश्वनाथ
5. श्री नरहरि महतो
6. कुंवर रेवती रमण सिंह
7. श्री रमाशंकर राजभर
8. श्री महेश्वर हजारी
9. श्री शरीफुद्दीन शारिक
10. श्री जयराम पांगी
11. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
12. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
13. डॉ० मोनाजिर हसन
14. श्री अशोक अर्गल
15. डॉ० (श्रीमती) प्रभा किशोर ताविआड
16. श्री बसुदेव आचार्य
17. श्री वीरेन्द्र कश्यप
18. चौधरी लाल सिंह
19. डॉ० प्रसन्न कुमार पाटसाणी

20. श्री हेमानंद बिसवाल
21. श्री एम० आनंदन
22. श्री दारा सिंह चौहान
23. श्री योगी आदित्यनाथ
24. श्री प्रबोध पांडा
25. डॉ० पुलीन बिहारी बासके
26. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी

श्री वी० किशोर चन्द्र देव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री वी० किशोर चन्द्रदेव ने विधेयक, यथा संशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 4.31 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 5 घंटे 20 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 10 मई, 2012 को राष्ट्रीय कैरियर अर्थात् एयर इंडिया और कुछ प्राइवेट कैरियर के कार्यकलाप में बड़े स्तर पर कुप्रबंधन के कारण नागर विमानन क्षेत्र में व्यापक नीतिगत परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता तथा नागर विमानन क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री अनंत गंगाराम गीते
4. श्री आर० थामराईसेलवन
5. श्री एस्० सेम्मलई
6. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
7. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
11. श्री शरीफुद्दीन शारिक
12. डॉ० अजय कुमार
13. श्री मदन लाल शर्मा
14. श्री सी० शिवासामी
15. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
16. श्री सानल्लुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

श्री अजित सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

*रात्रि 8.30 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी०के० विश्वानाथन,
महासचिव।

* सायं 7.49 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

दिनांक 13.5.2012 के समाचार — भाग 1, संख्या 236

का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ सं० 5, क्रम सं० 79, “श्री भूपेन्द्र चौधरी” के स्थान पर “श्री भूदेव चौधरी” पढ़ा जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 मई, 2012/26 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 239

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 561, 562, 564 और 565 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 566 से 568, 571, 573 से 580 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न सं० 563, 569, 570 और 572 अगले सत्र के लिए स्थगित किए गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6441—6670 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कंपनियों, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी समनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2012, जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2012, जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 301(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय वन सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2012, जो 18 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 302(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, पणजी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, पणजी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी), शिमला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी), शिमला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) यूईई मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूईई मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजॉल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आइजॉल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्जोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सर्व शिक्षा अभियान यू टी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान यू टी मिशन अथॉरिटी अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस मॉडल स्कूल स्कीम छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस मॉडल स्कूल स्कीम छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा राज्य मिशन, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा राज्य मिशन, अगरतला के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), गाँधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), गाँधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाँधीनगर, गाँधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गाँधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 29(अ) जो 4 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा परिषद् की अधिक्रमण अवधि को 7 जनवरी, 2012 से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

- (दो) अधिसूचना संख्या एफ० सं० 47-8/2011/एनसीटीई/सीडीएन(वोल्यूम II) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो श्री सुधीर वर्मा, पूर्व सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, जयपुर के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या एफ सं० 61-1/2011/एनसीटीई (एन एण्ड एस) जो 2 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अध्यापक के रूप में नियुक्ति की अर्हता के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता के बारे में है।
- (46) उपर्युक्त (45) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता सन्नियम और प्रक्रिया चौथा संशोधन) विनियम, 2011 जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 49-3/2011/एनसीटीई/एन एण्ड एस में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 13 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (48) उपर्युक्त (47) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

4. 57वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने 21 से 28 जुलाई, 2011 तक लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 57वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बंस गोपाल चौधरी ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन।
- (2) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जयवंत गंगाराम आवले ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित “भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)—आभूषण की हॉलमार्किंग” विषय के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना’ के बारे में सर्वश्री नीरज शेखर और असादुद्दीन ओवेसी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 365 के संबंध में 2 मई, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(तीन) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।
- (3) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (4) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में इकतीसवां प्रतिवेदन।
- (5) अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में तैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डाकघरों का आधुनिकीकरण' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.05 बजे

*8. सदस्यों द्वारा निवेदन

आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग आदि के कथित आरोपों के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग आदि के कथित आरोपों के बारे में निवेदन किए:—

- (1) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (2) श्री कीर्ति आजाद

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

*अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 1.03 बजे तक सदस्यों ने अखिलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

अपराहन 2.03 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एंटो एंटोनी द्वारा अनिवासी भारतीयों का मतदाताओं के रूप में सुलभ पंजीकरण सुकर बनाने तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में मतदान केन्द्र भी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर जिले में एक केन्द्रीय रेशम पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और बाराबंकी जिलों में किसानों से लाभकारी मूल्य पर गेहूं की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हरीश चौधरी द्वारा विवाह समारोहों के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अधिक लम्बी अवधि तक के लिए वीजा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थानों को हेलिकॉप्टर सेवाओं से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री कमलेश पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश के बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरयू नदी द्वारा उत्पन्न मृदा अपरदन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से दांडी, तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228, जिसे विरासत मार्ग घोषित किया गया है, का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा हज यात्रियों द्वारा पासपोर्ट जमा करने की नियत अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में नरोड़ा में हृदय रोग विज्ञान विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल की स्थापना हेतु अनुमोदन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बकुलाही नदी जिससे फसलों को नुकसान होता है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, की गाद निकालने का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा और शारदा नदियों द्वारा उत्पन्न बाढ़ को रोकने के लिए छोटे बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूर्व-मध्य रेल के अंतर्गत खगड़िया रेलवे जंक्शन, बिहार के समीप छतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत और उसका निर्माण कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु में पालर रीवर बेसिन में बालू का उत्खनन रोकने के लिए आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एम्बी० राजेश द्वारा केरल के पालक्काड़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री मनोहर तिरकी द्वारा चाय का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किए जाने तथा चाय बागान उद्योग के लिए केन्द्रीय पारिश्रमिक बोर्ड का भी गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जोस के० मणि द्वारा केरल और तमिलनाडु में दूरदर्शन के सभी फ्री-टू-एअर चैनलों को डीडी डायरेक्ट प्लस के बुके के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

10. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 42 मिनट

केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश सिंह
2. श्री प्रदीप टम्टा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ० बलीराम
5. श्री महाबली सिंह
6. डॉ० रत्ना डे (नाग)
7. श्री आर० थामराईसेलवन
8. श्री शक्ति मोहन मलिक
9. श्री मोहन जेना
10. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
11. श्री एस० सेम्मलई
12. श्रीमती रमा देवी
13. श्री बिभू प्रसाद तराई
14. श्री हमदुल्लाह सर्ईद
15. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
16. श्री एंटो एंटोनी
17. श्री वीरेन्द्र कश्यप
18. श्री बाजू बन रियान

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 4.47 बजे

11. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 13 मिनट
शेष समय : 47 मिनट

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012

डॉ० सी०पी० जोशी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री विश्व मोहन कुमार
6. डॉ० रत्ना डे (नाग)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.33 बजे

(लोक सभा गुरुवार 17 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 17 मई, 2012/27 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 240

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 581—583 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 584—600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6671—6900 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (तीन) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (समनुषंगी) और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (नियंत्रि कंपनी) के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) दसवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. विवरण संख्या पच्चीस | सोलहवां सत्र, 1996 |
|------------------------|--------------------|

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 2. विवरण संख्या छियालीस | दूसरा सत्र, 1999 |
| 3. विवरण संख्या बावन | तीसरा सत्र, 2000 |

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 4. विवरण संख्या पच्चीस | पांचवां सत्र, 2005 |
| 5. विवरण संख्या चौबीस | छठा सत्र, 2005 |
| 6. विवरण संख्या चौबीस | सातवां सत्र, 2006 |
| 7. विवरण संख्या बीस | दसवां सत्र, 2007 |
| 8. विवरण संख्या अठारह | ग्यारहवां सत्र, 2007 |
| 9. विवरण संख्या सत्रह | बारहवां सत्र, 2007 |
| 10. विवरण संख्या पन्द्रह | तेरहवां सत्र, 2008 |
| 11. विवरण संख्या तेरह | चौदहवां सत्र, 2008 |
| 12. विवरण संख्या बारह | पंद्रहवां सत्र, 2009 |

पंद्रहवीं लोक सभा

13.	विवरण संख्या ग्यारह	दूसरा सत्र, 2009
14.	विवरण संख्या नौ	तीसरा सत्र, 2009
15.	विवरण संख्या नौ	चौथा सत्र, 2010
16.	विवरण संख्या छह	पांचवां सत्र, 2010
17.	विवरण संख्या पांच	छठा सत्र, 2010
18.	विवरण संख्या चार	सातवां सत्र, 2011
19.	विवरण संख्या तीन	आठवां सत्र, 2011
20.	विवरण संख्या दो	नौवां सत्र, 2011
21.	विवरण संख्या एक	दसवां सत्र, 2012

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति उनकी नियुक्ति में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :—

(एक) कि 22 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु दोनों सभाओं की समिति में शामिल होने का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने तथा आगामी सत्र के दौरान शेष एक रिक्त पद को भरने

के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित 9 सदस्यों को निर्वाचित किया है:—

1. श्री वी० हनुमंत राव
2. डॉ० राम प्रकाश
3. श्री रामचन्द्र खुंटा
4. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर
5. श्रीमती झरना दास बैद्य
6. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
7. श्री अरविन्द कुमार सिंह
8. श्री देवेंदर गौड टी०
9. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य

(दो) कि 28 मार्च, 2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

1. प्रो० सैफुद्दीन सोज़
2. श्री जेसुदासु सीलम
3. श्री प्रकाश जावडेकर
4. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
5. श्री प्रशांत चटर्जी
6. श्री एन०के० सिंह
7. श्री सुखेन्दु शेखर राय

(तीन) कि 28 मार्च, 2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी दोनों सभाओं की समिति में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया:—

1. श्री रिशांग कीशिंग
2. श्री ईश्वर सिंह
3. डॉ० भालचन्द्र मुणगेकर
4. श्री नंद कुमार साय
5. श्री फगन सिंह कुलस्ते
6. श्री थावर चन्द्र गहलोत
7. श्री वीर सिंह
8. श्री डी० राजा
9. श्री लालमिंग लिआना
10. श्री ए०वी० स्वामी

(चार) कि 28 मार्च, 2012 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री जनार्दन द्विवेदी
2. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
3. श्री टी०एम० सेल्वागणपति
4. श्री तारिक अनवर
5. श्री नरेश गुजराल
6. डॉ० वी० मैत्रेयन
7. श्री अनिल देसाई

- (पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 3 मई, 2012 को पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (छह) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 8 मई, 2012 को पारित वित्त विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (सात) कि 16 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 11 मई, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)

श्री ए०के०एस० विजयन ने “संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से बचने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रभावी निगरानी” विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011’ के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के

बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#9. दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी०सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.03 बजे

10. ध्यानाकर्षण

(एक) श्री जगदम्बिका पाल ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 12.50 बजे

(दो) श्री बसुदेव आचार्य ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को कार्यान्वित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वित्त मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 1.15 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012

(*लोक सभा अपराहन 1.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.16 बजे पुनः समवेत हुई।*)

समय बढ़ाए जाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन अलग से परिचालित किया गया।

अपराहन 2.16 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री इज्यराज सिंह द्वारा लहसुन का क्रय मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य के अनुरूप बढ़ाए जाने तथा लहसुन के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एन० पीताम्बर कुरूप द्वारा केरल के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा मासिक सीजन टिकट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आय प्रमाणपत्र की बढ़ी हुई विधिमान्यता से परिवार में सभी अर्हक कर्मकार सदस्यों को रेलवे इज्जत मासिक सीजन टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में गेहूँ की पैकेजिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में जूट की बोरियां उपलब्ध कराए जाने तथा किसानों से एफसीआई द्वारा समय पर गेहूँ की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री के० डी० देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट से रायपुर और नागपुर तक सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा झांसी और देवारीबंध के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और देवारीबंध-छतरपुर-सतना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के मरम्मत कार्य को आरंभ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरिभाऊ जावले द्वारा खाद्यान्नों के लिए गोदामों के निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु किसानों को सब्सिडी दिए जाने संबंधी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा टाटानगर और बदमपहर नई सवारी गाड़ी सेवा और बदमपहर से राऊरकेला, रांची और चक्रधरपुर तक एक एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के सांभाजी नगर में गोलावारी क्रासिंग में चार लेन वाली सड़क का निर्माण कराने हेतु रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री के० सुगुमार द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री बलीराम जाधव द्वारा महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन और इंटरनेट सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.18 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 6 मिनट

महाप्रशासक (संशोधन) नियम, 2012,—राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री सलमान खुर्शीद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सलमान खुर्शीद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल
2. श्री पन्नालाल पुनिया
3. श्री सलमान खुर्शीद

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 2.24 बजे

14. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा, 38 मिनट

शेष समय : 22 मिनट

रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011,—राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री मुकुल राय ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एस० एस० रामासुब्बू
2. श्री अर्जुन चरण सेठी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री लालजी टन्डन
5. श्री विजय बहादुर सिंह
6. श्री भूदेव चौधरी
7. श्री लालू प्रसाद
8. श्री के० जे० के० रितीश शिवकुमार
9. श्री प्रबोध पांडा
10. प्रो० शेख सैदुल हक
11. श्री प्रहलाद जोशी
12. चौधरी लाल सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 4.02 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 20 मिनट

कुंवर रेवती रमन सिंह द्वारा 14 मई, 2012 को वर्तमान लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान विगत में हुई चर्चा के बाद गंगा नदी को प्रदूषण तथा हिमालय को निर्मम दोहन से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. डॉ० रत्ना डे नाग (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री प्रदीप टम्टा
4. प्रो० शेख सैदुल हक
5. श्री भर्तृहरि महताब
- *6. श्री आर० थामराईसेलवन
- *7. श्री तुफानी सरोज
8. श्री अनंत गंगाराम गीते
- *9. श्री अर्जुन मेघवाल
- *10. श्री रमेश बैस
11. डॉ० एम० तम्बिदुरई
- *12. श्री प्रेमदास
- *13. श्री राम सिंह कस्वां
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. श्री संजय सिंह चौहान
16. श्री प्रबोध पांडा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *17. श्री पी०टी० थॉमस
- 18. श्रीमती अन्नु टन्डन
- *19. डॉ० तरुण मंडल
- *20. श्री एस०एस० रामासुब्बू
- *21. श्री शैलेन्द्र कुमार
- *22. श्री सुशील कुमार सिंह
- *23. प्रो० (डॉ०) रंजन प्रसाद यादव
- *24. डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
- *25. श्री कपिल मुनि करवारिया
- *26. श्री ओ०एस० मणियन
- *27. श्री गोरखनाथ पाण्डेय

श्रीमती जयन्ती नटराजन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#सायं 7.06 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 18 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 6.22 बजे से सायं 7.06 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 18 मई, 2012/28 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 241

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 601—604 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 605—620 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6901—7130 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 275(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 276(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 18/2012-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 271(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि 284(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या 35/2004-सी०शु०(एन०टी०) का अधिक्रमण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 285(अ) और सांकांनि 286(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 04/2012-सी०शु० (एडीडी) को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनिं 287(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महा निदेशालय द्वारा कराई जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पेरोजोसल्फेट्स' जिसे 'परसल्फेट्स' के नाम से भी जाना जाता है, के आयात पर 18 मार्च, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनिं 290(अ) जो 12 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 112/2007-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनिं 273(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) संविधान के अनुच्छेद 283(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा और निवेश) संशोधन नियम, 2012 जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 264(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआं 904(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदानों तथा ग्राहक के खाते में शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.8 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय बचत-पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 318(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) राष्ट्रीय बचत-पत्र (नौवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 320(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (तीन) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (चार) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (पांच) एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (छह) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।
- (17) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2012-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (19) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (21) निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भिन्न लेखा वर्षों के समाप्त होने के पश्चात् उनमें उल्लिखित नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

क्रम सं०	संस्थाओं के नाम	लेखा वर्ष
1.	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	2010-11
2.	एम्स, नई दिल्ली	2010-11
3.	एफएसएसएआई, नई दिल्ली	2010-11
4.	इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद	2010-11
5.	आरएसटी, नागपुर	2010-11
6.	एमआईएनजेआईओ, हैदराबाद	2010-11
7.	किदवर्ड मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी, बंगलौर	2010-11
8.	कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद	2010-11
9.	जीसीआरआई, अहमदाबाद	2010-11
10.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे	2010-11
11.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता	2010-11
12.	सीएनसीआई, कोलकाता	2009-10 और 2010-11
13.	बी०बी० कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी	2007-08 से 2010-11

- (22) (एक) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल (रीजनल कैंसर सेंटर), इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ० बलराम ने 10 मई, 2012 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) 'सशस्त्र बलों में महिलाएं' विषय पर समिति (2010-11) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में पंद्रहवां प्रतिवेदन।

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

श्रीमती चंद्रेश कुमारी ने 'प्रसार भारती में महिलाओं की कार्यदशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन 15वीं लोक सभा के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन चरण सेठी ने 'वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामले' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयवंत गंगाराम आवले ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'चीनी का उत्पादन, उपभोग तथा मूल्य निर्धारण' विषय के बारे में समिति (2009-10) का दसवां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति (2010-11) का बारहवां प्रतिवेदन।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 222वां प्रतिवेदन।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 223वां प्रतिवेदन।

- (3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 224वां प्रतिवेदन।
- (4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 225वां प्रतिवेदन।
- (5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 226वां प्रतिवेदन।
- (6) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 227वां प्रतिवेदन।
- (7) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 228वां प्रतिवेदन।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित “जम्मू-कश्मीर में पर्यटन का संवर्धन” के बारे में समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित “पर्यटन अवसंरचना तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए सुविधाओं का विकास” के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.06 बजे

12. ध्यानाकर्षण

श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने कर्नाटक में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 1.10 बजे*

13. सदस्य द्वारा निवेदन

राजधानी एक्सप्रेस में अपमिश्रित खाद्य वस्तुएं परोसे जाने के कारण यात्रियों के बीमार होने के बारे में।

श्री कामेश्वर बैठा ने राजधानी एक्सप्रेस में अपमिश्रित खाद्य वस्तुएं परोसे जाने के कारण यात्रियों के बीमार होने के बारे में निवेदन किया:—

श्री पन्ना लाल पुनिया सहयोजित हुए।

श्री मुकुल राय ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.30 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.34 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.34 बजे

14. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 2 घंटे

रेल संपत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2011, राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्री मुकुल राय द्वारा 17 मई, 2012 को विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कमल किशोर उर्फ कमांडो
2. डॉ॰ तरुण मंडल

श्री मुकुल राय की ओर से श्री के॰एच॰ मुनियप्पा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 1.10 बजे से अपराहन 1.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री के०एच० मुनियप्पा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 2.58 बजे

लिया गया समय : 32 मिनट

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री शरद यादव ने खाद्यान्नों की खरीद की दोषपूर्ण नीति तथा उनके भण्डारण की अपर्याप्त सुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाई और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

16. प्रस्ताव

डॉ० रत्ना डे (नाग) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 9 मई, 2012 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — अस्वीकृत

26 अगस्त, 2011 को श्री हरीश चौधरी द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“यह सभा देश के मरु प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:—

(एक) मरु प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरु प्रदेशों के समग्र विकास; और

(दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण (अपना भाषण पुनः आरम्भ किया)
 2. श्री नारनभाई कछाड़िया
 3. श्री अश्विनी कुमार
- संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.52 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - विचाराधीन

लिया गया समय: 2 घन्टे 8 मिनट

श्री ओम प्रकाश यादव ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

“बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य के मोतिहारी जिले, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की “कर्मभूमि” भी रहा है, में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्रीमती मीना सिंह
6. श्री महाबल मिश्रा
7. डॉ० भोला सिंह
8. श्री जगदानंद सिंह

9. श्री सतपाल महाराज
10. श्रीमती रमा देवी
11. श्री एस्के० बैसीमुथियारी
12. श्री अर्जुन मेघवाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.42 बजे

(लोक सभा सोमवार, 21 मई, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 मई, 2012/31 वैशाख, 1934 (शक)

संख्या 242

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 621—624 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 625—640 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 7131—7360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) 'काला धन पर श्वेत पत्र'—मई, 2012 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) वी० वी० गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वी० वी० गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 2100(अ) जो 20 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना का०आ० 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 2483(अ) जो 3 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों वाले संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, दमण, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया गया है।
- (तीन) का०आ० 2484(अ) जो 3 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों वाले राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, केरल का गठन किया गया है।
- (चार) का०आ० 2772(अ) जो 12 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अगस्त, 2011 की अधिसूचना का०आ० 1844(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 568(अ) जो 23 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों वाले राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, हरियाणा का गठन किया गया है।
- (छह) का०आ० 412(अ) जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों वाले राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया है।
- (सात) का०आ० 411(अ) जो 14 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों वाले राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, मेघालय का गठन किया गया है।
- (आठ) का०आ० 13(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों वाले तमिलनाडु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

- (नौ) का०आ० 156(अ) जो 25 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना का०आ० 1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल क्लस्टर, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल क्लस्टर, अहमदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन टूल्स टेक्नोलॉजी सेन्टर, जालंधर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन टूल्स टेक्नोलॉजी सेन्टर, जालंधर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) उपर्युक्त 20 में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 898(अ) जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विगत सीजन अर्थात् खरीफ विपणन सीजन 2009-2010 और आरएमएस 2010-11 के शेष एचडीपीई/पीपी बैगों के 56000 गट्टरों की मात्रा के रबी विपणन सीजन, 2012-13 के दौरान भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा राज्य अभिकरणों, मध्य प्रदेश राज्य अभिकरणों तथा पंजाब राज्य अभिकरणों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी गई है।
- (दो) का०आ० 933(अ) जो 27 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अभिकरण को रबी विपणन सीजन, 2012-2013 के लिए कुल 40,000 गट्टरों की मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का०आ० 88(अ) का प्रचालन करने से छूट दी गई है।
- (तीन) का०आ० 1023(अ) जो 4 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य अभिकरण को रबी विपणन सीजन, 2012-2013 के लिए कुल 24,000 गट्टरों की मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का०आ० 88(अ) का प्रचालन करने से छूट दी गई है।
- (चार) का०आ० 1041(अ) जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य अभिकरण को रबी विपणन सीजन, 2012-2013 के लिए कुल 20,000 गट्टरों की मात्रा की सीमा तक 17.1.2012 के आदेश संख्या का०आ० 88(अ) का प्रचालन करने से छूट दी गई है।
- (23) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) का०आ० 1598(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा से धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1725(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 798(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1193(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 734(अ) जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भंडारा-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 459(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2160(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा से सांगारेड्डी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (आठ) का०आ० 1856(अ) जो 10 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1710(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1706(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (चरिआबही-टिओक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1707(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (मोराबाजार-खलोईघुगुती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 1565(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 1566(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (गुवाहाटी-नलबारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1592(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 405(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पंद्रह) का०आ० 1670(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट-रूद्रकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सोलह) का०आ० 1999(अ) और का०आ० 1994(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (बेलगाम-गोआ/केएनटी सीमा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1997(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 393(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का०आ० 1818(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हुंगुड-हॉस्पेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 1719(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हॉस्पेट-चित्रदुर्ग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 371(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (अंकोला-हुबली-हॉस्पेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इक्कीस) का०आ० 348(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (हास्पेट-बेल्लारी-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हॉस्पेट को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बाईस) का०आ० 981(अ) जो 4 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (कर्नाटक/गोवा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2501(अ) जो 4 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 348(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चौबीस) का०आ० 2167(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2638(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (पच्चीस) का०आ० 2382(अ) जो 15 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पणजी-मंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उडुपी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (छब्बीस) का०आ० 2280(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (हॉस्पेट-चित्रदुर्ग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 2233(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 (बीजापुर-गुलबर्गा-होमनाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बीजापुर, को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 2218(अ) जो 26 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 2384(अ) जो 15 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भंडारा-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 2417(अ) जो 19 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 2455(अ) जो 28 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 395(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बत्तीस) का०आ० 2466(अ) जो 28 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 394(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का०आ० 2460(अ) जो 28 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 391(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौतीस) का०आ० 970(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव- नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 967(अ) जो 3 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (नागपुर-साओनेर-पन्थुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 562(अ) जो 15 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडापे-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 1188(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (अमरावती-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (अड़तीस) का०आ० 458(अ) जो 1 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 919(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (चालीस) का०आ० 795(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई-वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब-डिवीजनल अधिकारी, दहाणु को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इकतालीस) का०आ० 822(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1500(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का०आ० 402(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (औरंगाबाद-धुले खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तैंतालीस) का०आ० 1319(अ) जो 7 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 42(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चवालीस) का०आ० 1081(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडापे-गोंडे खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 2376(अ) जो 15 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 (अलीगढ़-मुरादाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) बुलंदशहर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (छियालीस) का०आ० 2181(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (सैतालीस) का०आ० 2240(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मुसाफिरखाना को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (अड़तालीस) का०आ० 1854(अ) जो 10 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, संयुक्त संगठन, बरेली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (उनचास) का०आ० 1925(अ) जो 19 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (पचास) का०आ० 1567(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 (मेरठ-बुलंदशहर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इक्यावन) का०आ० 1563(अ) जो 8 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (कर्नाटक/गोवा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बावन) का०आ० 2162(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरोल-दहिसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरेपन) का०आ० 2250(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (सात) से (पन्द्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2313(अ) जो 7 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2249(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेन्टली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेन्टली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपैडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि ऑर्थोपैडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) नेशनल बैंकवार्ड क्लासेज फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 17 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया।

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी०आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) “भारतीय रेल की नई खान-पान नीति-2010” के बारे में 15वां प्रतिवेदन।
- (2) “रेलवे की नई भर्ती नीति” के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्वाइ के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री टी०आर० बालू ने “रेल संपत्ति और यात्रियों का संरक्षण तथा सुरक्षा” के बारे में 8वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्वाइ संबंधी दसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हसन खान ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) राष्ट्रीय संग्रहलाय के कार्यकरण के बारे में समिति के 167वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 179वां प्रतिवेदन।

- (2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास के बारे में समिति के 172वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 180वां प्रतिवेदन।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 51वां प्रतिवेदन।
- (2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.04 बजे

11. ध्यानाकर्षण

श्री शीश राम ओला ने देश में विशेषकर राजस्थान के झुंझुनू और चुरू जिलों में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 12.21 बजे

12. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि यह सभा 18 मई, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.22 बजे

13. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

(i) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

(ii) अनुसंधान और नव प्रवर्तन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

*अपराहन 12.23 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

क्रिकेट संगठनों में कथित अनियमितताओं और उन संगठनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की आवश्यकता के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने क्रिकेट संगठनों में कथित अनियमितताओं और उन संगठनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए।

1. श्री कीर्ति आजाद

2. श्री शरद यादव

सर्वश्री पन्ना लाल पुनिया, वीरेन्द्र कुमार, एम०बी० राजेश, जितेन्द्र सिंह बुंदेला, राजेन्द्र अग्रवाल और प्रो० (डॉ०) रामशंकर कथीरिया सहयोजित हुए।

श्री अजय माकन ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.16 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.17 बजे पुनःसमवेत हुई)

अपराहन 2.17 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्यों के नाम आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा पश्चिमी ओडिशा में विमान सुविधा उपलब्ध कराए जाने और राज्य में झारसुगुडा विमानपट्टी का नवीकरण और स्तरोन्नयन भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.23 बजे से अपराहन 1.16 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (2) श्री कोडिकुनील सुरेश द्वारा केरल के मावेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोटा रकारा शहर में रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में पाकिस्तानी हिन्दुओं, सिखों और सिंधियों के आगमन पर से प्रतिबंध हटाए जाने और दीर्घावधिक वीजा पर गुजरात में पहले से रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा रिवैम्प सेंट्रल रोड फंड स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु में सदरास-चेंगलपट्ट-कांचीपुरम-आराकोनम-तिरूतनी रोड के 33/8 से 36/8 खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में पिपरमिंट बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन और स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में सूचना प्रौद्योगिक एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री रतन सिंह द्वारा भरतपुर, राजस्थान के लोहागढ़ में स्थित ऐतिहासिक किले के संरक्षण और संरक्षा के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यालय भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने तथा विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री के०डी० देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) प्रो० रामशंकर द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा में औद्योगिकी इकाईयों को प्राकृतिक गैस के पारेषण पर टीडीएस समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेगा फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती रुषा वर्मा द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत समाज कल्याण की योजनाओं का साम्यापूर्ण और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री जगदीश सिंह राणा द्वारा सहारनपुर से मेरठ तक की रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन तथा उनका दोहरीकरण किए जाने और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री ई०जी० सुगावनम द्वारा कच्चे ईंटों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री लक्ष्मण टुडु द्वारा ओडिशा के मयूरभंज जिले में बड़ीपाड़ा में प्रस्तावित राष्ट्रीय छाऊ नृत्य केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा गंगा और यमुना नदियों में जल प्रवाह अनुरक्षण और जल प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री जोसेफ टोप्पो द्वारा असम में रंगिया-मुरकॉंगसिली रेलवे लाईन के आमाम परिवर्तन कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने तथा कामाख्या और तेजपुर एवं रंगिया और तेजपुर के बीच प्रस्तावित दो नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.18 बजे

16. सरकारी विधेयक—पारित

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011

लिया गया समय: 1 घंटा 50 मिनट

श्री अजय माकन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीर्ति आजाद
2. श्री निनोंग ईरींग
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री रमाशंकर राजभर
5. डॉ० अर्जुन राय

6. श्री आर० थामराईसेलवन
7. श्री एडवोकेट ए० सम्पत
8. श्री लालू प्रसाद

श्री अजय माकन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 से 21 स्वीकृत हुए।

खण्ड 22 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 से 46 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अजय माकन द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराहन 4.08 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 1 घंटा 24 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य ने केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री अनंत कुमार (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 5.32 बजे

18. आधे घंटे की चर्चा

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 13.3.2012 को कृषि मंत्री द्वारा “कृषि व्यवसाय” के बारे में तारंकित प्रश्न सं० 1 के दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर एक चर्चा उठाई।

श्री शरद पवार की ओर से श्री हरीश रावत ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 7.18 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 मई, 2012 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.28 बजे से सायं 7.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 मई, 2012/1 ज्येष्ठ, 1934 (शक)

संख्या 243

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 22 मई, 2012 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पेनाकोंडा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से हुबली-बेंगलुरु एक्सप्रेस के टकराने से 15 व्यक्तियों की मृत्यु और अनेक व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 641 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 642—660 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7361—7590 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 34(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2011 जो 27 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 903(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) केन्द्रीय भांडागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियम, 2012 जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 जो 28 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भर्ती विनियम, 2011 जो 12 मई, 2011 के दिल्ली के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13(02)/2011/यूडी/एमबी/एनडीएमसी/4576 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 की धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आरोविल प्रतिष्ठान के सचिव पद के लिए भर्ती नियम, 2001, जो 26 मार्च, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 102 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सांकाणि० 736 (अ) जो 3 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 102 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2012-13 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों* का शुद्धिपत्र।
- (दो) वर्ष 2012-13 के लिए वस्त्र मंत्रालय के परिणामी बजट* का शुद्धिपत्र।
- (31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (इंडियन इकानॉमिक सर्विस सेक्शन), दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (इंडियन इकानॉमिक सर्विस सेक्शन), दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* अनुदानों की विस्तृत मांग और परिणामी बजट 26.03.2012 को सभा पटल पर रखे गए।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 942(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (34) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर के वर्ष 2009-10 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को उनमें उल्लिखित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

क्रम सं०	संस्थाओं के नाम	लेखा वर्ष
1	2	3
1.	बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1988-89 और उससे आगे
2.	जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1994-95 और उससे आगे
3.	उड़ीसा स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10 और उससे आगे
4.	केरल स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07 और उससे आगे

1	2	3
5.	असम स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2004-05, 2005-06 और 2006-07
6.	महाराष्ट्र स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10 और उससे आगे
7.	हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11
8.	मध्य प्रदेश स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11
9.	पंजाब स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11

- (37) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2012 जो 19 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-90/2011-आयु (पीजी रेगु) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2012 जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 279(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, जो 10 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 267(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 6 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (42) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ० 44 (अ) जो 9 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री पवन देव कोटवाल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय अर्थात् जम्मू और श्रीनगर में टाडा/पोटा के अंतर्गत अभिहित न्यायालयों के “न्यायाधीश” के स्थानांतरण होने पर श्री संजय परिहार, तीसरे अपर सत्र न्यायाधीश को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय अर्थात् जम्मू-कश्मीर में टाडा/पोटा के अंतर्गत अभिहित न्यायालय में पीठासीन होने के लिए “न्यायाधीश” के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (दो) कांआ० 45 (अ) जो 9 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम की धारा 11 (9) के अंतर्गत कार्यों का संचालन करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश-01, नई दिल्ली, पटियाला हाउस, न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश-04 सह-अपर सत्र न्यायाधीश प्रभारी, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय को “अपर न्यायाधीश” के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (43) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ० 893 (अ) जो 23 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री विवेक गुप्ता, जिनका निधन

माह जनवरी, 2012 में हुआ था, की नियुक्ति की अधिसूचना को वापस लिया गया है। श्री विवेक गुप्ता, अधिवक्ता को गृह मंत्रालय की 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1971 (अ) में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों को परीक्षण न्यायालयों में, मामले से उत्पन्न अपीलों, पुनरीक्षणों या अन्य विषयों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(दो) का०आ० 894(अ) जो 23 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ० डी०सी० सरकार, जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे दिया है, की नियुक्ति की अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। डॉ० डी०सी० सरकार, अधिवक्ता को गृह मंत्रालय की 2 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 234(अ) में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों को परीक्षण न्यायालयों में, मामले से उत्पन्न अपीलों, पुनरीक्षणों या अन्य विषयों को पश्चिम बंगाल राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(तीन) का०आ० 693(अ) जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री एम० वेंकटेश्वर राव, उप-विधि सलाहकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से किसी भी न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए "लोक अभियोजक" के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(44) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 989(अ) जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 21 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में सर्वश्री रविशंकर प्रसाद, एस्०एस्० अहलुवालिया और प्रवीण राष्ट्रपाल की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप

उत्पन्न रिक्तियों पर दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के तीन सदस्यों को निर्वाचित करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और राज्य सभा के सदस्य सर्वश्री रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान और प्रवीण राष्ट्रपाल जो उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं, के नामों की सूचना भी दी।

(दो) कि राज्य सभा 21 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 15 मई, 2012 को पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 21 मई, 2012 को हुई अपनी बैठक में आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित कर दिया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया

आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012

6. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां — कार्य का सारांश

महासचिव ने 'विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां — कार्य का सारांश (31 अगस्त, 2009 से 30 अगस्त, 2010)' का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुंडा ने नौवें और दसवें सत्रों के दौरान, आयोजित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 22वीं से 26वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने 'पशुपालन क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता को इष्टतम बनाया जाना' के बारे में कृषि संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जयवंत गंगाराम आवले ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों

के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के की-गई-कार्यवाही संबंधी अंतिम उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति (2009-10) के चौथे प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति (2009-10) के पांचवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मुकेशकुमार बी० गढ़वी ने 'तेल संस्थापनों की संरक्षा' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की-गई-अनुवर्ती कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 25वां की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (2) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में 26वां की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 42वां की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

12. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का विवरण

श्री ए० के० एस० विजयन ने "प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, परिसंवादों, कार्यशालाओं, आदि के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के महत्व के बारे में कार्यान्वयन अभिकरणों में जागरूकता" विषय पर समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्यवाही के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के पाँचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतिम रूप से की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
 - (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—
 - (एक) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
14. दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी० सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति में श्री विजय बहुगुणा के समिति

की सदस्यता से त्यागपत्र देने तथा श्री अखिलेश यादव के लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर डॉ० शशी थरूर और श्री शैलेन्द्र कुमार को नियुक्त करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.08 बजे

15. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

(एक) सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री आर० धुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव भेजने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सीमेंट कारखानों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री खिलाड़ी लाल बैरवा द्वारा मंड्याल में चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में लोहेगांव विमानपत्तन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा देश में विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निवेशकों द्वारा निबंधनों और शर्तों का पालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.10 बजे से अपराहन 12.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (7) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा देश के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित पेयजल और प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश में हरपालपुर और निवारी स्टेशनों पर उदयपुर-खजूराहो रेलगाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम के सिलचर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिम्मतनगर-खेदब्रह्म रेलवे लाइन के बीच लेबल क्रॉसिंग सं० 121सी को फिर से खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोही, सिरथु और मनौरी लेबल क्रॉसिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कपिलमुनि करवारिया द्वारा इलाहाबाद में और इसके आसपास धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने तथा जनवरी, 2013 में होने वाले कुंभ मेला के लिए सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ० रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के हुबली जिले में बालागढ़ के दिसगुल होराह ग्राम पंचायत में कुष्ठ अस्पताल को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री गजानन डी० बाबर द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु निधि दिए जाने का पैटर्न बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री ओ०एस० मणियन द्वारा तमिलनाडु के कुम्बाकोणम और मडलादुतुरई नगरों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री कामेश्वर बैठा द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राजस्थान में इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिए जाने तथा सिंचाई के प्रयोजनों से यमुना नदी के जल के उपयोग हेतु योजनाएं भी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.31 बजे

17. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 02 घंटे 3 मिनट

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. डॉ० शशी थरूर
3. श्री शरद यादव
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. डॉ० अनूप कुमार साहा
6. श्री तथागत सत्पथी
7. श्री दारा सिंह चौहान
8. श्री एस्० सेम्मलई
9. श्री एस्०के० बैसीमुथियारी
10. श्री आर० थामराईसेलवन

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 39 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 2.34 बजे

(दो) आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 45 मिनट

श्री सलमान खुर्शीद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. श्री प्रताप सिंह बाजवा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री शेर सिंह घुबाया
5. श्री रवनीत सिंह
6. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ॰ अजय कुमार
9. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
10. श्री एस्के॰ बैसीमुथियारी
11. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)
12. श्रीमती पुतुल कुमारी

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सलमान खुर्शीद द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.19 बजे

(तीन) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2012, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 01 घंटा 53 मिनट

श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र कुमार
2. श्रीमती जे० हेलन डेविडसन
3. श्रीमती चंद्रेश कुमारी
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री लालू प्रसाद
6. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
7. श्री महेश्वर हजारी
8. डॉ० रत्ना डे (नाग)
9. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
10. श्री भर्तृहरि महताब

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 46 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 5.13 बजे

18. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 15वीं लोक सभा के दसवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराहन 5.25 बजे

19. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 5.26 बजे

(लोक सभा अपराहन 5.26 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।